राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3 तेरहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का दसवां दिवस संख्या 8

गुरुवार,
16 जुलाई, 2009

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। (व्यवधान) कृपया विराजें।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से रिपोर्टिंग अखबारों के अंदर हुई है, सदन की कार्यवाही के अंदर एक जज को मैनेज करके और जिस प्रकार का आदेश निकलवाया, जिस प्रकार का आर्डर जारी करवाया है, वह सुओमोटो हाउस की कार्यवाही के ऊपर....(व्यवधान) वह निंदनीय है। एक माननीय सदस्य जो हाउस के मेम्बर हैं उसके ऊपर बेलेबल वारंट निकलवा कर के जिस प्रकार की कार्यवाही आज विपक्ष ने की है वह निंदनीय है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय हाउस को आज चैलेंज करवाना चाहते हैं आप, यह क्या ट्रेंड बना रखा है।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): हाउस को अगर चलाना चाहते हैं, हाउस को अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो यह तरीका नहीं है, कतई नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम बिजनस चलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, हम सदन चलाना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृपया विराज जाइये। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आज के समस्त अखबारों के अंदर..(व्यवधान) हाउस की कार्यवाही को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। यह घटिया टेक्टिस लगा करके आप इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, बेलेबल वारंट एक माननीय सदस्य के खिलाफ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृपया विराजें। कृपया विराजें आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): यह देखिये...(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष के मामले में भी कोर्ट का डिसीजन है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय पर्यटन मंत्रीजी। माननीय पर्यटन मंत्रीजी, कृपया बिराजें।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): हाउस को नहीं चलाना है तो ग्रेसफुल...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आसन पांवों पर है, कृपया विराजें। कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): यह देखिये इनके काले कारनामे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृपया विराजें, कृपया विराजें, आसन पांवों पर है, माननीय...

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): यह कोर्ट को मैनेज करके...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृपया विराजें, आसन पांवों पर है। माननीय उद्योग मंत्रीजी, कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): वह भी मेम्बर हैं हाउस के...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से हम इन लोगों को सह रहे हैं लेकिन आज कतई हम लोग इस बात को स्वीकारना नहीं चाहते।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा नहीं भंग होने देंगे, अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान) जिस प्रकार हाउस में हम लोग सुन रहे हैं तीन दिन से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कोई अंकित नहीं हो पा रहा है, हल्ले में कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है, क्या कहना चाहते हैं।...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, पिछले चार दिन से जिस प्रकार से प्रतिपक्ष...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.02 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई।)

Lpm / akt / 1130 / 1g / 16.07.09

(12.03 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री सभापतिः कृपया विराजे।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा में सदन सुचारु रूप से चले, सदन के नेता ...(व्यवधान)... यह गतिरोध दूर हो, सत्तापक्ष के लोग यह नहीं चाहते कि गतिरोध दूर हो ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बार-बार वैल में आना ...(व्यवधान)... विधान सभा का इस तरह से माहौल बिगाड़ा है इन लोगों ने ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप विराजो तो सही, आप विराजो तो सही ...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य के अधिकारों का ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सदन के गतिरोध को तोड़ने के लिए सदन के नेता को प्रतिपक्ष के नेता से बात करनी चाहिए ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आपने सदन का समय बर्बाद किया ...(व्यवधान)... आपने तीन दिन खराब किए ...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ...(व्यवधान)... आज एक माननीय सदस्य के ...(व्यवधान)... फिर क्या मतलब है ...(व्यवधान)... यह पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों के अधिकारों के प्रति संवेदना रखनी चाहिए ...(व्यवधान)... यह केवल सत्तापक्ष के माननीय सदस्य का सवाल नहीं है सभापति महोदय, यह पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों के अधिकारों की बात है ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य विराजो, माननीय सदस्य विराजो।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप चलाना नहीं चाहते। लोक सभा में आपकी करारी हार हुई है ...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): किसी भी प्रकार की जुडिशियरी, किसी भी स्तर की जुडिशियरी ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्यः प्रतिपक्ष वाले सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय सत्तापक्ष के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या सदन चलाना? सत्तापक्ष के लोग सदन चलाना नहीं चाहते ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा शोरगुल)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय सत्ता पक्ष के लोग विधान सभा नहीं चलने देना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सभापति महोदय, आप सुनिए तो सही बात को, इसमें सदन की, चेयर की व्यवस्था चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह विधान सभा से भागना चाहते हैं, यह प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर नारेबाजी)

(सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा शोरगुल)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य विराजो, माननीय सदस्य विराजो।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ...(व्यवधान)... व्यवधान पैदा कर रहे हैं और यहां पर सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। माननीय सभापति कोई व्यवस्था तो दीजिए, व्यवस्था दीजिए ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): कांग्रेस के लोग लाठी चार्ज करते हुए ...(व्यवधान)... महिलाओं को सदन में ...(व्यवधान)... बहुत निंदनीय करते हैं ...(व्यवधान)... ऐसे सदस्य पूरे सदन से माफी मांगे ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्यः सभापति महोदय, प्रतिपक्ष की तानाशाही नहीं चलेगी ...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ...(व्यवधान)... यह सबके अधिकारों की बात हैं ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ...(व्यवधान)... लोक सभा में करारी हार की वजह से ...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह क्या मतलब है? आज तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, कल हमारे ऊपर आ सकते हैं ...(व्यवधान)... यह बतला रहे हैं आप सुनो तो सही, कम से कम सुनिए तो सही, हमारे अधिकारों की ...(व्यवधान)...

सबको एक होकर के कहना चाहिए ...(व्यवधान)... पूरे सदन को एक होना चाहिए ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): +++...(व्यवधान)... सत्ता पक्ष के लोग सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सदन को छोड़कर यह भागना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजे, यह ऐसे कैसे चलेगा ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर नारेबाजी)

(सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा शोरगुल)

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी यहां पर इस सदन को चलाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यह व्यवधान पैदा कर रहे हैं ...(व्यवधान)... और यह हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते। इसलिए इस सदन को नहीं चलाना चाहते ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): राजस्थान की महिलाओं का अपमान ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ...(व्यवधान)... लोक सभा में क्या हालात हुए? पार्टी के झगड़ों को यहां लेकर आते हो, जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे को बर्बाद करना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ...(व्यवधान)... महिलाओं का अपमान ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.07 बजे एक घंटे के स्थगित हुई।)

भीम/अरुण/16.7.09/13.07/1n

(13.07 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, पिछले तीन दिन से सदन में गतिरोध चल रहा है। मैं कल से सदन ...(व्यवधान)...चाहती हूं। ...(व्यवधान)...

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सभापति महोदय, सुबह से माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन हुआ है माननीय सभापति महोदय, सुबह से माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन हुआ है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान)... यह सदन सुचारु रूप से चले इसलिए मैं आपका ...(व्यवधान)... चाहती हूं।

श्री सभापति: आप विराजें तो सही। ...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ...(व्यवधान)... और एक एसीजेएम ने सुओमोटो कॉग्नीजेंस लेकर वारंट जारी कर दिया है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान)... रख दिये हैं।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ...(व्यवधान)... ये केवल हमारे अधिकारों का नहीं है सब माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजो। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: सभापति जी, पहले माफी मंगवाओ। ...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन हुआ है, ...(व्यवधान)... पहले उस पर व्यवस्था आनी चाहिए। ...(व्यवधान)... पहले व्यवस्था आनी चाहिए ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... सुनना नहीं चाहते ...(व्यवधान)... सदन चलाना नहीं चाहते ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : यह सदन की ...(व्यवधान)... है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पहले इस पर व्यवस्था आनी चाहिए ...(व्यवधान)...

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो। विराजिये। ...(व्यवधान)...

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

कैलाश/अरुण 16.07.2009 13.10 (1) **1o**

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री सभापति: सदन की बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.10 बजे एक घंटे के लिये स्थगित हुई।)

ans/usc 14.10 2d 16072009

(14:10 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, आप सदन को चलाइये। आप कुछ व्यवस्था करिये। सदन की कार्यवाही चलाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: इसीलिए तो मैं आया हूं (व्यवधान) सदन चलाने के लिए।

एक माननीय सदस्य: पहले माफी मांगो (व्यवधान) उसके बाद सदन चलेगा, ढाई दिन हो गये आपकी जिद के (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): पिछले तीन दिन से प्रतिपक्ष ने माहौल खराब कर रखा है यहां पर सदन का। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं चलाने के लिए ही आया हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप सदन की कार्यवाही चलाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: सदन चले यही तो चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): तीन दिन हो गये सदन को चले हुए, सारा का सारा श्रेय नहीं चलने का प्रतिपक्ष को है (व्यवधान) पता नहीं क्या चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माफी मांगे, पहले माफी मंगवाइये (व्यवधान) प्रतिपक्ष की नेता यहां आकर चली गई बिना माफी मांगे। (व्यवधान)

श्रीमती जाहिदा (कामां): पहले माफी मंगवाइये।

अनेक माननीय सदस्य: पहले माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

श्रीमती जाहिदा (कामां): पहले माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): पहले माफी मंगवाइये।

श्रीमती जाहिदा (कामां): पहले माफी मंगवाइये।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): पहले माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): पिछले तीन दिन हो गये (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य (व्यवधान) ऐसे कैसे चलेगा। बिराजिए

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर):आप अंकित करा रहे हैं है क्या ? (व्यवधान)

श्री सभापतिः ऐसे कैसे चलेगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सत्ता पक्ष का आसन के प्रति......व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां):000

श्री सभापतिः सदन ऐसे कैसे चलेगा, आप...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान) आसन पैरों पर है, आसन पैरो पर है। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापतिः सदन दो घंटे के लिए स्थगित किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14:13 बजे दो घंटे के लिए स्थगित हुई।)

दुर्गा/चौहान 160709 1620 2q

(पुन: समवेत होने पर)

(16.13 बजे)

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः आप बोलेंगे? माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के...।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी बोलें, माननीय प्रतिपक्ष की नेता भी बोल चुकी थीं, आपके पहले, उन्होंने सदन के पटल पर भी रख दिया था। उनको तो अंकित करा दें ताकि दोनों बातें ठीक हो जाएंगी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता के रूप में मुझे दुःख एवं खेद है कि राज्य विधान सभा के महत्वपूर्ण बजट सत्र के 3 दिन अनायास उत्पन्न परिस्थितियों के कारण हंगामें और शारे-शराबे की भेंट चढ़ गये। मुझे नहीं लगता कि इरादतन सदन के किसी भी माननीय सदस्य की ओर से ऐसे हालात बनाये गये। मैं जानता हूं कि सदन में बोलते समय कई बार सदस्य जान-अनजाने में

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

भड़क जाते हैं। कई बार आवेश में अथवा भावनाओं में बहकर भी सदस्य ऐसा कुछ कह बैठते हैं जिससे परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं। ऐसे में जरुरत इस बात की होती है कि हम सब धैर्य और संयम का परिचय दें। सदन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो भविष्य के लिये नजीर बन जाती हैं। हम सोचकर देखें कि आज का जो इतिहास आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, उसके मानस पटल पर उसका क्या प्रभाव होगा। हमारे बारे में वह लोग क्या सोचेंगे। हमारा यह दायित्व है कि हम सभी इस घटना से भविष्य के लिये सबक सीखें और आगे से ऐसा कोई आचरण करने से परहेज करें। ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो पाये। हम सब यहां राजस्थान की भलाई और प्रदेश वासियों का कल्याण चाहते हैं। इसके लिये आपसी मतभेदों के बावजूद हमारे मनों में भेद नहीं हो। मैं सदन के सभी पक्ष, विपक्ष व निर्दलीय माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि जो कुछ हुआ उसे 'फोरगेट एण्ड फोरगिव' की भावना से ग्रहण कर राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य के लिये सब मिलकर रचनात्मक भूमिका निभायें। धन्यवाद।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरी बात जो कहनी थी, रिकार्ड पर लाने की कोशिश की थी दुपहर को, यह रिकार्ड अगर नहीं हुआ है तो मैं उसको फिर से, दुबारा यहां पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष: मैं उसको देख लूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, कह ही देते हैं ना दुबारा। कई माननीय सदस्यों ने सुना नहीं था, कह देते हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): पिछले 3 दिन से सदन में गतिरोध चल रहा था। मैंने कल सदन के बाहर भी कहा था कि मैं चाहती हूं कि राजस्थान की जन समस्याओं पर चर्चा हो। सदन सुचारू रूप से चले इसलिये मैं अपमान का घूंट पीकर भी सदन को चलाना चाहती हूं। किस माननीय सदस्य ने क्या कहा, हमने क्या सुना, इन सबको राजस्थान की जनता ने देखा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगी सदन की परम्परा व गरिमा को मैं और मेरा दल पूरा सम्मान करते हैं और करेंगे। राजस्थान की जनता का हित हम सबके लिये सर्वोपरि है। जनता के इस सर्वोच्च मंच के माध्यम से यहां सारगर्भित चर्चा हो, यह मैं और मेरा दल चाहते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले और इसके समर्थन में माननीय अध्यक्ष महोदय व माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से प्रारम्भ हो।

सूचना

बाड़मेर के ए.सी.जे.एम द्वारा मा0 सदस्य के खिलाफ सुओ-मोटो कोग्नीजेंस

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, I am on a Point of information. कल तारीख 15/07/2009 को बाड़मेर के ए.सी.जे.एम. ने इस सदन के माननीय सदस्य के खिलाफ सुओ-मोटो कोग्नीजेंस लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनके कोग्नीजेंस लेने पर सदन की गरिमा भंग हुई है, उसके खिलाफ आप व्यवस्था दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, सदन में नियम और प्रक्रियाएं हैं जिनके अन्तर्गत हम ऐसे मामले उठा सकते हैं। इसलिये मैं आग्रह करुंगा, माननीय सदस्य से और आपसे भी कि हमारे यहां नियम बना हुआ है, सुओ-मोटो आसन इस पर नहीं ले सकता है। इसका नियम है। उस नियम के अन्तर्गत विशेषाधिकार का प्रस्ताव आता है और वह सदन शुरू होने के एक घण्टे पहले दिया जाता है और प्रश्नकाल के तुरन्त बाद में खड़े होकर उसकी चर्चा की जाती है। इसलिये उस नियम के अन्तर्गत कोई बात हो तो बात होगी, ऐसे कहने से इस प्रकार इस पर व्यवस्था नहीं हो सकती है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस सुबह से अभी आर्डर में आया है। एक माननीय सदस्य ने...।

श्री अध्यक्ष: अब तो आने देंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): हां, बिलकुल, निश्चित रूप से आने देंगे। एक माननीय सदस्य ने, जब पूरे सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी मिली कि बाड़मेर में एक ए.सी.जे.एम. ने इस तरह की घटना की है, जो कि निन्दनीय भी है और प्रिविलेज भी है। तो आपकी एक जानकारी में लाये हैं। माननीय सदस्य ने इस पर केवल इतनी आपको सूचना दी है कि इस तरह से एक अख़बार में खबर आई है जो सीधे-सीधे इस सदन की अवमानना है, उस पर आपसे व्यवस्था चाही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर संविधान के अन्दर अलग-अलग अनुच्छेदों में न्याय-पालिका और विधायिका को अपनी-अपनी लक्ष्मण-रेखा में बाधा गया है। पर अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो अभी उप नेता महोदय ने कहा, नियम और प्रक्रियाओं के तहत अगर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आयेगा तो उस पर सारगर्भित चर्चा भी हो जाएगी। यह किसी एक व्यक्ति का मसला नहीं है। यह पूरे सदन का मसला है। सदन के सभी माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का मसला है। इसके लिये मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आनन-फानन में इस पर विचार नहीं करके, निश्चित तौर पर इसके अन्दर जिन बातों का

जिक्र, नियम और प्रक्रियाओं के नियम 157 से लेकर 162 तक सारी व्यवस्थाएं हैं कि विशेषाधिकार का प्रस्ताव किन परिस्थितियों में कब और कैसे लिया जा सकता है। इसलिये मैं निवेदन करुंगा, जिस तरह उप नेता महोदय ने कहा, अच्छा होता इस पर हम कल चर्चा कर लेते। आप समय निश्चित कर देते और सारी प्रक्रिया पूरी करके आएं। हम भी चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो और न्यायपालिका और विधायिका अपनी-अपनी लक्ष्मण रेखा के भीतर रहकर काम करें। संविधान के अन्दर अलग-अलग अनुच्छेदों में इस तरह की व्यवस्था की गई है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय (व्यवधान) सूचना के प्रश्न पर एक व्यवस्था चाही है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): इस तरह की एक घटना घटी है। उस पर आपसे मात्र एक व्यवस्था चाही है। (व्यवधान) बाकी तो प्रक्रिया से आएंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये। (व्यवधान) कृपया आप विराजें। (व्यवधान) मैं दे रहा हूं, कृपया विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। व्यवस्था दे रहा हूं ना। बात ही समाप्त हो जाएगी। पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से माननीय यातायात मंत्रीजी ने एक न्यायालय के फैसले के सम्बन्ध में चर्चा की।

Vps- usc- 16.07.2009-16.20-3a-1

अचानक आपने यह सूचना दी है। अभी तक पूरे तथ्यों की जानकारी आपने भी प्रस्तुत नहीं की है और मुझे भी जानकारी में नहीं है। भा.ज.पा. के आदरणीय उप नेता ने फरमाया कि नियमों के तहत 10 बजे पहले सदन में प्रस्तुत करें, सचिवालय में।

वैसे अगर कोई ध्यान में लाया जाए आसन के तो आसन के पास यह तो अधिकार है कि उस प्रक्रिया के बिना भी लिया जा सकता है। ...(व्यवधान)... किन्तु सारे तथ्यों के साथ, सारे तथ्यों के साथ नियम के अनुसार कल सुबह दस बजे पहले यदि मेरे पास यह प्रकरण लाया जाएगा तो उस पर कार्यवाही की व्यवस्था के संबंध में मैं कल निश्चित रूप से व्यवस्था दूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... नहीं है। सही बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री गुरमीत सिंह कुन्नर।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
अधिसूचनाएं
कृषि विपणन विभाग

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कृषि विपणन विभाग की निम्नांकित पाँच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ. 15(24) कृषि/ग्रुप-2/85, दिनांक 24.10.2007 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ. 15(24) कृषि/ग्रुप-2/85, दिनांक 28.05.2008 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ. 4(34) कृषि/ग्रुप-2/2003, दिनांक 04.07.2008 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ. 15(24) कृषि/ग्रुप-2/85, दिनांक 24.09.2008 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है; एवं

(5) अधिसूचना संख्या: एफ. 15(24) कृषि/ग्रुप-2/85-पार्ट, दिनांक 12.06.2009 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। डाक्टर जितेन्द्र सिंह।

प्रतिवेदन एवं लेखे
ऊर्जा विभाग

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ऊर्जा विभाग के निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008;एवं

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105(1) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008.

श्री अध्यक्षः समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास

समिति का प्रतिवेदन

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2009-2010 का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2009-2010 के निम्नांकित तीन प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं:-

(1) महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 1995-96 के प्रथम प्रतिवेदन, वर्ष 1997-98 के तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2009-2010 का प्रथम प्रतिवेदन;

(2) महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2001-2002 के तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2009-2010 का द्वितीय प्रतिवेदन; एवं

(3) महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2008-2009 तक राज्य में महिला सदन, घाट की गुणी, जयपुर के आकस्मिक निरीक्षण संबंधी कार्यवाही विषयक महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2009-2010 का तृतीय प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्षः याचिकाओं का उपस्थापन। श्री रामनारायण मीणा। (अनुपस्थित)

श्री बाबूसिंह राठौड़।

याचिका का उपस्थापन

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

(1) शेरगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत शेरगढ़ के राजकीय संस्कृत उपाध्याय विद्यालय को क्रमोन्नत करने बाबत् पाँच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;एवं

(2) शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् पाँच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं:-

(1) निर्वाचन क्षेत्र सूरसागर के राजकीय औषधालय को क्रमोन्नत करने बाबत् चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;

(2) निर्वाचन क्षेत्र सूरसागर के गोमा देवी राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, कालीबेरी को क्रमोन्नत करने बाबत् तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित; एवं

(3) निर्वाचन क्षेत्र सूरसागर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आसोप की पोल, भट्टी की बावड़ी, चौपासनी को भूमि एवं भवन उपलब्ध कराने बाबत् तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं।

धन्यवाद

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): एक तो वह माहौल था और एक यह माहौल है।

श्री अध्यक्ष: इस सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2009. श्री मास्टर भंवरलाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2009

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जिनके विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनके विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वह पुर:स्थापित कर सकते हैं क्या?

श्री अध्यक्षः क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जिनके विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वह पुर:स्थापित कर सकते हैं क्या? ...(व्यवधान)...

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): आपके तो हो गया क्या?

श्री अध्यक्षः खैर, यदि किसी माननीय सदस्य का नहीं भी हुआ हो तो उसको एग्जम्प्ट रखें। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और माननीय सदस्य घनश्यामजी तो इसके लिए अधिकृत हैं। जहां कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हो, उनका रजिस्ट्रेशन हम करते हैं।

श्री अध्यक्षः आपका काम रजिस्ट्रेशन का नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, पुरोहित के नाते यदि आप कह रहे हैं तो काम गंगाजी पहुंचाने का है। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो काम है उसका भी तो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्षः अनुदान की मांग पर विचार। श्री परसादीलाल मीणा, सहकारिता मंत्री।

मांग की प्रस्तुति

मांग संख्या-36-सहकारिता

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-36-सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,50,53,55,000/- (रुपये एक अरब पचास करोड़ तिरपन लाख पचपन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

व्यवस्था का प्रश्न
बिजनस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट विषयक

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 08 जुलाई को मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और वह भी बिजनस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को लीक करने का और आपने यह व्यवस्था दी थी कि मैं पूरे तथ्यों को और ई-टी.वी. की कैसेट को देखने के बाद व्यवस्था दूंगा। अब मैं समझता हूं कि 08 तारीख को, आज 16 तारीख है तो उस पर आप व्यवस्था जरूर फरमायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवस्था मैं दे देता लेकिन व्यवस्था देने की स्थिति ही नहीं बन पायी हाउस में।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आज तो बन गयी। आज बन गयी जब ही मैंने कहा, पहले मैंने भी नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष: मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल व्यवस्था दे दी जाएगी।

व्यवस्था
अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर व्यवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में कुछ वर्षों से अपनायी जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वह यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है, जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं।

विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं। ऐसा मेरा अनुमान है, जब मांग मतदान के लिए आती है, उस समय भी स्वतः यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं, यह परम्परा इस सदन की रही है।

जिन माननीय सदस्यों का नाम पुकारा जाए वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहे, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा।

जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके उनके लिखित उत्तर संबंधित माननीय सदस्य को सरकार की ओर से मिल जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

विभिन्न दलों के सचेतक, नेताओं द्वारा दी गयी सूची अनुसार माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा रही है। श्री ओम बिरला।

अनुदान की मांग
मांग संख्या-36-सहकारिता पर विचार

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-36-सहकारिता पर चर्चा हो रही है। सहकारिता आन्दोलन इस देश का नहीं पूरे विश्व का आन्दोलन है।

शिव/usc/ss16.7.2009/16.30/3b

आप अगर इसका इतिहास देखेंगे तो जिस देश के अंदर आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, अर्थव्यवस्था का पहिया गड़बड़ाया है, वहां पर ही उस देश को आर्थिक सम्बल देने का काम किया तो सहकारिता आन्दोलन ने किया। आज भी पूरे विश्व में 90 देशों के अंदर सहकारी आन्दोलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे देश में भी 1901 से लेकर आजादी के बाद हमारे तत्कालीन आजाद हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने बड़ी दूरदर्शितापूर्ण इस आन्दोलन की रूपरेखा इस देश में रखी और मैं कह सकता हूं कि उनके वीजन के आधार पर उन्होंने इस आन्दोलन को इस देश की आर्थिक परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिये एक सार्थक प्रयास आजादी के बाद किये और आजादी के बाद से लेकर अभी तक हम इस सहकारिता आन्दोलन की चर्चा करें तो मैं बड़े दु:ख के साथ कह सकता हूं पूरे देश का सहकारिता आन्दोलन देख लें, उसमें हमें कहीं न कहीं यह लगता है कि हमारे राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन पिछड़ा है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां सहकारिता आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश के अंदर कोई ऐसा अभियान नहीं, कोई ऐसी मल्टीनेशनल कम्पनियां नहीं, कोई ऐसी सरकार नहीं, जो देश और प्रदेश में रोजगार के साधन उपलब्ध करा सके। केवल एक मात्र उपाय है तो सहकारिता आन्दोलन है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार सहकारिता आन्दोलन को पूरा पढ़ें और सहकारिता आन्दोलन के आधार पर जो उद्योग-व्यापार, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प इन सब योजनाओं को हम अगर प्रदेश में लागू करेंगे तो मेरा विश्वास है कि हम जो दावे करते हैं एक लाख दो लाख रोजगार देने का, इस सारे राज्य की आर्थिक स्थिति तो ठीक होगी और गांव में बैठा हुआ किसान, नौजवान का बेटा जो गांव से शहर की ओर पलायन करता है, दो तीन हजार की नौकरी करता है। हम इस सहकारिता के माध्यम से उस गांव-ढाणी में बैठे हुए किसान के बेटे की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं और इस प्रदेश के अंदर एक स्वर्णिम इतिहास खड़ा कर सकते हैं।

मैं चर्चा करना चाहूंगा कि इस आन्दोलन की पृष्ठभूमि का मूलाधार ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से शुरू होता है। आज भी हम देख लें और पुराना इतिहास भी देख लें तो ग्राम सेवा सहकारी समिति और ग्रामीण सहकारी साख के माध्यम से ही किसान की माली हालत सुधरी है। आजादी के पहले और आजादी के बाद भी गांव में किसान साहूकारों से, आढ़तियों से, बिचौलियों से पैसा लेता था और ब्याज देता था। उसका ब्याज इतना मंहगा होता था कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में डूब जाती थी, लेकिन वह किसान कभी उस कर्ज से उबर कर नहीं आता था। हम किसान की माली हालत को सुधारने की बात करते हैं। यह ठीक है इस देश में अगर कहीं माली हालत को सुधारने का काम किया तो सहकारी आन्दोलन ने किया और सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से इस प्रदेश में हरित क्रान्ति और कृषि उपज को बढ़ाने का काम किया तो सहकारी आन्दोलन ने किया। आज प्रदेश में 5,248 ग्राम सेवा सहकारी समिति है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि यह प्रयास करना चाहिये कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन होना चाहिये और इतना ही नहीं उस ग्राम सेवा सहकारी समिति को नये उदयकाल के अनुसार एक ऐसा केन्द्र बनाना चाहिये जिसमें कम्प्यूटराइज हो, आधुनिक साधन हों, जहां किसान को खाली ऋण देने का काम नहीं हो, बल्कि वहां किसान की भंडारण व्यवस्था से लेकर उपभोक्ता विपणन तक का कार्य होना चाहिये। ग्राम सेवा सहकारी समिति का माध्यम सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा तो मेरा दावा है जिस किसान की उपज और उत्पादन की बात हम करते हैं कि किसान की उपज का मूल्य ठीक मिले। कोई तर्क नहीं है भाषणों के आधार पर कहने का जब तक ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से प्रयास करें। पंचायतों में नि:शुल्क जमीन मिले, वहां गोदाम बनें और सरकार कोशिश करे कि उसकी उपज का 95 प्रतिशत फसल पर ऋण रहन के आधार पर किसान को मिले। जब किसान को 95 प्रतिशत ऋण मिलेगा तो किसान उसकी उपज को जब ही बेचेगा जब उसको ठीक मूल्य मिलेगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

लेकिन आज तक यह व्यवस्था नहीं हुई। इतना ही नहीं आज भी गांव के अंदर जब जाते हैं, हमने 5,248 ग्राम सेवा सहकारी समिति बना रखी है, इन 5,248 में से 2,000 ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक नहीं है और व्यवस्थापकों की स्थिति इतनी दयनीय है, न वह प्रशिक्षित है, न कम्पूटराइज है, न आधुनिक युग के हैं और उनकी समस्याएं इतनी है कि उनको बैंकों द्वारा कर्मचारी को नौकर बनाने का काम किया है। अच्छा हो उन व्यवस्थापकों को प्रशिक्षित किया जाये, क्योंकि किसी भी मूल को परिवर्तित करने के लिये उसके गांव, ढाणी तक जाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप प्रयास करेंगे कि राजस्थान की हर पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति हो, जो आपने घोषणा की थी। इतना ही प्रयास नहीं करेंगे, आप वहां व्यवस्थापकों को पूर्णतया प्रशिक्षित करेंगे ताकि वहां पर विपणन से लेकर ऋण देने से लेकर और सारी कार्यवाही हो सके।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ऋण के अंदर जो सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक है, उसकी स्थिति बड़ी खराब है। कोई समय था जब सहकारी साख का 65 प्रतिशत काम इन बैंकों से होता था, लेकिन 1992-93 के बाद 15 वर्ष के अंदर केवल 25 प्रतिशत काम इन सहकारी बैंकों से होता है और यह हमारी चिन्ता का विषय है कि 65 प्रतिशत काम जो ग्रामीण सहकारी बैंकों से होता था, वह 25 प्रतिशत घट गया, क्योंकि जो नेशनलाइज बैंक हैं, निजी बैंक हैं वह गांव की ओर बढ़ने लगी हैं। वह कम्प्यूटराइज्ड हैं, आधुनिक संसाधन हैं, नये संसाधन हैं। एक समय आयेगा जब को-ऑपरेटिव बैंक का काम समाप्त हो जायेगा और निजी और नेशनलाइज बैंकों का उदय ग्रामों के अंदर हो जायेगा। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर वैद्यनाथन जी की रिपोर्ट का भी अध्ययन करना चाहिये। प्रोफेसर वैद्यनाथन की रिपोर्ट के आधार पर उस रिपोर्ट के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, राज्य सरकार नाबार्ड की उन आवश्यकताओं को पूरा करें और साढ़े चार सौ से लेकर साढ़े पाँच सौ रुपये केन्द्र से मिल सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी बैंकों को और ग्राम सेवा सहकारी समिति, जो रूग्ण हो गयी है, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम फसल बीमा की भी बात करते हैं। आज फसल बीमा वह किसान कराता है जिसको सहकारी का ऋण लेना होता है। सहकारी ऋण के अलावा कोई किसान फसल बीमा नहीं कराता है। क्योंकि यह फसल बीमा डिफेक्टिव है, आज भी तहसील के आधार पर फसल बीमा लागू है। किसी तहसील में इतना नुकसान नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अगर फसल बीमा को लागू करना है तो इस फसल बीमा को ग्राम और पंचायत स्तर पर लागू करना चाहिये ताकि किसान अपनी फसल का बीमा करा सकें। स्वेच्छा से बीमा कराने जायें, केवल मजबूरी के आधार पर नहीं कि मुझे ट्रेक्टर का लोन लेना है, मुझे अमुक लोन लेना है, इसलिये फसल बीमा कराना आवश्यक है। स्वेच्छा से किसान जाये, उस फसल बीमा से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इतना ही नहीं, मैं इस सदन के सामने माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आप कुछ समय दे, को-ऑपरेटिव पर हमारे सदस्य कम बोलेंगे ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः आप तय कर लो फिर पहले।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इसलिये बोलेंगे माननीय सदस्य, इस राजस्थान विधान सभा के इतिहास में केवल दो बार सहकारिता की मांग पर बहस हुई है। मैंने पुराना इतिहास देखा है। सहकारिता आन्दोलन के बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम जब और प्रदेश की ओर जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, आन्ध्र प्रदेश में जाते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी जी ने मुझे गुजरात भेजा, आन्ध्र प्रदेश भेजा तो मैं दंग रह गया। गुजरात के गांव और ढाणी में जब गया तो वहां देखा कि हर घर के अंदर एक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बनी हुई है। हर गांव

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

के अंदर और उस गांव के अंदर वह किसान कोई एक किलो, कोई दो किलो दूध का जो भी उत्पादन होता था, वह दूध उत्पादन कर सहकारी समिति को जमा कराता था। आज वहां पर आर्थिक स्थिति को सम्बल करने का काम किया तो वह दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ने किया।

Soianki/usc 16.07.2009 16.40 3c

यहां क्या हालत है? जिस आन्दोलन को हम सहकारिता का आन्दोलन कहते हैं, जनता का आन्दोलन कहते हैं। राजस्थान में 33 वर्ष बाद आर सी डी एफ के चुनाव हुए। दुग्ध सहकारी संघ के चुनाव नहीं हो रहे जिस को-आपरेटिव सेक्टर को प्रजातंत्र और लोकतंत्र का सेक्टर कहते हैं, सरकारी आन्दोलन हो गये। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आते हैं, आर सी डी एफ में लगते हैं जिनको कोई अनुभव नहीं होता कि गांव के अन्दर कोई किसान बैठा है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। मेरा दावा है कि राजस्थान के पशु पालकों का एक प्रदेश में, इस प्रदेश के अन्दर भी हर घर गांव के अन्दर एक किसान का बेटा अगर चार जानवर भी पाले तो 15 हजार रुपये प्रतिमाह तक

कमा सकता है और इसके लिए इतना ही नहीं करना चाहिए, आर सी डी एफ में दलाली का काम नहीं होना चाहिए, दुग्ध उत्पादक संघ के कलेक्शन का काम नहीं होना चाहिए। पशु की नस्ल कैसे ठीक हो सकती है, पशु को कैसे ठीक किया जा सकता है, यह काम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन सारी व्यवस्थओं को एक-एक कर गिनाऊंगा तो बहुत लम्बा समय लग जाएगा लेकिन माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें व्यवस्था करनी चाहिए कि छोटे-छोटे गांवों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां बनायी जाए और वहां पर जो किसान की माली हालत है, गुजरात में सेम जैसे जिस दिन दूध देता है हर किसी किसान को उस दिन आवश्यकता है, उसी दिन उसके फैट को नापकर उसका भुगतान कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): राजस्थान के अन्दर भी इसी तरीके से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का जाल फैलाना चाहिए ताकि उसके माध्यम से किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र एक नहीं है, बहुत सारे हैं। उपभोक्ता के क्षेत्र की भी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि मैं राजस्थान उपभोक्ता संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं और राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ का वाइस चेयरमैंन भी रहा हूं लेकिन आज दिल्ली से लेकर प्रदेश के उपभोक्ताओं की स्थिति को हम देखें तो एन सी डी एफ के अन्दर दलाली के अलावा हम कोई काम नहीं करते थे। राजस्थान उपभोक्ता संघ की भी माली हालत ठीक नहीं थी। यह उपभोक्ता आन्दोलन का उदभव इसलिए हुआ कि उपभोक्ता को सस्ती दर पर उचित मूल्य पर माल मिल सके। अध्यक्ष महोदय, जिस आशय के साथ यह सहकारिता आन्दोलन खड़ाकिया था, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आवश्यकता यह है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ डायरेक्ट उपभोक्ताओं से कनेक्टिविटी रखे और उपभोक्ताओं से माल खरीदकर उस गांव ढाणी तकपहुंचाये। यहां तो बदतर स्थिति इतनी हो जाती है कि जो माल दुनिया में कहीं नहीं बिकता, जो माल किसी देश में नहीं बिकता, उसको उपभोक्ता भण्डार में दे दें और उपभोक्ता भण्डार से ग्राम सेवा सहकारी समिति में चला जाए1 माल डम्प हो जाए, खराब हो जाए।

कुछ लोग चर्चा करते होंगे भ्रष्टाचार की लेकिन मैं को-आपरेटिव में भ्रष्टाचार की चर्चा इसलिए नहीं करता कि इस देश में कहीं भ्रष्टाचार अगर सबसे कम है तो वह सहकारिता में है लेकिन इसकी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि यह जन-जन का आन्दोलन है। हो सकता है कि कई माननीय सदस्य भ्रष्टाचार के कई मुद्दे उठायें लेकिन मेरा दावा है कि आज भी इस देश के अन्दर जिस तरीके से प्रदेश के अन्दर आजादी के बाद

भ्रष्टाचार बढ़ा है, सहकारिता आन्दोलन में सबसे कम भ्रष्टाचार है।

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्योंकि जो राजनेता होता है, अध्यक्ष महोदय, राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति या जो भी जन प्रतिनिधि होता है वह हमेशा भ्रष्टाचार से बचता है। उसको रोजाना परीक्षा देनी पड़ती है लेकिन राजस्थान में नहीं पूरे देश के अन्दर सहकारी आन्दोलन आज सरकारी आन्दोलन बन गये हैं और राजस्थान में तो और भी स्थिति बदहाल हो गयी है। राजफैड में देखें तो एम डी, आई ए एस आफिसर, भूमि विकास बैंक मेंदेखें तो आई ए एस आफिसर, आर सी डी एफ में देखें तो आई ए एस आफिसर और अपेक्स में देखें तो आई ए एस आफिसर। उनको अनुभव नहीं होता है। किसी को साइड में किनारे की पोस्टिंग देनी है तो भेज दो भूमि विकास बैंक में, अपेक्टस बैंक में।

अध्यक्षमहोदय, यह जनता का आन्दोलन है, जनता के धन का आन्दोलन है। यहां एक्सप्लेन के आधार पर लोगों को भेजने की आवश्यकता नहीं है। जो उसमें दक्ष हो, जो तकनीकी रूप से दक्ष हो, उनको ही भेजा जाना चाहिए। मैं यहां चर्चा करना चाहता हूं कि कहीं तिलहन संघ बनाया, कहीं राजफैड के आधार पर स्पिन फैड बनाया। तिलहन संघ जबसे, 1992 में बना, 19 साल के अन्दर केवल तीन साल जो भी खरीद फरोख्त के अलावा, 19 साल लगातार घाटे में चलता रहा। सरकार ने कोई चिन्ता नहीं की। आज यह 19 साल से घाटे में चल रहा है। एक साल चल जाए, दो साल चल जाए। उसको घाटे से उबारें, उसको घाटे से उबारने की चर्चा नहीं की गयी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सहकारिता के क्षेत्र के अन्दर हमें कई आयाम बढ़ाने की आवयकता है। वह आयाम पर्यटन का हो यसकता है, वह मत्स्य पालन का हो सकता है, मुर्गी पालन का हो सकता है और दस्तकारों का हो सकता है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, मैं भी निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आप समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्षमहोदय, मैं पाँच मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। आपको ध्यान नहीं है कि आपने कितना समय ले लिया है। कृपया समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पाँच मिनट में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका

संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः चलिए दो मिनट।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, पाँच मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः फिर बाद वाले हट जाएंगे। इसलिए मुझे चिन्ता दूसरे माननीय सदस्यों की भी है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, आज भी इस दुनिया के अन्दर पर्यटन के रूप में, ट्यूरिज्म एजेंसी के रूप में अगर दुनिया में सबसे बड़ा काम है तो इंग्लैण्ड के अन्दर सबसे बड़ी ट्रेवलिंग ऐजेंसी का काम कर रही है। हम भी चाहते हैं कि राजस्थान में पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। पर्यटन विभाग सहकारिता विभाग से सामंजस्य बनाये और सामंजस्य बनाकर एक कार्ययोजना बनाये जिसके आधार पर आने वाले पर्यटकों को, कोई बड़े माल को यहां किसी सेठ के यहां ले जाने की आवयकता नहीं है। सहकारिता के माध्यम से जो शोरूम बनाये हुए हैं, वहां पर हस्तकला उद्योग, हमारे यहां का राजस्थान का जो भी उद्योग है वहां ले जाया जाए। इतना ही नहीं, टैक्सी से लेकर सारा काम अगर हम पयटन सहकारी समिति के माध्यम से करें तो नौजवानों को रोजगार के साधन मिल सकते हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद को देना चाहूता हूं लेकिन मुख्य मंत्रीजी, आपने महिलाओं की समिति के लिए केवल पाँच करोड़ रुपये ही दिये हैं, इस प्रदेश के अन्दर आप करोड़ों रुपयों का बजट कर रहे हो और महिलाओं के उत्थान की बात आप करते हो और मात्र पाँच करोड़ रुपया। पाँच करोड़ रुपये के आधार पर उस गरीब, विधवा, परित्यक्ता महिला को स्वालम्बन नहीं बनाया जा सकता। माननीय मुख्य मंत्रीजी, इस बजट का .33 परसेंट सहकारिता आन्दोलन में दिया है। अगर आप किसी नौजवान को, किसी महिला को स्वावलम्बन के आधार पर खड़ा करना चाहते हैं, लघु कुटीर उद्योगों को गांवों में ख़ड़ा करना चाहते हैं तो इसमें बजट बढ़ाने की आवश्यकता है और महिलाओं की चिन्ता करने की आवश्यकता है। जो अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं, छोटे छोटे लघु कुटीर उघोग लगाकर जिसके माध्यम से हमें बाजार दे, सरकार बाजार दे, कच्चा माल दे और उनको अनुदान दे। इन सारी व्यवस्थाओं को करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसान की माली हालत को सुधारना हो तो जिस तरीके से हमारी तत्कालीन मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिन्धियाजी ने उन ऋण समय पर देने वाले लोगों को एक परसेंट छूट दी थी। राजस्थान के अन्दर भी पहल करने की आवश्यकता है। आज मध्य प्रदेश के अन्दर चार परसेंट पर फसल ऋण दिया जाता है। कर्नाटक के अन्दर चार परसेंट दिया जाता है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इतना ही नहीं, केन्द्र से जो तीन परसेंट आता है वह राज्य का दो परसेंट आता है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वह भी नहीं दिया जा रहा है इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी, अगर आप किसान की माली हालत को सुधारना चाहते हैं तो आप उस किसान को चार परसेंट की दर पर फसल ऋण पर ब्याज दो, तब जाकर किसान की माली हालत सुधर सकती है।

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजें। श्री गोपाल मीणा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इतना ही नहीं, गांव और किसान को अगर आप खुशहाल करना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष: कृपया आप बिराजें। अगला वक्ता.....

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ....लघु उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बिराजें।

सदन की कार्यवाहीसदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक बार में ही बढ़ा दो न।

श्री अध्यक्ष: ये कोई भागकर नहीं जा रहे हैं अभी।

मांग संख्या-36 पर अग्रेतर विचार

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, सहकारिता की मांग संख्या 36 पर मैं सबसे पहले सहकारिता के बजट के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। इस राजस्थन की जनता को जो बजट दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही सहकारी समितियों के चुनाव की घोषणा करके उनको राहत पहुंचायी गयी है, क्योंकि पिछले दो साल पहले सहकारी समितियों के चुनाव हो चुके और उन चुनावों को हुए दो साल गुजर गये और दो साल तक अब जो चुनाव हो रहे हैं, आने वाले समय में जो पदाधिकारी बनेंगे, जो अध्यक्ष बनेंगे, वे दो साल तक ही रह पायेंगे इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। जब से यह सरकार आयी है, आते ही यह घोषणा की कि सहकारी समितियों के चुनाव होंगे इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और सहकारिता मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महेन्द/चौहान/1650/3d/16072009/1 अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

साथ में जयपुर जिले में सेण्ट्रल कॉआपरेटिव बैंक, दौसा और जयपुर का था, भूमि विकास बैंक, जयपुर और दौसा का था, दौसा में अलग खोल के उन किसानों को और उन काश्तकारों को फायदा पहुंचाया है इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और सहकारिता मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता पर अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि इस राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि सहकारिता आज भी है और पहले भी थी और आने वाले समय में सहकारिता का जो कार्य है वह चुनावों से आगे बढ़ने वाला है और चुनाव प्रक्रिया जो बीच में ठप्प हो गयी थी इसलिए सहकारिता का आन्दोलन भी थोड़ा ढीला पड़ गया था। आज मैं एक सुझाव मेरी तरफ से देना चाह रहा था, माननीय सदस्य ने भी बताया था, कि हर पंचायत में एक सहकारिता समिति होनी चाहिए जिससे हर काश्तकार की हर मांग पूरी हो पायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रय-विक्रय सहकारी समिति हर तहसील पर होनी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा कि हर तहसील स्तर पर होनी चाहिए क्योंकि अब तक 180 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं और अगर यह हर तहसील पर सहकारी समिति हो तो हर तहसील को फायदा होगा, हर ब्लॉक को फायदा होगा, हर किसान को फायदा होगा, उनको आने-जाने में सुविधा होगी इसलिए माननीय मंत्रीजी और सहकारिता मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि यह मेरा सुझाव है कि हर तहसील पर एक क्रय-विक्रय सहकारी समिति हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से सहकारी समितियां बंद पड़ी थीं, पिछले 15 साल से जो सहकारिता के चुनाव नहीं हो पाये थे और पिछली सरकार ने प्रयास किया लेकिन हाथ की हाथ चुनाव नहीं हो पाये, मैं समझता हूं लगातार यह चुनाव सहकारी समितियों के बनने के बाद में हो जाते तो आज सहकारिता में जो आन्दोलन बता रहे थे, सहकारिता का जो क्षेत्र है वह आगे बढ़ता। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और सहकारिता मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि इतना शानदार बजट राजस्थान में पेश किया है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विधान सभा में पहली बार मेरे को बोलने का मौका मिला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-36, सहकारिता पर चर्चा हो रही है। सहकारिता का मतलब है 'एक सब के लिए और सब एक

के लिए'। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो सहकारिता के आन्दोलन का पराभव हुआ है, क्योंकि लम्बे समय से लगातार उन अधिकारियों के नेतृत्व में सहकारिता के जितने भी उद्यम हैं, चाहे वो सहकारी बैंक हों, चाहे भूमि विकास बैंक हों, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे डेयरी हो, डेयरी का चुनाव जरूर पिछली बार हुआ लेकिन इनका चुनाव लम्बे समय तक नहीं हुआ। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है सहकारिता मंत्रीजी से कि जिस तरह से पंचायत का और म्युनिसिपैलिटीज का एक निश्चित समय है, पाँच साल के बाद में चुनाव होता है, तय रूप से जितने भी सहकारिता के संस्थान हैं उनका समय पर चुनाव हो, जिनका सहकारिता में हिस्सा है उनका बोर्ड हो और वो निर्णय लेंगे तब ही मैं समझता हूं कि सही रूप से 'एक के लिए सब और सब के लिए एक' की जिस भावना के साथ सहकारिता आन्दोलन को शुरू किया गया था उसका फायदा है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में वह भावना इस सहकारिता में लागू नहीं हुई और इसी का नतीजा है कि आज राजस्थान उस सहकारिता के क्षेत्र में अन्य पड़ोसी राज्यों से, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो गुजरात है, उनसे राजस्थान अभी काफी पिछड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि यही है जो ग्रामीण क्षेत्र के उस किसान और गरीब को एक सब्बल दे सकता है इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है यह।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां 7 प्रतिशत सहकारी बैंक के माध्यम से किसान को फसली की और खाद, बीज के लिए ऋण दिया जाता है उसको जो 12 प्रतिशत से 7 प्रतिशत किया गया है वह राजस्थान के जो सहकारिता के माध्यम से नये सदस्य बने हैं राजस्थान में कहीं भी उनको नाम मात्र का ऋण दिया जा रहा है, कहीं भी सहकारिता के नये सदस्य जो बने हैं यह 7 प्रतिशत करने के बाद में, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि नाबार्ड के माध्यम से जितनी राशि मिलनी चाहिए थी उससे 7 प्रतिशत अपना है, आज जिस तरह से बैंको को केवल कामर्शियल आधार पर चलाने की बात की जा रही है, उनको जितना ऋण मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है और इसका नतीजा होता है कि जो नये सदस्य हैं उनको ऋण नहीं मिल पाता है। मैं समझता हूं कि उन सदस्यों को भी, जिन्हें केन्द्र सरकार ने पिछली बार जो 75 हजार करोड़ का ऋण माफ का दिया है, उन सदस्यों को भी जिनको ऋण माफी के कारण उस योजना का लाभ मिला है उनको भी पुनः ऋण बहुत कम सदस्यों को मिला है इसलिए उन तमाम सदस्यों को जिस केन्द्रीय ऋण माफी योजना का लाभ मिला है, उनको भी इसका फायदा मिले।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरह से अधिकारी उन तमाम लोगों की, चुने हुए प्रतिनिधियों की अवहेलना करते हैं, यह कॉआपरेटिव मैनेजिंग डाइरेक्टर का एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना

चाहूंगा। कॉआपरेटिव डेयरी के एम.डी. ने उनके अधिकारी और कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष करने का आदेश निकाला। इसमें स्पष्ट प्रोविजन है कि जितनी भी डेयरी हैं उनके जो चुने हुए बोर्ड हैं उनकी सहमति से किया जाय, मैं समझता हूं कि उन्होंने उन नियमों की भी धज्जियां उड़ायी, उस डेयरी फैडरेशन की जितनी भी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, उनके जो चुने हुए लोग हैं उनके बोर्ड के निर्णय के बाद ही उनकी रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाया जा सकता है लेकिन एम.डी., कॉआपरेटिव डेयरी, राजस्थान ने उन सब नियमों को धत्ता बता दिया। न उनसे निर्णय लिया गया। उसके बाद में राजस्थान हाई कोर्ट ने भी उस निर्णय को रिजक्ट करने का आदेश पारित कर दिया, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ने भी पाँच लोगों की उच्च अधिकारियों की कमेटी बना कर इस निर्णय का एग्जामिनेशन करने के लिए, जिसमें शासन सचिव, कार्मिक विभाग, रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, उप-शासन सचिव, पशुपालन संस्था, विकास अधिकारी, आर.सी.डी.एफ., पाँच अधिकारियों की चीफ सेक्रेटरी ने कमेटी बना कर इस निर्णय की जांच और इसकी उपादेयता के बारे में निर्णय किया गया, उस चीफ सेक्रेटरी की हाई पावर कमेटी के निर्णय को भी एम.डी. ने रिजक्ट कर दिया। न-केवल उन्होंने बल्कि रजिस्ट्रार जो सहकारी समिति है, तमाम जितने भी सहकारी संस्थाएं हैं उनको रेगुलेट करने के लिए राजस्थान में जो रजिस्ट्रार, सहकारी समिति है उन्होंने बारबार, एक दफे नहीं छः दफे पत्र लिख दिया लेकिन मैं नहीं समझता कि चीफ सैक्रेटरी के बाद, राजस्थान के हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, रजिस्ट्रार के निर्णय के बाद वो एम.डी. तमाम कोई भी कानून-कायदे नहीं मानता है। इसका मतलब है कि राजस्थान की सरकार में बैठे हुए लोगों का हाथ उन पर है। राजस्थान की जनता का हित उनके लिए सर्वोपरि नहीं है। एक अधिकारी की अपना इच्छा को चलाने का सबसे बड़ा इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा अधिकारी, जो चुने हुए बोर्ड को नहीं मानता, जो राजस्थान के हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं मानता, जो राजस्थान के कॉआपरेटिव रजिस्ट्रार के निर्णय को नहीं मानता, जो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी की हाई पावर कमेटी को नहीं मानता ऐसा अधिकारी अगर आप चाहते हैं कि कॉआपरेटिव को सही सलामत उस जनता के लिए जिसके लिए कॉआपरेटिव की शुरूआत की गयी है, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही जब तक नहीं होगी तो में समझता हूं कि केवल अधिकारियों के माध्यम से हम चलायेंगे तो 'एक सब के लिए और सब एक के लिए' नहीं होगा। इसलिए मेरा तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से इतना ही निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय और उन किसानों को, जिनको ऋण माफ हुआ है उनको ऋण दिया जाय और जो नये सहकारी सदस्य हैं उनको ऋण

दिया जाय और समयबद्ध उनके चुनाव हों जिससे उसमें जो सहभागी हैं वो ही उन सहकारी संस्थाओं को चला सकें।

मानीनीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्षः श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के 2009-2010 के मांग संख्या-36 पर मेरे कुछ विचार रखना चाहता हूं और सदन का आशीर्वाद चाहता हूं।

Ars/usc/1700/3e/16072009/1

राजस्थान में जितनी स्कीमें हैं उनमें सहकारिता आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें गांव, गरीब और किसान तीनों शामिल हैं। ऐसी भी स्कीमें हैं जो गरीबों के लिए चलती हैं लेकिन यह सहकारी आंदोलन ऐसा है जो गांव, गरीब और किसान तीनों के लिए है और उच्चारण के रूप में भी ग्राम सेवा सहकारी समिति और कृषक सेवा सहकारी समिति इस नाम से उसी के दो नाम हैं। 1904 में चालू हुआ आंदोलन, राजस्थान में 1953 में पहुंचा और 1953 के बाद 1965 में हमने पहली बार एक्ट पास किया लेकिन सौ वर्ष के बाद एक व्यवस्थित एक्ट 2001 में पास किया है और उसको हमने लागू किया है। अभी चर्चा चली यहां कि 2002 के एक्ट के आधार पर चुनाव हुए हैं, मैं पहले तो उस एक्ट के अन्तर्गत जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अभी इस सरकार के मंत्री जी ने सदन के बाहर यह कह दिया कि चुनाव हम प्रारम्भ करवा रहे हैं लेकिन उसमें एक त्रुटि मैं मानता हूं कि उसमें सदस्यता अभियान के लिए कोई समय नहीं दिया गया, सीधा ही वोटर लिस्ट को घोषित करने के लिए समय दिया गया। अगर यह होता और सदस्य बनाने की बात कही गयी होती तो और अच्छा होता। यह मेरा सुझाव है।

दूसरा निवेदन यह है कि ब्याज दर की बात चली, जब गांव, गरीब और किसान की बात है, यह चार प्रतिशत का दिया गया माननीय सदस्य के द्वारा उसका आधार बिंदु निवेदन करना चाहता हूं । जब युधिष्ठिर जी शासक बने, नारद जी जब पहली बार गये, महाभारत में एक संदर्भ आता है शांति पर्व में, पहला ही श्लोक है जाते ही वह पूछते हैं युधिष्ठिर जी से कि आपके राज्य में क्या बीज नष्ट करने की किसानों को मनाही है, दूसरा प्रश्न वह करते हैं क्या एक देववात्रिका कृषि की व्यवस्था कर दी, जो देवताओं पर निर्भर नहीं है इसका मतलब सिंचाई की व्यवस्था और तीसरा प्रश्न पूछते हैं वह इसका आधार है चार पर्सेण्ट ब्याज का, वह पूछते हैं आपके राज में गरीब किसानों के लिए

न्यूनतम ब्याज पर ऋण की व्यवस्था कर दी चार पर्सेण्ट, ऐसा उसमें है इसलिए उसे शार्ट में बता रहा हूं, माननीय मंत्री जी मैं बता रहा हूं महाभारत में भी चार परसेंट ब्याज था। राजस्थान के किसान गरीब हैं सहकारिता के माध्यम से जो ब्याज की स्थिति है उसको चार परसेंट किया जाना चाहिए, यह मैं इस सदन के माध्यम से आपके सामने निवेदन कर रहा हूं।

दूसरी बात यह है कि सहकारी आंदोलन चला है और हमारा 1965 का एक्ट यह कहता है कि एक हजार की आबादी पर सहकारी समिति बनेगी, अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समिति बननी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब महिला सहकारी समिति की बात आ रही है, दुग्ध सहकारी समिति की बात आ रही है तो मैं निवेदन करूंगा कि एक हजार की आबादी पर सहकारी आंदोलन के अन्तर्गत जो इकाई बननी चाहिए और उस इकाई के बनने से जो लाभ होगा जो सबके लिए और एक के लिए। ऐसा करके यह जो एक ऐसा तंत्र जिसके माध्यम से गांव, गरीब और किसान का विकास हो सकता है उसको एक हजार की आबादी पर किया जाना चाहिए। लेकिन चरणबद्ध अगर करना चाहें तो पहले ग्राम पंचायत और उसके बाद बड़े गांवों को लिया जा सकता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज सहकारी आंदोलन है लेकिन आंदोलन की जो पहचान बनी है वह ज्यादा सुखदायी नहीं है । मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, 35 साल पुराना उदाहरण है, मैं एक बार गया राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए, जब मेरे इन्कम टैक्स के दस्तखत नहीं हुए तो मैं एक सहकारी क्षेत्र के अकाउन्ट्स अधिकारी के पास इन्कम टैक्स के दस्तखत जब में राजस्थान यूनिवर्सिटी में गया तो वहां मुझे पूछा यह गया इंटरव्यू में कि आप कुम्भाराम जी को कैसे जानते हो, आज वह नहीं हैं लेकिन जो कहा गया वह मैं कह रहा हूं, मुझे आज तक टीस है इस बात की, मुझे कहा कि कुम्भाराम जी को कैसे जानते हैं, मैंने कहा कि मैं नहीं जानता तो उन्होंने कहा कि यह दस्तखत कैसे कराकर लाए । तो इस प्रकार के आज भी गांवों में ऐसे पैकेट बने हुए हैं। कुछ लोग स्थाई तौर पर इस पर काबिज हैं, उनके माध्यम से इस सहकारिता में ऋण मिलता है, उनके माध्यम से ही सहकारी समितियां चलती हैं।

इस कारण से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे, जो सहकारी समितियों में पैकेट्स बन गये हैं, जो दलाल टाइप लोगों के पैकेट बन गये हैं, उसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मेरी विधान सभा में एक ऐसा गांव हैं जहां महिलाओं के नाम पर पुरूष ऋण ले गये, महिलाओं को मालूम नहीं है कि इनको ऋण भूमि विकास बैंक से मंगोड़ी के लिए मिला है। यह मैं नाम बाद में मंत्री जी को बता दूंगा, इस प्रकार की स्थिति है, इस कारण से इस व्यवस्था को समाप्त किया जाना

चाहिए।

इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने एक प्रावधान किया है इसमें पाँच सौ महिलाओं के वह बनेंगे, अगर प्रत्येक पंचायत में हम सहकारी समिति बनायेंगे महिलाओं की तो अगले बी साल लगेंगे। इस कारण से मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी संख्या बढ़नी चाहिए और अगले पाँच साल में, अपने टेन्योर में कम से कम प्रत्येक पंचायत में एक महिला सहकारी समिति बन जाए इसके लिए जितने बजट की आवश्यकता हो उतना बढ़ाना चाहिए।

एक बजट की बात आयी थी, एक प्रतिशत बजट भी नहीं है। तीन वर्ग हैं, गांव, गरीब और किसान और उसके लिए एक प्रतिशत ही बजट प्रावधान नहीं हैं तो यह बुरी बात है। (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) मैं पहली बार बोला हूं इस कारण से मैं दो मिनट का समय और लूंगा आपसे। पिछले पाँच वर्षो में और उसके भी पिछले पाँच वर्षो में जो अल्पकालीन ऋण दिया गया वह लगभग लगभग पाँच हजार करोड़ रुपये दिया गया। किसानों को जो अल्पकालीन ऋण दिया गया वह अप्रेल 1999 से लेकर 2003 तक जो ऋण दिया गया, पाँच हजार करोड़ का दिया गया और बाद के पाँच वर्षो में बारह हजार करोड़ दिया गया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के किसान को अल्पकालीन ऋण की मात्रा उस गति से बढ़नी चाहिए जो ढाई सौ परसेंट हमने पाँच साल में बढ़ाया है वह निश्चित तौर पर दुबारा वो ही सरकार है तो उसके पहले पाँच साल थे, इस कारण से यह अल्पकालीन ऋण की मात्रा है निश्चित तौर पर बढ़नी चाहिए। इसी प्रकार से ....

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): एक मिनट और लूंगा मैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वन संरक्षण के लिए सहकारी समिति की बात कही गयी है। उसका बजट में प्रावधान नहीं है अगर यह किया जाय तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री शाले मोहम्मद।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मुझे इस सदन में पहली बार बोलने का मौका मिला। इससे पहले भी मैं बजट पर कुछ बोलना चाहता था लेकिन मुझे मेरे साथी राजावत साहब ने मौका नहीं दिया, पर आज सहकारिता के विषय पर चर्चा हो रही है, मैं खास तौर पर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जिस प्रकार से बजट के अन्दर महिलाओं के लिए 500 सहकारी समितियों को पाँच करोड़ रुपये की सहायता दी है उसी प्रकार प्रबन्धकीय सहायता के लिए अनुदान के रूप में दो करोड़ रुपये दिये और छह करोड़ रुपये स्टेट रिवाल्विंग फण्ड को गठित किया है और खासकर तीन सौ शाखाओं का कम्प्यूटराइजेशन किया है इसके लिए मैं खास तौर पर

बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकार से सहकारिता के काम को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने यह काम हाथ में लिया है इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस बजट के अन्दर यह प्रावधान रखे गये हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सहकारिता आंदोलन को बल मिलेगा, और अधिक मजबूत होगा। जैसा मेरे भाई बिरला जी कह रहे थे कि मैं गुजरात गया था और वहां पर घर घर में समितियां बनी हुई हैं। मैं इनसे ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप गौ संघ के अध्यक्ष भी रहे हो, कई पदों पर भी रहे और यदि आप लोग इसकी शुरुआत कर लेते तो मैं समझता हूं पाँच सालों में आज तक हर गांव में आप जो चाहते थे हो सकता था पर आप लोगों ने यह कार्य हाथ में नहीं लिया, पर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, हमारे जो मंत्री जी हैं वह आपके इस सहकारिता आंदोलन में आप विश्वास रखें कि आने वाले समय में हर घर घर में, हर गांव में इस प्रकार से सहकारिता आंदोलन को मजबूती दिलायेंगे कि पूरे राजस्थान का आने वाले समय में अच्छा विकास होगा।

खास तौर पर मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दूना चाहूंगा कि कुछ यदि हमें ग्राम सेवा सहकारी सिमतियां ग्राम पंचायत लेवल पर खोलनी हैं तो जिस प्रकार से जो नियम बने हुए हैं उन नियमों में सरलीकरण करने की बहुत जरुरत है। जिस प्रकार से नई यदि हम ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलते हैं तो उसमें आबादी का दो हजार हेक्टेअर का रखा है, पाँच हजार न्यूनतम सदस्य रखे हैं, पन्द्रह लाख हिस्सा राशि के रूप में रखे हैं तो मतलब मैं मेरे जैसलमेर जिले की बात कहूं तो एक हमारी जिस प्रकार से आबादी बिखरी हुई है ढाणियों में बसी हुई है और आज इस इंदिरा गांधी नहर के आने से हमारा पूरा जैसलमेर जिला जो पूरा राजस्थान आकर वहां बसा है, इतना हरा भरा हो गया है नहरों के कारण से तो वहां पर मैं समझता हूं कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलने की बहुत बड़ी जरुरत है और वह ग्राम सेवा सहकारी समितियां, मैं समझता हूं कि ....;

vns/usc/17.10/16.7.2009/3f/1/

तब ही खुल पायेगी जब हम इन कुछ नियमों के अन्दर यदि सरलीकरण कर पायेंगे तो जो हम चाहते हैं कि नयी ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनें तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारे जिले के अन्दर बिखरी हुई नयी बस्तियां और नये गांव बने हैं तो उस गांव के लोगों को वहां के किसानों को आने वाले समय में अच्छा लाभ मिलेगा इसलिये खास तौर पर मुझे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना है कि

आपने जिस प्रकार से सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाने का काम हाथ में लिया है आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि आगे सहकारिता आन्दोलन, सहकारिता विभाग और मजबूत होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 36 सहकारिता के ऊपर चर्चा हो रही है। भारत में सहकारिता कोई आज से नहीं चली आ रही है, पुराने जमाने में भी किसान सहकारिता के आधार पर जिन्दा था। पूरा परिवार मिलकर 50 आदमी सहकारिता के रूप में खेती करते थे और किसान सहकारिता के रूप में एक दूसरे का सहयोग करके परिवार में चाहे कोई काम नहीं करता और कुछ काम करने वाले करते फिर भी सभी मिल करके एक सहयोग की भावना से परिवार को चलाते थे। उसी के आधार पर सहकारिता का निर्माण किया गया।

सहकारिता विभाग आज के जमाने में जिस तरह से कार्य कर रहा है उसके क्रिया कलापों के आधार पर सहकारिता की आज परम आवश्यकता है मगर इस में जो कमियां हैं निश्चित रूप से उन कमियों को ठीक किया जाए तो राष्ट्र के लिये यह नव निर्माण का काम कर सकता है।

सहकारिता के अन्दर कृषकों को ऋण माफी की जो बात कही गयी है, किसानों की ऋण माफी के लिये जो भी केन्द्र सरकार ने किया, लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये ऋण माफी की योजना थी और अन्य कृषकों के लिये ऋण राहत योजना थी। इन योजनाओं का किसान को पता ही नहीं है कि मेरे को कितनी ऋण माफी हुई है। आज भी इस दुविधा में है किसान कि मेरे को माफ कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, किसके हुआ ? इसकी पूरी जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच पाती इसलिये इसका वृहत् प्रचार-प्रसार करके किसानों को इसकी लिस्ट लगाकर या अलग से व्यवस्था करके उनको बताया जाए या अन्य समितियों के मार्फत पता किया जाए कि इन-इन लोगों के कर्जा माफ हुआ है। नहीं तो आज भी जो व्यवस्थापक सहकारी समितियों में लगे हुए हैं वह 20-20 वर्ष से उसी सेठ की भांति जो पहले पुराने जमाने में कर्जा देते थे और कर्जा देकर वापस किसान को याद ही नहीं रहता उसको कि क्या ले गया। किसान ले जाता तो खोपरा था, लिख देते थे खपा। खोपरे का खपा बन करके उसके मनमाने पैसे चार्ज किये जाते थे इसी तरह से व्यवस्थापक 20-20 साल से एक ही समिति में लगे हुए हैं और वह मनमर्जी से किसानों ऋण, एक तो क्रेडिट कार्ड योजना जो चली है उस क्रेडिट कार्ड योजना में किसान की क्रेडिट बना देते हैं। चैक बुक और पास बुक उसी व्यवस्थापक के पास पड़ी रहती है। वह किसान इतना विश्वास करता है कि उसके खाते में कितने पैसे निकले और कितने पैसे नहीं निकले यह भी उसको पता नहीं रहता है। गांवों में हकीकत

इसी तरह से चल रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से को-आपरेटिव के नाम से मार्केटिंग सोसायटी मारवाड़ जंक्शन में एक ट्रक खरीदा गया, बिल्कुल न्यू ट्रक खरीदा गया मगर उस ट्रक से आज दिन तक एक रुपये का प्रोफिट किसी तरह का नहीं हुआ है। इसी तरह से कई चीजें ऐसी हैं जो सहकारिता की बचत या कमाई की पूंजी होती है वह नष्ट हो जाती हैं और किसान को उसका सही फायदा नहीं मिल सकता है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि सहकारिता के अन्दर किसानों को जो बीमे की योजना है, किसान जो ऋण लेता है उसके बीमे की किश्त 7 रुपये कटती है उसके आधार पर अगर कोई काश्तकार अपंग हो जाता है तो अपंग होने पर उसे 25,000 रुपये की सहायता दी जाती है और अगर कोई किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसको 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह भी योजना लागू की गयी है मगर किसानों तक इसकी पूरी जानकारी नहीं होती तो किसानों को इसकी राहत नहीं मिल पाती है इसलिये इसका प्रचार-प्रसार किया जाना अति आवश्यक है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मांग संख्या 36 सहकारिता के ऊपर आज जो चर्चा हो रही है माननीय सहकारिता मंत्रीजी, पूर्व में भी आपने चुनाव की बात कही है मगर चुनाव पहले 15 साल से नहीं हुए। जब खेत सिंहजी राठौड़ थे, कहा करते थे जल्द से जल्द करवा देंगे मगर आज दिन तक कभी चुनाव हुए नहीं, तो यह पहल की माननीय मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे जी ने कि उनके चुनाव कराना स्टार्ट किया। काफी चुनाव हो चुके हैं, अब अधूरे हैं तो अब उनको पूरा करके जल्द से जल्द सहकारी समितियों के चुनाव कराये जाएं ताकि जो ग्रामों में व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को ठीक किया जा सके।

आपने समय दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री आदराम मेघवाल।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, आज मुख्यमंत्री जी, सहकारिता मंत्रीजी ने जो हमारे को बजट दिया है उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं।

मांग संख्या 36 पर चर्चा हो रही है। लोन जमीदारों को, किसानों को देते हैं गरीब पैसा भरता है तो पैसा 7 दिन के बाद मिलता है। कई फिरते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। जैसे दूसरे बैंक देते हैं भूमि विकास बैंक और स्टेट बैंक वैसे ही दूसरे दिन ही मिल जाना चाहिये किसान को, गरीब को।

अध्यक्ष महोदय, 18 परसेण्ट ब्याज सहकारिता लगा रहा है, भूमि विकास बैंक, स्टेट बैंक, और बैंक 7 परसेण्ट ब्याज लगा रहे हैं तो इसमें मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 7 परसेण्ट ही इसका ब्याज होना चाहिये।

हर गांव में मिनी बैंक होना चाहिये। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलकर जाता है जमीदार, तो मिनी बैंक वहां बन जाए। लैंड बैंक कई गांवों में है। मेरे पीलीबंगा क्षेत्र में रावतसर तहसील में नहीं है। कई जगह बने हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस ग्राम में माल गोदाम बनना चाहिये। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर खाद, बीज के लिये जाना होता है। माल गोदाम बड़ा बन जाए तो ग्राम में ही खाद, बीज और सारी चीजें उसे मिल जाए। कई ऐसी चीजें है जो गरीब नहीं ला पाता।

पिछली सरकार में 3-4 साल पहले गरीबों को लोन पर ट्रैक्टर दिये थे, 2-3 साल में कुर्क करके वसूल किया गया, जमीनें भी कुर्क हो गयीं तो इसलिये उन गरीबों को लोन नहीं देना चाहिये था। दे दिया तो धीरे-धीरे उनका चुकारा होना चाहिये।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री पवन कुमार दुग्गल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता की मांग संख्या 36 पर चर्चा हो रही है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि 2007 और 2008 में सहकारी किसान कार्डों पर घड़साना तहसील के किसानों का प्रीमियम काटा गया। साथ ही केन्द्रीय सहकारी समिति ने भी प्रीमियम काटा लेकिन बीमित राशि कहीं से भी आज तक किसानों को नहीं मिली है।

श्याम/चौहान 16.07.2009 17.20 **3g**

उस समय रबी की फसल सरसों और गेहूं की प्रमुख रूप से थी, गेहूं की पानी के अभाव में खत्म हो गयी और सरसों की उस समय सर्दी पड़ने से खत्म हो गयी। दूसरी तरफ ग्राम सेवा सहकारी समितियां ग्राम पंचायत मुख्यालय पर इस बात के समर्थन के साथ हम भी चाहते हैं खोली जायें, उससे आम किसान व गरीब को आसानी से उचित मूल्य का राशन, किसान को खाद, बीज एवं अन्य जरूरत का सामान आसानी से उपलब्ध होगा। किसान को बीमा सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जायेगी, क्रेडिट कार्ड आसानी से उपलब्ध होगा और कृषकों को कृषि संबंधी जानकारियां आसानी से उपलब्ध हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करवाना चाहता हूं कि सहकारी समितियों के माध्यम से जो रासायनिक खाद की आपूर्ति ग्रामीण एरिये में की जाती है वह बहुत ही कम मात्रा में वहां पहुंचती है, इससे किसानों में आपस में एक टकराव जैसी स्थिति बन जाती है। उनको सही व प्रचुर मात्रा में खाद नहीं मिलने

से निजी खाद आपूर्तिकर्ता से ऊंचे दामों में लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिससे कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिलता है और प्रभावशाली लोग किसानों को गुमराह करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर भी ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूं कि सहकारी समितियों के माध्यम से 2000 के बाद बीपीएल परिवारों के जो राशनकार्ड बने हुए हैं अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को छोड़ दिया जाये उन्हें दूसरे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है, इसलिए पूर्व में जो एपीएल और बीपीएल परिवारों को चीनी, चाय, नमक, कपड़ा, केरोसीन, गेहूं वगैरह जो मिलता था, मैं समझता हूं कि वर्तमान में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में यह लागू किया जाये जो की आज एक बहुत बड़ी कमी के रूप में हमारे सामने आया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि सबसे जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं को सहकारी समितियों द्वारा उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं करवाया जाता है जिससे बाजार से ऊंचे दामों पर यह सब चीजें मजबूरीवश आम किसान और गरीब को खरीदनी पड़ती है। अतः सहकारी समितियों के माध्यम से दैनिक उपभोग की चीजों को अगर चालू करवाया जाये तो मैं समझता हूं कि सहकारिता का महत्व और ज्यादा बढ़ जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। सुश्री सिद्दी कुमारी।

सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हास्पिटल में पूरे प्रदेश सहित राज्य के नजदीकी राज्यों पंजाब, हरियाणा के बीमार व्यक्ति ईलाज के लिए आते हैं। पीबीएम हास्पिटल में सभी ईलाज की सुविधाओं के बावजूद अनेक असुविधाएं हैं।

श्री अध्यक्षः काहे पर बोल रही हैं।

सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर): सहकारिता पर।

श्री अध्यक्षः सहकारिता ...(व्यवधान)... ठीक है, ठीक है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपभोक्ता भंडार हैं।

सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि बीकानेर में पीबीएम हास्पिटल के मुख्य द्वार के सामने होलसेल भंडार की दुकानें खुली हैं तथा लाइफ सेविंग की भी दुकानें हैं। पीबीएम हास्पिटल में अनेक विभाग बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, एक तरफ बच्चा हास्पिटल, प्रसूति हास्पिटल, पुरूषों के हास्पिटल वहीं दूसरी ओर कैंसर, आई, वृद्वजन, चर्म और टी.बी. के हास्पिटल हैं। इस स्थिति में प्रसूति, बच्चा, कैंसर, टी.बी. हास्पिटल के मरीजों को पीबीएम के मुख्य गेट के पास दवाइयां लेने और ले जाने में बहुत ही मुश्किल होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि पीबीएम हास्पिटल कैम्प्स में प्रसूति, बच्चा, कैंसर, कार्डियोलॉजी और टी.बी. हास्पिटल के पास सहकारी भंडार की दुकानें खोली जायें जिससे मरीजों और मरीजों के साथ आने वाले लोगों को राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि पीबीएम हास्पिटल में सहकारी भंडार की इन दुकानों में बच्चा, प्रसूति तथा कैंसर हास्पिटल के पास रात्रिकालीन दुकानों का होना भी अनिवार्य है जिससे मरीजों के परिजनों को रात में दवाइयों के लिए इधर-उधर नहीं जाना पड़े और फर्जी दवाइयां ना लेकर आना पड़े और सही दवाइयां उनको पास में ही मिल जायें।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

उदयपुर की जावर माइंस में दुर्घटना

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि जावर माइन्स में अभी कोई दुर्घटना हुई है।

श्री अध्यक्ष: पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है, क्या है...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वहां कोई लिफ्ट गिर गयी है।

श्री अध्यक्ष: पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है, क्या है ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हां, बोलो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सरकार अपनी तरफ से पता लगाकर के बतायें कि कहीं कोई केजुअल्टी हुई है या केवल घायल ही हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ है, डेढ़ महीने में यह दूसरी बार है। पिछली बार भी एक डैथ हुई थी जावर माइन्स में मोतिया खान में और आज भी कोई लिफ्ट गिर गयी है। उसमें 9 लोग घायल हुए हैं, क्या स्थिति है, कुछ जानकारी करके दें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिली थी दोपहर को तो मैंने पता किया वहां कलेक्टर से बात करके तो कोई केजुअल्टी नहीं हुई थी, वह खुद वहां मौके पर जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: डॉ. राजकुमार शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बंशीधर जी का नाम था।

श्री अध्यक्ष: सॉरी, कोई बात नहीं इसके बाद ले लेंगे।

मांग संख्या 36 पर विचार

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 36 सहकारिता पर आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहूंगी कि जोधपुर में राजीव गांधी बहुत पुराना सहकारी भवन है और उसके आगे कोई तरक्की नहीं हुई है। उस सहकारी बाजार के माध्यम से लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है और न कोई वहां पर व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जिसमें हर वर्ग की 50 हजार की जनसंख्या निवास करती है, आपके माध्यम से राज्य सरकार से पुरजोर आग्रह करना चाहूंगी कि इस हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में महिला सहकारी समिति का गठन करके एक बाजार खोला जाये जिसका पूर्ण रूप से संचालन महिलाओं द्वारा किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सूरसागर क्षेत्र में, जोधपुर सहकारिता विभाग एक मात्र सहकारी भवन में काफी लंबे समय से चल रहा है परंतु संचालक और अधिकारियों की ढील के चलते व्यापार की अपार संभावनाओं के बावजूद जोधपुर के अन्य क्षेत्रों में सहकारी बाजार नहीं खोले जा रहे हैं जिसके कारण से सहकारिता विभाग का प्रचार अन्य क्षेत्रों में नहीं हो पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से मैं चुनी हुई हूं और जहां-जहां मैं जाती हूं वहां कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी उसके अंदर आ रहे हैं, वहां लोगों की इतनी शिकायतें रहती हैं कि सहाकरी बाजार में जायें और दवाइयों की दुकानें जहां हास्पिटल हैं, जैसे मथुरादास माथुर है, महात्मा गांधी है वहां बीपीएल, एपीएल के लोगों को दवाइयां या कुछ भी उनको व्यवस्था नहीं मिलती है। वह सिर्फ एनएसी दे देते हैं। वहां के दुकानदार उनको कोई दवाइयां नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहां ग्रामीण क्षेत्र में कुछ मध्यम श्रेणी की औरते जाती हैं, कुछ पेंशन होल्डर्स जाते हैं मगर उनको कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। मैं माननीय सदन के नेता से निवेदन करूंगी कि आप जब पहले मुख्यमंत्री थे तो उस समय आपने सहकारी भवन का नाम राजीव सहकारी भवन रखवाया, राजीव जी कह रहे थे, मेरे को अख़बार का कोई ध्यान तो नहीं आ रहा है, मगर एक बात उन्होंने कही थी जो सरकार का पैसा है वह 70-80 प्रतिशत तो लोग ही खत्म कर देते हैं, 20 प्रतिशत जनता को मिल रहा है। आज इस बात का वास्तव में उदाहरण है कि सहकारी बाजार में जो चीजें हैं, वहां के लोग हैं, वहां के जो चुने हुए अध्यक्ष वगैरह हैं, वहां सारा उन्होंने सफाया कर दिया है वह गरीब जनता को नहीं मिलती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से निवेदन करूंगी, मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि सहकारी बाजार का, सहकारिता का मतलब यह है कि शहर के अंदर

जहां कहीं गरीब तबके के लोग हों उनको लोन मिले, सहकारी उपभोक्ता बढ़ें, जगह-जगह इनका सामान सप्लाई हो, ऐसी कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे रोकना मत क्योंकि आप रोकेंगे तो मैं मेरी बात भूल जाऊंगी। मुझे वास्तव में जो पीड़ा है, मैं कोई बनावटी बात नहीं कहूंगी, मेरे को आप टोकना मत।

अध्यक्ष महोदय, मेरे को बड़ी चिंता और अफसोस हो रहा है कि महाप्रबंधक की कार्य पद्वति ऐसी है, मेरा थोड़ा ऑपरेशन किया हुआ है इसलिए थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा।

श्री अध्यक्षः किसका ऑपरेशन किया है महाप्रबंधक का?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आंखों का ऑपरेशन किया हुआ है ...(व्यवधान)...

jyg/usc/16.07.09/17.30/3h

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी कार्य पद्धति ऐसी है कि भण्डार की आय के साधनों पर ये कुठाराघात कर रहे हैं। लगने वाले मेलों और विशेष सेल काउण्टरों को बिना कारण बंद कर दिया जाता है, कोई कारण नहीं है फिर भी बंद कर देते हैं। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में एक भण्डार खुलने वाला था जिसके लिए करीब डेढ़ लाख रुपए का फर्नीचर लाया गया लेकिन उस फर्नीचर के लिए बता दिया गया कि वह चोरी हो गया। यदि चोरी हो गया तो एफ आई आर तो दर्ज करवाओ लेकिन एफ आई आर तक दर्ज नहीं करवाई गई और बता दिया गया कि चोरी हो गया। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मंत्रीजी कोई एक्शन करेंगे, ऐसा मैं मान रही हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि उक्त घोटालों की परतें जोधपुर से प्रकाशित एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में उघाड़ी जाने लगी तो जोधपुर उपभोक्ता सहकारी संघ भण्डार के महाप्रबन्धक एवं अध्यक्ष, उनकी सारी बात समाचार पत्र में आई, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनी और दोनों ही एक साथ बाहर विदेश घूमने चले गए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारी मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहती हूं कि जोधपुर उपभोक्ता सहकारी भण्डार में हुए बड़े स्तर पर हुए घोटाले एवं अनियमितताएं हुई हैं उनकी तीव्र एवं ठोस जांच कर दोषियों को कड़ी सज़ा देने की आपकी मंशा है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी, बी पी एल की सप्लाई को सीधे बाजारों में बेच देते हैं। इनका गेहूं वगैरह जो जाता है वह भी सीधा बाजारों में बेच देते हैं। गरीब जनता को कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ इनका नाममात्र ही है कि यह गेहूं इनका आ रहा है। ए पी एल का राशन, बी पी एल का राशन आ रहा है,

चीनी आ रही है, कुछ भी नहीं है, गरीब जनता को तो बिलकुल ही नहीं मिल रहा है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): प्रदेश की राजधानी जोधपुर ले जाओ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मथुरादास माथुर अस्पताल के मेडिकल काउण्टर जहां फार्मेसी में मनमाने ढंग से नियुक्तियां देने में महाप्रबन्धक रोटेशन से नियुक्तियां मुक्त रखकर मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं और कोई वहां देखने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से...।

श्री अध्यक्ष: किसके मन चाहे? जनता के मन चाहे काम कर रहे हैं?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जनता के मन चाहे काम करे तो हम यहां बोलते ही क्यों, यह बात आपको कहते ही क्यों? वह अपनी मर्जी आए वह कर रहे हैं, जनता की कर देते तो ऐसा कहने का कोई सवाल ही नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप ऐसे टोकेंगे तो मैं मेरी बात भूल जाऊंगी।

श्री अध्यक्ष: समय सीमा सीमित है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वास्तव में पैदल घूमती हूं, हर अस्पताल के अंदर महीने में दस दफा अस्पतालों का दौरा करती हूं तो मैं देखती हूं कि जिन पेंशनरों को दवाइयों की जरूरत है उनको दवाइयां नहीं देते हैं सिर्फ एन ओ सी देते हैं। मुझे पीड़ा है इसलिए मैं यह बात बता रही हूं। यहां तक कि वहां जो कर्मचारी हैं उन्होंने दवाइयों की फैक्ट्री खोल रखी है। दवाइयों की फैक्ट्री नाममात्र की खोली है, कोई पता-वता नहीं है, ऐसे ही खोल दी है और दवाइयां धड़ल्ले से दे रहे हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए। सदन के नेता से, सहकारी मंत्रीजी से मैं यह कहूंगी आप चाहेंगे तो मैं उनके नाम पते भी दे सकती हूं, मगर आपकी आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि आप कहेंगे कि यहां नहीं देना है।

श्री अध्यक्ष: बाद में दे देना, व्यक्तिगत रूप से बाद में शिकायत कर देना।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मगर मैं नाम नहीं लेना चाहती, वहां के अधिकारी इतने घोटाले कर रहे हैं उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहां के महाप्रबन्धक क्या, वहां के चेयरमैन क्या, वहां जहां-जहां सहकारी भण्डार है, वहां अपनी-अपनी फैक्ट्रियां खोल रखी है और सबको ऐसी दवाइयां दे रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दो मिनट ही नहीं बोलने दिया, आप बार-बार टोक देते हैं, मेरा फिर सारा इधर-उधर हो

जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वास्तविक बात मेरी भाषा में बोल देना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: उधर के माननीय सदस्य तीन दिन पहले भी टोक रहे थे कि जोधपुर ही जोधपुर की चर्चा हो रही है इसलिए मुझे संकोच है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जोधपुर का तो करेंगे। हमारे गर्व की बात है कि हमारी मुख्य मंत्रीजी जोधपुर के हैं। हम इनको कोई बात नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? पहले यह मुख्य मंत्रीजी थीं, इनको कह देते थे, आज यह हैं तो इनको कह देंगे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सदस्यों की चिंता यह थी कि सारा माल जोधपुर पहुंच गया पर आज मुख्य मंत्रीजी को तो बहनजी ने बरी कर दिया कि वहां भी यही सत्यानाश हो रहा है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): जोधपुर में जो भी उपभोक्ता सहकारी भण्डार हैं सारा उधर पहुंचा दो, इधर से पिण्ड छूट जाएगा और जोधपुर को सम्भालते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष: कुछ माननीय सदस्या, सिद्धि कुमारीजी ने बीकानेर के लिए भी कहा है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप ऐसा मत कहो सब लोग। मैं एक ही बात बताना चाहती हूं कि यह वह जोधपुर है जिसने पाँच-पाँच मुख्य मंत्री दिए हैं। ये जोधपुर के हैं और इन्होंने जोधपुर में कर दिया तो क्या कोई अहसान थोड़े किया है। जोधपुर ने पाँच-पाँच मुख्य मंत्री दिए हैं, अगर जोधपुर का विकास नहीं होगा तो कहां का होगा? जोधपुर को मुख्य मंत्री नहीं देते तो इन मुख्य मंत्रीजी ने भी तो विकास किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा चाहूंगी कि जो ऐसे अधिकारी हैं, जो फैक्ट्रियां लगाते आ रहे हैं, ऐसी दवाइयां बनाते हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए। मेरी पीड़ा है इसलिए कह रही हूं, यहां तक कह रही हूं कि मैं वहां पर जाती हूं तो कहते हैं, जीजी बाई, आप एम एल ए बन गई, मुझे तो कोई लोन नहीं देता, मैं दवा लेने जाऊं तो दुकान वाले मुझे पर्ची दे देते हैं एन ओ सी की कि दूसरी जगह की दुकान से ले लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से और सदन की नेता से यह चाहती हूं कि इस पर आप ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अब बची-खुची बात, फिर नम्बर जोधपुर का ही है। श्री ओम जोशी।

एक माननीय सदस्य: ...(व्यवधान)... पगां लागां।

श्री ओम जोशी (फलौदी): आशीर्वाद है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर पगा लागनां और आशीर्वाद देना, यह परम्परा कब से चालू हो गई? उन्होंने वहां से आशीर्वाद दे दिया।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): यह असली परम्परा सीखो।

श्री अध्यक्ष: यह परम्परा ...(व्यवधान)... में नहीं होगी, भाटियों में है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं संस्कार है, वहीं है।

श्री ओम जोशी (फलौदी): भारतीय संस्कृति जहां बसती है वहीं पर यह सब कुछ है। अगर उसको छोड़ देंगे तो पीछे कुछ नहीं रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता, मांग संख्या 36 पर चर्चा के लिए मुझे अवसर दिया और मेरा यह सौभाग्य है कि जब भी मुझे इस सदन में बोलने का मौका मिला तो सूर्यकान्ता जी, जो सूरसागर से पधारी हैं, जीजी हैं, उनके पश्चात् ही मिला है और यह पूरा समय लेकर जो बात कहनी होती है, पूरी कह देते हैं, मुझे कहने के लिए थोड़ा कम छोड़ती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत गांवों में बसता है और इस देश के गांवों की जो मुख्य धारा है वहां पंचायती राज और सहकारिता लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलालजी ने नागौर में 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज की स्थापना की। जैसा अभी माननीय सदस्य फरमा रहे थे, सहकारिता आंदोलन को एक विजन और दृष्टि देने का कार्य भी हमारी पूर्व प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलालजी का था। वह सोचते थे और कांग्रेस पार्टी स्वयं सोचती है कि सहकारिता और पंचायती राज के माध्यम से गांवों का विकास किया जा सकता है। इस ओर कदम बढ़ाए भी गए हैं और हर क्षेत्र में चाहे वह दुग्ध सहकारी संघ हो, चाहे महिला सहकारी संघ की बात हो चाहे ग्राम सहकारी आंदोलन को मजबूत करने की बात हो, इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी दृष्टि से जो सहकारिता अपने आप में गांवों की पहचान बन गई है। मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य यहां विराजे हुए हैं, उनमें से अधिकांश ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और कभी न कभी और कहीं न कहीं सहकारिता आंदोलन के साथ निश्चित रूप से जुड़ाव रहा है, उनके व्यक्तित्व का जो विकास हुआ है, उसमें सहकारिता और पंचायतीराज अहम और महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रही है। आज इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदैव की भांति चूंकि उनकी सोच गांवों की ओर विशेष रूप से है। महिलाओं की बात कहना, उस पर सुझाव देना और आलोचना करना, वह तो अलग बात है लेकिन कुछ कर दिखाना वह इस बजट में दिखाया गया है। पाँच सौ महिला सहकारी समितियों के लिए जो कुछ इसमें दिया गया वह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह महिलाओं का सहकारिता आंदोलन में सशक्तीकरण का श्रेष्ठ प्रयास है। सहकारिता के माध्यम से जो पी डी एस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है, उसको मजबूत किया जा सकता है। यह व्यवस्था पिछले कई वर्षों से सहकारिता के माध्यम से सफल हुई है, इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा महसूस हुआ है पिछले पाँच वर्षों में इस सहकारिता के क्षेत्र में इस विषय को गौण कर दिया गया है। पाँच वर्षों में सहकारिता के बारे में किसी प्रकार

की कोई चिंता नहीं की गई, शहरों का ही ख्याल रखा गया, जो भारत गांवों में बसता है, जिन गांवों में सहकारिता एक मुख्य विषय हुआ करता है, उसके संदर्भ में किसी प्रकार का कोई सोच नहीं रखा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं।

Gpc/akt/16072009/1740/3j

उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में चाहे इस राज्य का कोई कोना हो सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ करने की मंशा जाहिर की है और घोषणा की है। चर्चा हो रही थी चुनावों की चर्चा हो रही थी, वाहवाही लूटने की बात हो रही थी। मैं जो माननीय सदस्य बड़ी बुलंद आवाज से जोर से बोल रहे थे उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खेतसिंह जी राठौड़ जिनका नाम उन्होंने लिया कि वे केवलमात्र घोषणाएं करते थे मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनके जीवन के प्रत्येक कार्य में सहकारिता एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने सदैव सहकारिता को जीवित रखने के लिए शानदार प्रयत्न किये। (व्यवधान) हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के शासनकाल में पिछली बार 1998 से लेकर 2000 तक सहकारिता के संबंध में विशेष रूप से एक नया रूप देने के लिए, एक नवीन सहकारी सोच पैदा करने के लिए चिंतन किया गया, मंथन किया गया उसके लिए नियम बनाये गये और उन नियमों को पारित करके ऐतिहासिक कार्यवाही की गई और उसका यह परिणाम रहा कि उन नियमों के तहत चुनाव कराने की बात थी, लोग सोच रहे थे आने वाली सरकार चुनाव कराएगी, लेकिन दुर्भाग्य से जो 5 वर्ष बीते उस समय जो सरकार आयी, हम लोग नहीं बने, उस समय चुनाव की प्रक्रिया के प्रति खासतौर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह तो भला हो न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, उनके आदेशों के मुताबिक सहकारिता के क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं। अगर तत्कालीन सरकार को वाहवाही देने के कोशिश कर रहे थे वह कोशिश उचित नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछले लम्बे समय से जो सहकारिता और ग्रामीण विकास के बारे में, पंचायती राज के बारे में हमारी सरकार की सोच रही है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास निश्चित रूप से होगा। आज कांग्रेस और सहकारिता दोनों एक-दूसरे के पर्याय हैं। यह एक सोच बनी हुई है कि कांग्रेस ने सदैव सहकारिता को बढ़ावा दिया है और सहकारिता सबको साथ लेकर चलने की दृष्टि से कार्य करती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्रीजी जिस तरीके से ये गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमकर एक-एक विषय को स्वयं देखकर प्रतिपादित करते हैं उनको पता है कि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, धोरों की धरती में किस तरीके की समस्या है,

सहकारिता के क्षेत्र में क्या-क्या आवश्यकताएं हैं उन सब बातों को यहां पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं।

पहले पंचायत समिति के स्तर पर सहकारी निरीक्षक हुआ करते थे, उनके माध्यम से कई सूचनाएं सहकारी विभाग के संबंध में मिल जाती थीं। मैं आशा करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सहकारी समितियों के निरीक्षकों को पंचायत समिति स्तर पर नियुक्त किया जाता है तो इस आंदोलन को एक नई गति मिलेगी और जो यह सोच बतायी जा रही है कि सूचना का तंत्र कैसे विकसित हो तो सहकारिता की सूचना का तंत्र इस दृष्टि से विकसित किया जा सकता है।

पीडीएस सिस्टम को भी सहकारिता के माध्यम से सफल बना सकते हैं। जब बीपीएल, एपीएल गेहूं खाने की बात, यह सब बात आती है तो एक सामूहिक सोच के साथ में जो संस्था बनती है वह सदैव सभी लोगों के भले के लिए होती है और यह भी कोशिश निश्चित रूप से होती है, जब ऐसी एक संस्था का निर्माण होता है तो उसमें बेईमानी और भ्रष्टाचार की कम संभावनाएं रहती हैं, लेकिन जैसा कि बताया गया इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम है। मैं माननीय सदस्य महोदय की इस बात से सहमत हूं, लेकिन उसके ऊपर प्रभावी सरकारी नियंत्रण, प्रभावी कार्यवाही, जो लोग भ्रष्ट हैं, जो लोग सहकारिता आंदोलन को असफल करने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर सरकारी स्तर पर, अधिकारी स्तर पर जो एक निश्चित रूप से प्रभावी कार्यवाही होती है वह होनी चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा फलौदी, जो जोधपुर जिले का एक हिस्सा है वहां शहर में पीडीएस सिस्टम को सिस्टेमेटिक करने के लिए उपभोक्ता सहकारी होलसेल भण्डार स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए, धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधर खण्डेला।

श्री बंशीधर (खण्डेला): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता की मांग संख्या 36 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सहकारिता एक ऐसी संस्था है जो गांवों में गरीबों के लिए बहुत अच्छा साधन है। अभी आदरणीय बीकानेर जिले से आने वाले सबसे सीनियर सदस्य ने बताया था कि सहकारिता में एकाधिकार जमा हुआ है। यह बात सही है पिछली कई सरकारें आयी हैं तभी से इसमें एकाधिकार जमा हुआ है, लेकिन पिछले 5-7 साल से इसमें थोड़ा-बहुत एकाधिकार खत्म हुआ है। एकाधिकार का कारण यही है कि सहकारिता की सबसे नीची सीढ़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति जिसको जीएसएस बोलते हैं उसमें सदस्य बनने के लिए जो आदमी उसका अध्यक्ष होता है वह अपने ही आदमी को सहकारी समिति का सदस्य बनाता है इसलिए उसका एकाधिकार रहता है। इसमें ऐसी

सुविधाएं भी हुई हैं। अब एकाधिकार खत्म होने जा रहा है इसलिए यह बहुत अच्छी बात है।

सहकारिता में जितना भी काम किया जाए वो बहुत कम है। सहकारिता की माली हालत, जीएसएस की माली हालत अच्छी नहीं रहती है। मैं सरकार से, आदरणीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा सदन के नेता से निवेदन करूंगा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों की ऐसी व्यवस्था करें, उनकी माली हालत ठीक रहे जिससे वे किसानों की सेवा के लिए खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए शुद्धता के साथ सस्ती और शुद्ध मिल सके जिससे किसानों को खराब बीज, खराब दवाइयां, खराब खाद लेने का कोई मौका नहीं मिले। ऐसी व्यवस्था होती है तो सहकारिता का बहुत अच्छा अध्याय जुड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि सहकारिता के भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक इनमें काश्तकार लोन लेता है, लोन के लिए काश्तकार लोन लेने में बड़ा असमर्थ रहता है उसका कारण यह है कि बैंक और काश्तकार के बीच में एक बिचौलिये की कड़ी रहती है उस कड़ी को खत्म करने के लिए मैं यह चाहूंगा, सहकारिता मंत्रीजी से कि बैंकों में ऐसे साइन बोर्ड लगाये जाएं, सूचना पट्ट लगाये जाएं जिससे हर काश्तकार जो लोन लेने जाएगा उसको यह महसूस हो कि मुझे यह खानापूर्ति करते ही लोन मिल जाएगा। यदि यह खानापूर्ति करने के साथ वह लोन की एप्लीकेशन फाइल करेगा उसके लिए भी उसको वहां रजिस्ट्रेशन नम्बर होना चाहिए जिससे संबंधित अधिकारी यह पाबंद हो जाएगा कि उसको लोन देना ही पड़ेगा। ऐसी सूचनाएं होने के कारण पारदर्शिता होगी। इस पारदर्शिता के कारण बिचौलियों का काम खत्म हो जाएगा और किसान को अपना लोन एक निश्चित अवधि में, निश्चित कार्य के लिए आराम से मिल जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि लोन मिलते टाइम किसान अपनी जमीन गिरवी रखता है फिर भी उसको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है। ऐसी व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? किसान अपनी जमीन गिरवी रखता है तो उसका लोन हंड्रेड परसेंट सिक्योर है। ऐसी परिस्थिति में कम से कम खानापूर्ति होनी चाहिए और उसको आराम से ऋण मिलना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो काश्तकार समय पर ऋण चुकाते हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए प्रोत्साहन राशि के संबंध में कि जो काश्तकार समय पर ऋण चुकाएगा उसको राज्य सरकार प्रोत्साहन के रूप में यह राशि देगी जिससे किसान डिफाल्टर नहीं हो, चोर न बन सके, आगे उसके मन में यह नहीं आये कि मैं लोन नहीं चुकाऊंगा और वह समय पर रिपेमेंट करता है उसके बाद सहकारी संस्था द्वारा आधा परसेंट, एक परसेंट ब्याज की दर कम लगनी चाहिए जिससे किसान

अपने आपको यह समझे कि मैं बहुत अच्छा करदाता हूं, समय पर ऋण चुकाता हूं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनको ऋण के लिए प्रोत्साहन राशि के संबंध में सरकार को सोचना चाहिए।

सहकारिता के चुनाव के संबंध में एक छोटी सी बात यह बताना चाहूंगा 15 तारीख से सहकारिता के चुनाव चालू हो गये। सहकारिता के चुनाव कई सालों से बंद थे, ये चालू हो गये। सहकारिता के चुनाव हों या किसी के भी चुनाव हों उसमें पारदर्शिता होती है और सारे एक ही समान चुनाव होते हैं, कहीं दो नीतियां नहीं होती हैं। मुझे यह महसूस हो रहा है 15 तारीख से चुनाव का कार्यक्रम चालू हो गया है, मगर सीकर जिले के अंदर चार क्रय-विक्रय सहकारी समितियां चुनाव लड़ने लायक मौके में हैं, उन चार में से तीन की प्रक्रिया चालू है, लेकिन सीकर जिले में सीकर क्रय-विक्रय सहकारी समिति की चुनाव की प्रक्रिया अभी तक चालू नहीं हुई। इसलिए सरकार की ऐसी मंशा लगती है कि वहां चुनावों की कोई दोहरी नीति अपनायी जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए।

मोहन/16072009/1750/**3k**

सीकर जिले के सीकर गृह सहकारी समिति के चुनाव की प्रक्रिया चालू क्यों नहीं हुई? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा ऋण माफी के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने जो किसानों को ऋण माफ किया था उसके अन्दर अभी तक मैंने क्वेश्चन उठाया था, उस क्वेश्चन के बाद में सीकर जिले में केवल 279 लोगों को ऋण दिया गया है दुबारा, क्यों नहीं आज 6 महीने हो गये, किसानों के ऋण माफ किये गये? उन किसानों को इतने दिन बाद में ऋण क्यों दिया गया? उस संबंधित अधिकारी के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? क्वेश्चन उठाते हैं उसके बाद तो ऋण देते हैं और आज इसके अलावा जिन किसानों का कुछ ऋण माफ हुआ था।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट और। उनको अभी तक वापस एक भी किसान को ऋण नहीं दिया गया है। यह सरकारी तंत्र सहकारिता को चलाने में बहुत बड़ी बाधा की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा। इसके अन्तर्गत किसानों को जो ऋण दिया जाता है उसमें आनन-फानन में ऋण अस्वीकार करके भेज दिये जाते हैं जिससे किसानों को बड़ी असुविधा होती है। मैं, अध्यक्ष महोदय, एक चीज और कहना चाहूंगा, गरीब जहां बसता है, गरीब कालोनियां हैं वहां सहकारिता के माध्यम से सहकारिता उपभोक्ता भण्डार खोलने चाहिए जिससे सहकारिता को आय हो और गरीब

जनता को शुद्ध और कम कीमत पर वस्तुएं मिल सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हर हास्पिटल में एक सरकारी सहकारी की दुकान होनी चाहिए

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जिससे, मरीज को कम से कम। एक मिनट और।

श्री अध्यक्षः समय एक मिनट, समय बढ़ाने के लिए, एक मिनट रूकें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या आधा घंटा होता है? यह क्या मजाक है? ......(व्यवधान)...... मत बढ़ाओ, मजाक ही बना लो न, इस हाउस को ......(व्यवधान)...... यह क्या बात हुई? यह पहली बार इस प्रकार का व्यवहार देख रहा हूं मैं ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्षः कृपाया बिराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह क्या बात हुई? नहीं, नहीं, यह गलत बात है।

श्री अध्यक्षः नहीं, नहीं, बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है? खैरात बांट रहे हैं? आधा घंटा बढ़ा रहे हैं, 15 मिनट बढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः और बढ़ जाएगा, बैठिए, बैठिए, बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आज तक हुआ है इस सदन में।

श्री अध्यक्षः बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, मैं बैठता हूं। अध्यक्ष महोदय, पर यह सदन का मजाक बना दिया।

श्री अध्यक्षः आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आधा घंटा, 15 मिनट, 2 मिनट मत बढ़ाओ न ? क्या बात हुई? डिमांड पारित होने तक बढ़ाते हैं तो आप।

श्री अध्यक्षः कृपया बिराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लीजिए। हमेशा जब सदन में डिमांड पर चर्चा होती है, डिमांड पारित होने तक बढ़ाते हैं तो आप इसका प्रस्ताव करिए, हम साथ दे रहे हैं, बैठे हैं, बहस कर रहे हैं, इसमें टाइम क्या करटेल कर रहे हैं? क्या प्रलय हो रहा है? ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्षः कृपया बिराजें ......(व्यवधान)......

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप इसको पारित नहीं करवाना चाहते हैं क्या? आधे घंटे में मंत्री महोदय जवाब भी दे देंगे क्या ? क्या बात है?

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजें ......(व्यवधान)...... सदन का समय ......(व्यवधान)...... एक बार शांति तो रखें ......(व्यवधान)...... सदन का समय आधा घंटे के लिए बढ़ाया गया, एक बार इंतजार करें ......(व्यवधान)...... कोई उठ कर के जा नहीं रहा है ......(व्यवधान)......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप इसका मजाक बना रहे हैं ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: जब आया है प्रस्ताव, बढ़ जाएगा, बैठिए आप, प्लीज बैठिए, ...(व्यवधान)......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या है सदन का समय ......(व्यवधान)......

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार की मंशा सदन को चलाने की नाहीं है तो नहीं है ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। ......(व्यवधान)...... कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह तो बिलकुल ही बुरी बात है, इससे बुरी क्या बात हो सकती है ......(व्यवधान)...... आधा घंटा समय बढ़ाया है ......(व्यवधान)......

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्पराएं पड़ जाएंगी ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें ......(व्यवधान)......

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को रिप्लाई के लिए समय देंगे और मेम्बर्स को बोलने के लिए समय की आवश्यकता है ......(व्यवधान)......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाए ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: कृपया शुरू करें। ......(व्यवधान)......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कराइए मतदान, यह क्या बात हुई ? ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: अपनी बात को समाप्त करें ......(व्यवधान)......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने प्रस्ताव रखा है अध्यक्ष महोदय ......(व्यवधान)......

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसको रिजेक्ट कराएं ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: कृपया शुरू करें। ......(व्यवधान)......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं । नहीं चलेगा। यह बिलकुल नहीं। मैंने प्रस्ताव रखा है, आप मतदान कराइए, मत बढ़ाइए समय ......(व्यवधान)...... यह क्या बात हुई?

श्री अध्यक्ष: एक घंटे का प्रस्ताव आते ही आप दो घंटे का रख देते हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, रखना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: पहले भी ऐसा हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम बोलना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा को समाप्त होने दीजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रस्ताव है कि मांग संख्या-36 पास होने तक बढ़ाया जाता है वरना आधे घंटे का झगड़ा होगा, न एक घंटे का झगड़ा होगा ......(व्यवधान)......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बहुत बार बढ़ाना पड़ता है समय ......(व्यवधान)......

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह रिजेक्ट हो जाए ......(व्यवधान)......

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेम्बर्स जो बोला रहे हैं उनको समय दें। मेम्बर्स को बोलना ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: कृपया चर्चा को समाप्त होने दीजिए ......(व्यवधान)......

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, डिबेट होनी चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): घंटी बजाओ मतदान की।

श्री अध्यक्ष: तो सारे लोगों का बोलना संभव नहीं होगा ......(व्यवधान)......

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह सरकार कितनी गंभीर है सहकारिता पर बहस कराने में, राजस्थान के आम लोगों को मालूम है। ......(व्यवधान)......

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सहकारिता एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, इसमें ही मेम्बर्स को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा ......(व्यवधान)......

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 8-8, 9-9 बजे तक सदन चलता है ......(व्यवधान)...... माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग उठा कर देख लो, आप पहलपे प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लें, अध्यक्ष महोदय। ......(व्यवधान)......

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदन को चला रहे हैं, अच्छे से और पूरा सुन रहे हैं ......(व्यवधान)......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव रखा है कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए, आसन जैसे उन पर मतदान कराया है, मेरे विषय पर भी मतदान कराएं। यह नियम है, यह कोई नियम नहीं है कि सदन का समय बढ़ाने का

प्रस्ताव मुख्य सचेतक ही रखें, हम भी रख सकते हैं सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव, समय बढ़ाया जाए और मैंने प्रस्ताव रखा है, मेरे प्रस्ताव पर वोट कराया जाए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सदन का समय बढ़ाया जाए, मेम्बर्स को बोलने का अवसर दिया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों के बाद आज सदन ठीक प्रकार से चल रहा है। हर माननीय सदस्य जो नया आया है वह अपने विचार रखना चाहता है, काफी प्रयास के बाद तो अब एक नार्मल स्थिति बनी है और इस नार्मल स्थिति में मैं पूछता हूं कि अगर आप समय बढ़ाएंगे तो जितने माननीय सदस्य आपको एक को भी बिठाना नहीं पडा, प्रारंभ के अलावा हर आदमी तुरंत समाप्त करके बैठ रहा है, लोगों के बोलने की इच्छा है, निश्चित रूप से समय बढ़ाना चाहिए और पुराना भी इतिहास यही है कि हमको मांग पास करनी है। कई बार रात के 12-12, 1-1 बजे हैं।

श्री अध्यक्ष: तो उठ कर थोड़े ही चले जा रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): और इस बार सदन बिलकुल चला नहीं है।

श्री अध्यक्ष: तो उठ कर के थोड़े ही चले जा रहे हैं ? ......(व्यवधान)...... उठ कर के थोड़े ही चले जा रहे हैं ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, नहीं, कोई उठ कर नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मजाक बना दिया इसको।

श्री अध्यक्ष: उठ कर के थोड़े ही चले जा रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, नहीं, कोई उठ कर नहीं, हमेशा कई बार 40-40 संख्या रह जाती है, 35-35 संख्या रह जाती है, उसके बाद भी 12 बजे तक सदन चला है ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: श्री आजाद।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जब इतनी अच्छी चर्चा हो रही है तो माननीय अध्यक्ष महोदय ......(व्यवधान)......

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इस पर सभी माननीय सदस्यों की राय आनी चाहिए ......(व्यवधान)......

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए नहीं बढ़ाया जाय। ......(व्यवधान)......

एक माननीय सदस्य: यह अभी इनको सिखाओ तो सही यह प्राइवेट मेम्बर डे ......(व्यवधान)......

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता बैठे हैं ......(व्यवधान)......

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नये सदस्यों को बोलने का अवसर मिलेगा, समय अच्छा बढ़ेगा तो ......(व्यवधान)......

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मंतव्य कहीं से भी यह नहीं है कि सदन की कार्यवाही जल्दी पूर्ण हो। क्योंकि माननीय सदस्य अपनी बात को बहुत कम शब्दों में पूर्ण कर रहे थे इसलिए मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था समय को आधे घंटे बढ़ाने का। यह मांग अगर जारी रहेगी तो व्यवस्था जैसी ......(व्यवधान)......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह मजाक है इसके साथ। क्या बात हुई ......(व्यवधान)...... यह क्या मजाक है इसमें ......(व्यवधान)......

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुख्य मंत्री जी यह सौहाद्र नहीं ......(व्यवधान)...... समय बढ़ाने के लिए हमको हाउस में मांग करनी पड़े, दुर्भाग्य है ......(व्यवधान)......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जब समय बढ़ेगा, सदन में बहस होगी, हम बहस करेंगे, यह थोड़े ही है कि आप बहस नहीं करने देंगे सदन में। ......(व्यवधान)......

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): नहीं, कोई आपत्ति है किसी को, आपत्ति नहीं है, समय बढ़ रहा है, बढ़ेगा ......(व्यवधान)......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमको आपत्ति है। मैंने प्रस्ताव रखा है दो घंटे बढ़ाया जाए, वोट कराइए इस पर ......(व्यवधान)......

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): यही लोग बोलेंगे, यही कहेंगे, 6 बजे से देख रहे हैं। दूसरे आदमी को बोलने नहीं दे रहे हैं, हमको भी जनता ने भेजा है यहां पर अपनी बात को रखने के लिए, उनकी बात कहने के लिए क्या समझ रखा है सदन को उन्होंने ......(व्यवधान)...... हर दो मिनट में बोल लेते हैं और 6 महीने से बोल रहे हैं ......(व्यवधान)......

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी गंभीरता से निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। कृपया आप बैठें ......(व्यवधान)...... कृपया आप बिराजें ......(व्यवधान)......

क्या सहकारिता विभाग से संबंधित चर्चा के बाद मांग पूरी होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पूरी होने तक बढ़ाया गया।

फिर माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुन लीजिए आप मेरी बात को ......(व्यवधान)...... आप तो और भी गुस्से से बोलते हो। मैं जो कह रहा हूं, सुनिए

लेकिन माननीय सदस्यों को समयाभाव को देखते हुए समय सीमा में अपनी बात कहनी होगी। समय केवल बोलने के लिए बढ़ाया जाए, यह संभव नहीं हो पाएगा। मेरा स्पष्ट निवेदन है ......(व्यवधान)......

श्री श्रवण कुमार। समाप्त करिए, समाप्त करिए। कृपया शांति रखिए। ......(व्यवधान)......

एक माननीय सदस्य: यह तो बोलना ही नहीं चाहते ......(व्यवधान)......

Skp/akt/16.7.2009/18.00/3l

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश त्रिवेदी।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 36 सहकारिता....

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): .... पर जो चर्चा हो रही है, सहकारिता आंदोलन की जो बड़ी-बड़ी बातें हो रही थीं, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे हिन्दुस्तान की संस्कृति और प्राचीन संस्कृति सहकारिता के ऊपर ही और संस्कृति के ऊपर ही टिकी हुई है और सहकारिता आंदोलन चले लेकिन सहकारिता एक्ट आजादी के बाद बने हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मामले में, मार्केटिंग के मामले में माननीय सदस्य बड़े जोर-जोर से कह रहे थे, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले पाँच साल में आपने कितनी तो सहकारी समितियां बढ़ाईं और कितने मार्केटिंग के गठन किये? चुनाव भी आप पूरे नहीं करा पाये, वो आने वाली सरकार अब चुनाव की घोषणा करके चुनावों को सम्पन्न करवाने का काम बड़े तजुर्बे से कर रही है। क्यो? क्योंकि हमारी पार्टी की नीतियां सदैव सहकारिता में विश्वास करती आई हैं। आज के पूर्व के सदन में, मेरे क्षेत्र में भी कांग्रेस शासनकाल में 1984 में गंगापुर को-आपरेटिव स्पीनिंग मिल लगा। 2004 में वो मिल बंद होने की स्थिति में था, फरमान भी जारी हो गये थे, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया और इस सदन में भी उठाया। आपने मंत्रिमण्डल की एक कमेटी गठित की, कमेटी गठित करके एससीडीसी से, दिल्ली से टफ योजना सैंक्शन कराई और टफ योजना जो आपने तीनों मिलों के लिए सैंक्शन कराई जिसमें गंगापुर भी था, हनुमानगढ़ भी था और गुलाबपुरा भी था। 2004 में आपने टफ योजना सैंक्शन कराई और 1984 की मिल की मशीनों के माडर्नाइजेशन के लिए जो भारत सरकार ने आपको पैसा दिया और भारत सरकार ने जो पैसा दिया उस पैसे का आज तक कोई सदुपयोग नहीं हो पाया। आपने 15 करोड़ रुपये सिर्फ गंगापुर मिल को दिये 23 करोड़ के अगेंस्ट में और 15 करोड़ रुपये की

हालत यह हुई कि पिछले 4 साल से धीरे-धीरे 4 मशीनें आपने डाली और जो मैन रिमफ्रेम स्पेंडल जो उत्पादन बढ़ाने वाली मशीनें थीं, आज तक उन मिलों में, तीनों मिलों में नहीं लग पाई और 4 साल में नहीं लग पाने से न तो उनकी उत्पादन की क्षमता बढ़ी और न वो माडर्नाइजेशन की श्रेणी में आईं। माडर्नाइजेशन की श्रेणी में नहीं आने से आज भारत और विश्व की इस मंदी के दौर में वो मिल टिक नहीं पा रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आपको 2008 में ही अप्रेल माह में भारत सरकार ने पैसा रिलीज कर दिया था और आपके पैसा रिलीज करते ही इन मिलों के लिए मशीनों के खरीदने के आदेश अप्रेल में ही एडवांस 51 लाख रुपये गंगापुर मिल ने भी दे दिये थे लेकिन आप द्वारा पैसा रिलीज नहीं करने से वो मिल आज रूग्णावस्था में पड़ी हुई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आपने, पूर्ववर्ती सरकार ने मजदूरों से एमओयू कर लिया। सरकार ने मजदूरों से एमओयू करके एमसीडीसी योजना लागू की। मजदूर आज अपने इन्क्रीमेंट नहीं ले रहे, वेतन की कटौतियां करा रहे हैं लेकिन मिल आज प्रोफिट में नहीं चल रही है। मेरा यह निवेदन है कि आप जो टफ का पैसा है वह बकाया तीनों ही मिलों को दिया जाए और 4 साल में अगर दो साल पहले वो माडर्नाइजेशन हो जाती तो लागत कम आती और अब जो 13 करोड़ रुपये जो एक्सेस माडर्नाइजेशन के हैं, आप 5 साल में नहीं कर पाये तो अब करने में 13 करोड़ रुपये जो अधिक खर्च होंगे....

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मेरा यह अनुरोध है कि यह माडर्नाइजेशन का पैसा रिलीज करें क्योंकि इन तीनों मिलों का माल विदेशों में जा रहा है, एक्साइज ड्यूटी मिल रही है, राज्य सरकार को टैक्स मिल रहा है। आज गंगापुर मिल की स्थिति यह है कि वहां 26 हजार रुपये का प्रतिदिन घाटा है। उसमें 23 हजार रुपये तो राज्य सरकार के लिये हुए ऋणों का वो भुगतान कर रही है, सिर्फ 3 हजार रुपये का ही उस मिल को घाटा है। अगर ये माडर्नाइजेशन की मशीनें लगती हैं तो निश्चित तौर पर यह सरकारिता की सारी मिलें जो सरकार की हैं वो प्रोफिट में चलेंगी।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): और सरकार को इससे लाभ होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सहकारिता के ऊपर बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद है। नये सदस्य जो हमेशा मुंह ताकते रहते हैं कि हमारा भी कहीं नम्बर आयेगा, आपने मुझे समय दिया है। हमारा बजट के ऊपर भी बहुत कुछ तैयारी करके बोलने का मौका था लेकिन निकाल दिया।

अभी सहकारिता के जिस विषय के ऊपर जो बात चल रही है, अजमेर जिले में सहकारिता के अन्दर एक केन्द्रीय सहकारी बैंक, को-आपरेटिव बैंक की शाखाएं चल रही हैं उसमें सहकारी बैंकों का 13वें वेतन समझौता प्रपत्र के बावजूद अजमेर बैंक को-आपरेटिव बैंक कर्मचारियों को उससे वंचित रखा गया है व ऐसा क्यों हुआ है? पूरे राजस्थान में इसी जिले के बैंक के साथ में जो भेदभाव हुआ है उसको आप थोड़ा देखें कि उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ है। 1.1.2004 को उनका जो समझौता हुआ था उसके तहत इस बैंक को वंचित रखा गया उसको भी आप देखें।

सहकारिता और काश्तकार का रिश्ता एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। सहकारिता के अन्दर जिस प्रकार से हमारे सहकारी बैंक कमजोर चल रहे हैं उसके पीछे जो काश्तकार हैं उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। काश्तकार की स्थिति पिछले 10 साल से ऐसी दयनीय स्थिति हो रखी है कि उनको दो जून का चूल्हा जलाना हर काश्तकार के लिए बड़ा असम्भव है। सरकार ने हमेशा गरीबों के उत्थान की जो मोटी-मोटी बातें कही हैं उसमें कर्मचारियों का पैसा बढ़ाया है, किसी का भत्ता बढ़ाया है, किसी का टीए, डीए बढ़ाया है, किसी का वेतन बढ़ाया है लेकिन उनके ऊपर कभी भी नजर नहीं उठाई, उनकी ओर कभी भी नहीं देखा गया। उन काश्तकारों का जिनके कोई पेमेंट नहीं आता है, जिनके किसी प्रकार की पेंशन नहीं आती है, वह बैठा रहता है तो सिर्फ भगवान के ऊपर आश्रित है कि बरसात बरसेगी और काश्तकार की खेती पैदा होगी तब जाकर के उसके घर में आराम से दो जून की रोटी मिलेगी और उस सहकारिता को बराबर का कर्ज चुका देगा। काश्तकारों की पिछले 10 सालों से ऐसी बुरी हालत हो रखी है कि जो पिछली सरकार ने लोन माफी की है उस लोन माफी का फायदा भी उन काश्तकारों को नहीं मिला है, उसको भी दिलाया जाए। कई लोगों को जो खाद-बीज का लोन दिया गया, खाद बीज के लोन के ऊपर वहां कर्मचारी स्थायी रूप से जो लगे हुए हैं, जिस प्रकार दूसरे डिपार्टमेंट में आप हमेशा टाइम से उन कर्मचारियों का परिवर्तन, समय पर बदली कर देते हैं तो वो स्थायी नहीं माने जाते हैं, वहां पर वो आज तक इस सहकारिता के अन्दर जो स्थायी कर्मचारी वहां लगे हुए हैं, समझो बैंक के मालिक वो ही हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे कर्मचारियों को टाइम से आगे से आगे थोड़े समय पर बदली करें ताकि उन काश्तकारों को राहत मिले। वो कर्मचारी काश्तकारों को लोन देने के टाइम पर उनसे जो नये-पुराने के नाम पर वापस टाइम पर लोन नहीं चुका पाने के नाम पर, नये-पुराने के नाम पर उसके घर पर पहुंच जाते हैं और उनसे साइन कराकर के फर्जीवाड़े के हिसाब से काश्तकार को दबाकर जाते हैं इसलिए वह काश्तकार कभी ऊपर उबरने का नाम नहीं ले सकता है। इसका मुख्य कारण एक है कि वो कर्मचारी वहां स्थायी रूप से लगे हुए हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उन काश्तकारों की माली हालत बढ़े उनके ऊपर भी कभी नजर उठाना चाहिए। बजट

के अन्दर भी उन काश्तकारों को नजरअंदाज किया गया है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) उसमें भी मेरा सरकार से निवेदन है कि उन काश्तकारों के ऊपर भी ध्यान दें।

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आज ही तो मौका मिला है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः मुझे समय का भी ध्यान रखना है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): चलो साहब धन्यवाद। आपकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।

vkj/akt/16072009/1810/3m

श्री अध्यक्षः श्री पदमा राम।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सहकारिता विभाग की मांग संख्या-36 के ऊपर मैं वाद-विवाद के रूप में दो शब्द प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं इस विधान सभा में फर्स्ट बार चुनकर आया हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता आन्दोलन गांव और किसानों के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान काम आता है। सहकारी आन्दोलन के अन्दर ग्राम सेवा सहकारी समिति ग्रामीण किसानों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। किसानों को अपनी आवश्यकता के आधार पर हर तरह का ऋण सहकारिता आन्दोलन के ऊपर ही मिलता है। किसान अपनी खेती के लिए, कृषि कनेक्शन के लिए और ट्रैक्टरों के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति से और को-आपरेटिव बैंक से ऋण के रूप में लेते हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मंत्रीजी ने महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 500 महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों की घोषणा की है। उसके अन्दर पाँच करोड़ रुपये की सहायता का अनुदान दिया है। को-आपरेटिव बैंक और को-आपरेटिव को मजबूत बनाने के लिए 78.13 लाख रुपये की जो समग्र सहकारी विकास समिति का प्रावधान रखा है, यह गांव के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। को-आपरेटिव बैंक को सक्षम बनाने में उनकी 300 शाखाओं के लिए कम्प्यूटरीकरण की योजना लागू की है, इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के अन्दर काम करने वाले व्यवस्थापक जो कई सालों से सेवा

नियम और अपने वेतन के लिए तरस रहे हैं, इसलिए मेरा निवेदन हैकि ग्राम सेवा सहकारी समिति को मजबूत बनाने के लिए, सहकारी आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति को मजबूत बनाना जरूरी है इसलिए मेरा आपसे निवेदन हे कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों के सेवा नियम बनाये जाये और उसको स्थाई बनाया जाये जिससे किसानों का और गांव के हर किसान का विकास होगा।

श्रीमान् जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बाड़मेर जिले के अन्दर कृषि बीमा योजना लागू की है, मौसमी कृषि बीमा योजना, जो हमारी रेतीली धरती के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए बाड़मेर जिले के अन्दर रबी की फसल के अन्दर साधारण बीमा योजना लागू करें तो किसानों को सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम सेवा सहकारी समिति को सुदृढ़ करने के लिए किसानों की 50,000 साक्षियां बनाई गई हैं, उसके स्थान पर 60,000 रुपये का ऋण दिया जाये तो किसानों को उसके खेती कार्य के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

सहकारी आन्दोलन के अन्दर ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा उचित मूल्य की दुकान के रूप में, खाद के रूप में जो किसान को उपयोगी साधन खरीदने के लिए सस्ती दर पर उपलब्ध कराते हैं, यह बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय बैंकों के अन्दर जो कई साल पुरानी ग्राम सेवा सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन होता था और पंचायत नई हो गई हैं, उनका क्षेत्र बढ़ गया है, इसलिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की जाये तो हर किसान को अपना ऋण उपलब्ध कराने के लिए सुविधा रहती है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनीता सिंह।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-36 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग की मांगों पर चर्चा हो रही है, मेरा आपसे निवेदन है कि जो सहकारी निर्माण की आवश्यकता हुई या उसका उद्देश्य है, वह किसान को, गरीब को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की है क्योंकि किसान और गरीब जब भी आशा भरी दृष्टि से देखता है तो या तो ईश्वर की ओर देखता है या सरकार की ओर देखता है कि इनसे कब उसको सहायता मिलेगी, कब उसका आशीर्वाद मिलेगा तब जाकर ही उसके जीवन में खुशियां आ सकती हैं। आज इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस भी होता है, यह जो सहकारी आन्दोलन इस देश की जनता ने बनाया था, यह सहकारी आन्दोलन जो एक सरकारी आन्दोलन का रूप लेता जा रहा है। जब हमारा किसान आज अपने ऋणों के लिए बैंक में जाता है, सरकारी समितियों के पास जाता है तो उसको इतने चक्कर लगाने

पड़ते हैं, बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी फोर्मेलिटीज उसके सामने रख देते हैं और जब उसके फार्म को ले लेते हैं तो उस समय वह नहीं जानता है कि कब तक और कितने समय में उसके ऋण को वह स्वीकृत कर देंगे, कब उसका लोन स्वीकृत होगा, कब जाकर उसको लोन मिल पायेगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आती हूं वहां पर डार्क-जोन घोषित किया हुआ है। जहां डार्क-जोन घोषित कर देते हैं, वहां पर हमारे जो सहकारी बैंक हैं, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं, इन्होंने एक आम बात बना रखी है यहां पर, कृषि यंत्रों पर हम किसानों को लोन नहीं देंगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि डार्क-जोन का एक मतलब तो मेरी समझ में बहुत अच्छे से आता है कि डार्क-जोन का मतलब है कि जमीन में जो पानी है, उसको निकालने के लिए आप कोई सहायता नहीं देंगे लेकिन उसके बावजूद भी जो कृषि कार्य हैं, उसके लिए ट्रैक्टर के लिए, थ्रेशर के लिए लोन किसान को मिलना चाहिए ताकि वह अपने स्वावलम्बन की ओर बढ़ सके। हमारे राज्य में हमारे देश के 80 प्रतिशत किसान रहते हैं और जिस जिले से मैं यहां आती हूं, वहां उस जिले के किसानों का खेती ही सबसे पहला और मुख्य रोजगार है, वह किसानों का खेती का ही है। वहां पर अगर उसको आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलम्बी उसको बनाना है तो उसको उसके रोजगार के लिए लोन उसको अधिक मात्रा में कम पर्सेन्टेज पर दिया जाये, जैसा और राज्यों में चार प्रतिशत पर दिया जाता है, इसी प्रकार हमारे राजस्थान में भी चार प्रतिशत पर उसको देना चाहिए।

मैं निवेदन कर देना चाहती हूं कि प्रदेश में जो बहुत सारी सहकारी समितियों की जो महिलाओं की नागरिक बैंक समितियां हैं, जो बहुत अच्छे मुनाफे में चल रही हैं, जो बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं हमारे प्रदेश के अन्दर लेकिन उनको सहकारी बैंकों से और कोई लाभ या सहायता नहीं दी जाती है, इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं कि उनको भी, सहकारी समितियों से और क्रय-विक्रय सहकारी समितियों से लोन मिलना चाहिए ताकि उनका काम बहुत अच्छा और आगे बढ़ सके और उनको संबल मिल सके, उनको सहायता मिल सके।

मेरा एक निवेदन हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए भी है, मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहती हूं कि पाँच करोड़ रुपये का आपने बजट बनाया है महिलाओं के स्वावलम्बन के लिए, उसके लिए भी आपका धन्यवाद है लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन आपसे और भी है कि तीन करोड़ महिलाएं हमारे प्रदेश में रहती हैं और उनके लिए पाँच करोड़ रुपये का लोन दिया है, वह ऐसा है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप इस फण्ड को थोड़ा सा और बढ़ायें क्योंकि हमारे प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको स्वावलम्बी बनाने के लिए, वे आगे बढ़ें। उनकी जो महिला समितियां हैं, उनको संबल प्रदान करने के लिए हमारे प्रदेश

में कम से कम 50 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में देना चाहिए जिससे महिलाएं स्वावलम्बी के रूप में बढ़ सके।

मैं हमारी पूर्व मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि उनके समय में जितना महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया सेल्फ हैल्प ग्रुप के जरिये, महिलाएं हस्तकला में, पर्यटन के अन्दर उसको जगह-जगह सक्षम बनाकर जितना उनका किया गया, उसको आप आगे बढ़ायें, उस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ायें और जो सरकारी विभाग हैं, हमारी सरकारी समितियां हैं, क्रय-विक्रय समितियां हैं, उनको एक ऐसे तरीके से डवलप करें कि जो कच्चा माल है, वह महिलाओं को उपलब्ध हो और जब वह निर्माण कर लें तो उसके लिए बाजार भी उपलब्ध सरकारी समितियां करवायें जिससे महिलाओं की स्थिति यहां पर बहुत अच्छी हो जाये। मैं कहना चाहती हूं...

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करें, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): केवल दो मिनट लूंगी, केवल दो मिनट। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारे यहां पर...

Jk/akt/18.20/3n/16.07.2009

कि हमारे यहां पर जो नरेगा के खाते सहकारी समितियों के खुले हुए हैं उन खातों में कमीशन उन बैंक्स को नहीं मिल रहा है इसलिए कमीशन भी बैंक को देना चाहिए जिससे हमारे बैंक अच्छे हो जायेंगे। जो व्यवस्थापक हमारे नहीं हैं वहां पर व्यवस्थापक लगने चाहिए और नई ग्राम सहकारी समितियां जो नियमों में हिस्सा पूंजी उनकी पन्द्रह लाख बनाई गई है, मेरा आपसे निवेदन है कि उसको पाँच लाख करें और जो जनसंख्या के हिसाब से दो हजार बनाई है उसको कम करके एक हजार की बनाई जाय जिससे हमारे गांव-गांव में ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। एक और बात मैं, अध्यक्ष महादय, आपके द्वारा कहना चाहती हूं माननीय मंत्रीजी से कि यह जो क्रय विक्रय सहकारी समितियों के चुनाव शुरू हुए और आपने भी अब कल पन्द्रह तारीख को शुरू करा दिये हैं, मेरा आपसे निवेदन है इसमें कि जो नियम-प्रक्रिया आपने अपने विभाग से तय कर दी है...

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करें।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): उसको अच्छी तरह से, पाबंदी से उसकी पालना कराई जाय क्योंकि ऐसी शिकायतें आ रही हैं जगह-जगह कि उनके नियम पाबंदी से नहीं हो रहे हैं, वह अपने तरीके से..

श्री अध्यक्षः श्री सी.एल. प्रेमी, शुरू करें। कृपया आप समाप्त करें। सी.एल. प्रेमी शुरू करें।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): डायरेक्टर चुन रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सब का धन्यवाद करना चाहती हूं, राम-राम।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि प्रथम बार निर्वाचित होने पर मुझे प्रथम बार ही आपने मौका दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं आपको और मैं इस सहकारिता की मांग संख्या 36 के तहत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सहकारिता आंदोलन जो आजादी के बाद हमारे प्रथम प्रधान मंत्री माननीय जवाहर लाल नेहरू ने चालू किया और जो आज तक चला आ रहा है लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशन बिना लाभ के नहीं चल सकता, राजस्थान में दो तरह के कापरेटिव बैंक चल रहे हैं, एक तरफ भूमि विकास बैंक, दूसरी तरफ केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं, पहले भी सरकारों ने जब हमारे गहलोत साहब पूर्व में मुख्य मंत्री थे उस टाइम एक प्रावधान आया था कि दोनों बैंकों को मिलाया जाय और यदि दोनों बैंकों को मिला करके एक ऐसा बड़ा बैंक बना दिया जाय तो मैं समझता हूं कि गरीब, मजदूर और किसान का भला होगा क्योंकि भूमि विकास बैंक मात्र लोन देता है और उसमें किसान को जमा करने की सुविधा नहीं होती जबकि कापरेटिव बैंक में दोनों ही बात होती है, वहां जमा भी होता है और लोन भी मिलता है और यही सिस्टम नेशनलाइज बैंक में अलग है। नेशनलाइज बैंक दोनों काम करता है, डिपाजिट भी लेता है और एडवांस भी करता है लेकिन वहां की प्रक्रिया और कापरेटिव बैंक की प्रक्रिया में बहुत अंतर है। नेशनलाइज बैंक में आजकल कम्प्यूटराइजेशन है, सभी तरह की सुविधाएं हैं, आदमी जाता है तो लगता है कि हम किसी बैंक में जा रहे हैं जबकि यह सुविधाएं कापरेटिव बैंक में नहीं है। तो मेरा तो आपसे यह अनुरोध है माननीय अध्यक्षजी, कि सहकारिता, ग्राम सेवा सहकारी समितियां एक छोटा लोन देती है, तो मेरा आप लोगों से यह अनुरोध है कि इसकी सीमा बढ़ाई जाय और किसान क्रेडिट कार्ड जिस तरह से नेशनलाइज बैंक देते हैं उस तरह से ग्राम सेवा सहकारी समितियां भी किसान क्रेडिट कार्ड दें तो मैं समझता हूं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। अभी केन्द्रीय सरकार ने 32 हजार करोड़ का किसानों को लोन माफी के माध्यम से फायदा दिया था और उसमें यह भी प्रावधान था कि उन्हीं लोगों को, उन्हीं किसानों को जिनका कर्जा माफ हुआ है, दोबारा लोन मिलेगा लेकिन यह सिस्टम अभी तक किसी भी बैंक में लागू नहीं है तो मेरा तो, अध्यक्षजी, आपसे यह अनुरोध है कि उन किसानों को जिनको लाभ हुआ है उनको उसका पूरा विवरण किसानों को दिया जाय, कोई बैंक, चाहे कापरेटिव बैंक हो या भूमि विकास बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो, किसान को पूरा विवरण उसका नहीं देती है इसलिए वह

किसान दोबारा बैंक में जाने से वंचित रहता है। जब किसान बैंक में जाता है तो उससे कहा जाता है कि आप पहले वाला पैसा जमा कराओ तब हम फायदा देंगे। तो माननीय अध्यक्षजी, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह जो कमी है इस कमी को दूर किया जाये। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः एक निवेदन मुझे करना है। सब बातें कायदे से चलानी चाहिए। अभी सदन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आठ सदस्य बोल चुके हैं और करीब 64 मिनट का समय..(व्यवधान) हां, बोलेंगे आप अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं तो बोलूंगा लेकिन...

श्री अध्यक्षः एक सैकण्ड, मुझे समय दीजिये। श्री ओम बिरला..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बोल लिये साहब।

श्री अध्यक्षः बोल लिये, यही तो मैं बोल रहा हूं। आठ बोल चुके हैं। ओम बिरला ने 24 मिनट लिये हैं, फूलचन्द भिण्डा ने 5 मिनट लिये हैं, केशाराम ने 5 मिनट लिये हैं, सिद्धि कुमारीजी ने 4 मिनट लिये हैं, सूर्यकांताजी ने 10 मिनट लिये हैं, बंशीधरजी ने 6 मिनट लिये हैं..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लिये नहीं, दिये।

श्री अध्यक्षः दिये हैं, मैंने दिये आपकी उस पर। फिर शंकर सिंहजी को 5 मिनट मिले, फिर अनीता सिंहजी को 4 मिनट और इसी प्रकार से टोटल जोड़ते हैं तो यह 64 मिनट अब तक आठ सदस्यों का होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ऐसे होता नहीं है। आप तो 64-64...

श्री अध्यक्षः हां-हां, आप बिलकुल सही कह रहे हैं, आप बिलकुल सही कह रहे हैं। इसमें प्रतिबंध आपकी तरफ से नहीं, सुनिये, जो समय का आवंटन है उस हिसाब से और कांग्रेस की तरफ से जो बोले हैं वह बोले हैं आठ सदस्य, उन्होंने लिये हैं 39 मिनट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह राज करने वाले हैं।

श्री अध्यक्षः और सीपीएम ने लिये हैं 10 मिनट। अब आगे मैं नाम पुकार रहा हूं, श्रीमान राजेन्द्रजी राठौड़। समय का ध्यान रखें, पाँच मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आप मुझे टोकें इससे पहले मैं प्रयास करूंगा कि मैं मेरी बात समाप्त करूं।

श्री अध्यक्षः आपका समय है, इसमें टोकने का अवसर नहीं मिले इतने सम्मानित सदस्य को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक इतने वर्षों में मांगों पर चर्चा हो, मांगों पर कभी समय तय नहीं होता।

श्री अध्यक्षः शुरू करें, शुरू करें। कृपया शुरू करें। कृपया शुरू करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, गांधीजी का सपना था कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो और इसमें कोई शक नहीं कि प्रदेश और देश के पैमाने पर सहकारिता आंदोलन उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाया जिन ऊंचाइयों को उसको छूना चाहिए था और इन सारी चीजों को देखते हुए, अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने एक समिति बनाई थी ए.के.वैद्यनाथन समिति और मुझे यह कहते हुए गर्व है कि राजस्थान की तत्कालीन सरकार वह पहली सरकार थी जिसने ए.के.वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने का काम किया पर दुर्भाग्य रहा, अध्यक्ष महोदय, कि जो एमओयू गवर्नमेंट आफ इण्डिया, नाबार्ड और राज्य सरकार के बीच में 14.11.2006 को हो गया और जिस एमओयू के तहत 522 करोड़ का पैकेज राजस्थान की सरकार को मिलना चाहिए था वह पैकेज नहीं मिला। हमने उन सारी बातों को, उनकी मांग थी कि हम राजस्थान कापरेटिव एक्ट में 2001 में संशोधन लेकर आये, हम 2004 तक सारी सहकारी संस्थाओं का, नीचे से नीचे सहकारी संस्थाओं का आडिट करवायें, वह सारा काम कर लिया। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, पहली मांग तो मंत्रीजी, मेरी यह है कि वह उसकी सिफारिशों के अनुसार जो राशि हमें मिलनी चाहिए वह राशि मिले। दूसरा, मैं निवेदन करूंगा कि आपने अपने घोषणा पत्र में लेकर, पूरे देश में कृषि ऋण राहत योजना 2008 जो देश के पैमाने पर लागू की गई, उसका बड़ा ढिंढोरा पीटा, मुझे कहते हुए अफसोस है कि राजस्थान के सिर्फ 9.3 फीसदी किसान को उसका लाभ मिला और उसके लाभ के अनुसार जो राइट ऑफ हुआ है ऋण, वह है 1443 करोड़ रूपये और अब तक भारत सरकार से हमें पैसा मिला है 549 करोड़ रूपये। आज सारी बैंक चाहे सेंट्रल बैंक हो, चाहे पीएलडीबी हो, उनकी लिक्विड मनी समाप्त हो गई और उसी का कारण है कि रबी के अंदर इस बार जो ऋण का वितरण हुआ है वह बहुत कम हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में भी आप विचार करें क्योंकि इस पूरी योजना की बुनियाद ही धोखे पर थी, 71600 करोड़ रूपये की ऋण राहत योजना मंजूर कर दी और 2008-09 में केन्द्र सरकार ने 25 हजार का इसका प्रावधान रखा, 2009-2010 में 15 हजार, 2010-11 में 12 हजार और 2011-12 में 8 अजार । चार वित्तीय वर्ष में जो प्रावधान रखा, एक वित्तीय वर्ष में राइट ऑफ करवा लिया, इसका लाभ कैसे होगा। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि निश्चित तौर पर जिस तरह का काम चल रहा है.....

Lpm/akt/1830/3o/16.7.09

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि निश्चित तौर पर जिस तरह का काम चल रहा है क्योंकि आप मुझे टोकेंगे इसलिए मैं मंत्री महोदय आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आज व्यवस्थापकों की कमी पूरे राजस्थान में कमी हैं और दो हजार व्यवस्थापकों की भर्ती जो सितम्बर,2008 में तत्कालीन राज्य सरकार के समय में प्रारंभ हो गई, जिसमें पचास हजार लोगों ने आवेदन किया। राजस्थान सहकारी बैंक जिसका नोडल बैंक बना, क्या कारण रहा, किस कारण से आपने उस भर्ती को पोस्ट-पोंड कर दिया? मेरी समझा में नहीं आता कि पचास हजार लोगों ने आवेदन किया, उनकी भावनाओं को तोड़ने का काम आपने किया है। इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो जीएसएस को मिनी बैंक बनाने की बात थी, आज 5255 जीएसएस हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि, मैं कोई बड़ाई नहीं करना चाहूंगा पहली राजस्थान की तत्कालीन सरकार जिसने 2673 जीएसएस को मिनी बैंक का रूप दे दिया। मंत्री जी आप बहुत गाल बजाते हैं, रोज कहते हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि कब तक इन मिनी बैंकों को आप, जो शेष रही मिनी बैंक हैं इनको भी आप दे देंगे। तीसरा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप कहते हैं कृषि मित्र योजना। लंबी-चौड़ी बात चली, आपने कहा सात फीसदी ब्याज पर किसान को इस योजना के तहत ऋण मिलेगा। मैं आपके सामने एक आपका पत्र पढ़कर सुना रहा हूं। जो पत्र यह कहता है कि आज किसान को सात प्रतिशत के हिसाब से लोन नहीं मिल रहा है। आपने उसकी सीमा बढ़ा दी, तीन लाख से साढ़े तीन लाख रुपए कर दिया, अच्छा किया परंतु इसके साथ-साथ यह भी है और इसमें भी शक नहीं कि यह जो लोन मिलता है यह नाबार्ड से मिलता है, नाबार्ड की गाइडलाइन है सात प्रतिशत पर लोन देने की। अध्यक्ष महोदय, यह नाबार्ड से अपैक्स बैंक में आता है, अपैक्स पाँच प्रतिशत पर और अपैक्स बैंक से सीसीबी बैंक में जाता है जहां से किसान को मिलता है। मैं आपके सामने आपकी सरकार के समय यह पत्र पढ़ रहा हूं। 14.05.2009 प्रबंध निदेशक, दी सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, चुरू कृषि मित्र योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर ...(व्यवधान)...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करे। पाँच मिनट हो गए हैं। श्री प्रतापसिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या बात हुई? अध्यक्ष महोदय, मैं पत्र कोट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः समय की सीमा तो मुझे बांधनी ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं पत्र को, आप बुलाया ही मत करो ना,

श्री अध्यक्ष: समय की सीमा तो मुझे रखनी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): काही की सीमा है? किसी चीज की सीमा है?

श्री अध्यक्ष: समय की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम अपनी बात कहने आये हैं, राजस्थान की बात कहेंगे। राजस्थान के किसान के साथ अन्याय हो रहा है, यह कोई बात हुई क्या?

श्री अध्यक्ष: समय की तो पांबदी रहेगी, समय की पाबंदी तो रहेगी। समय तो निश्चित हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कभी नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, नया इतिहास नहीं बनाये, बिलकुल हमारा अधिकार है, राजस्थान की जनता ने...

श्री अध्यक्ष: आप संख्या इतनी लंबी देते हो बोलने वालों की, आज आपने संख्या दी है 11 लोगों की..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, 15 की देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा?

श्री अध्यक्ष: तो समय को बांटना ही पड़ेगा। तो समय को बांटना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी रहेगी। आप सूची कम दे। पहले वक्ता को आपने 24 मिनट दिला दिए यह कह कर के कि पहले वक्ता हैं तो आप समय तो कम से कम आप निश्चित करे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सब लोग इस डिस्कसन में भाग लेना चाह रहे हैं। आप चूज करके मैंने इनको कहा इनको पाँच मिनट, दस मिनट जितना भी समय देते हो, उसमें निकले दो, जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें सरकार का ही भला है।

श्री अध्यक्ष: देखिए सरकार का भला-बुरा तो अलग बात है लेकिन समय की भी एक सीमा होती है। पहले तो वक्ता को आप यह कह देते हो ज्यादा बोलने दो, टोटल जो मैंने जोड़कर के बताया है आपके दल के जो लोग बोले हैं, उनके टोटल 69 मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ऐसा भी पहले कभी हुआ है क्या? तो यह हमारा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: अधिकार आपका है तो फिर सीमा के लिए आप संख्या कम दीजिए। सीमा मुझे बांधनी पड़ेगी। कृपया समाप्त करे। श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुझे राजस्थान की अवाम ने इसलिए चुनकर के भेजा है अध्यक्ष महोदय कि हम अपनी बात कहे, ऐसा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): [000]

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं होगा। श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय..

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): यह सौहार्दपूर्ण वातावरण आपने आज बनाया है, इसको आगे बढ़ाने के लिए...

श्री अध्यक्षः इसमें सहयोग चाहता हूं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): सहयोग सबका है। यह तो एक ऐसी चीज जो मैं समझती हूं कि हम लोगों ने तो एक-एक, दो-दो बजे तक बहस की है। मैं समझती हूं कि ऐसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जनरसली टाइम दे, उसमें क्या प्रॉब्लम है?

श्री अध्यक्षः संख्या भी फिर सीमित रखनी चाहिए और फिर यह भी रखना चाहिए कि एक को 24 मिनट पहले दिला दे, संख्या लंबी कर दे, फिर बाद में पर्ची और आवे, यूं तो फिर, एक कहीं-न-कहीं तो सीमा आपको तय करनी पड़ेगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): हम किसी को नहीं कह रहे हैं कि किसी को 24 मिनट या आधे घंटा दे, पर मैं यह कह रही हूं कि मौका सबको मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्षः दिलवाया गया है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): बहुत दिन बाद मौका मिल रहा है।

श्री अध्यक्षः माननीय विरोधी दल की नेता दिलवाया गया है। मैंने तो निवेदन किया था कि सबका बराबर बांटकर के समय दे देते। आप खुद ही तय कर देते, कितना समय? पाँच मिनट, दस मिनट, दो मिनट कितना आता है?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): इसको तो जनरसली दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जनरसली दो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्षः मैंने तो समानतापूर्वक आपको एक-एक सदस्य का बता दिया। किसने कितना समय लिया? एक मिनट विराज जाए आप लोग और क्लीयर कर देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्षः श्री ओम बिरला चौबीस मिनट, श्री गोपाल मीणा पाँच मिनट, श्री अमराराम छह मिनट, श्री फूलचंद भिंडा पाँच मिनट, शाले मोहम्मद पाँच मिनट, केसाराम

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

चौधरी पाँच मिनट, आदराम मेघवाल चार मिनट, पवन कुमार दुग्गल चार मिनट, सुश्री सिद्धि कुमारी चार मिनट, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास दस मिनट, ओम जोशी क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप सुने। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि समय का बंटवारा हमेशा आप करते हैं, वह करते हैं जब बजट पर आम बहस होगी उस पर, डिमाण्ड्स पर...

श्री अध्यक्ष: कहीं तो लीमिट रखनी पड़ेगी? अगर मान लीजिए, अगर बुरा न माने, अगर आपने सत्तर आदमियों के नाम बोलने को दे दिए तो फिर क्या करुंगा मैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष: कहीं-न-कहीं तो सीमा मुझे रखनी पड़ेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपको समय की जरूर सीमा रखनी पड़ेगी और समय की सीमा में मंत्री से भी आग्रह करूंगा...

श्री अध्यक्ष: मैंने कांग्रेस से ज्यादा समय बीजेपी को दिया है। आप देख ले, कांग्रेस से ज्यादा समय बीजेपी को दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, आपने दिया हैं। यह आपकी कृपा है। मैं यह कह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: लेकिन जब मेरे साथ आप सारी बात का बंधन करते हो तो मुझे भी बंध करके रखना पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं आपके साथ बंधन नहीं है। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सारे लोग, एक मिनट सुनिए कृपया प्लीज। आपने डिमाण्ड्स में कभी भी समय दलों के हिसाब से बंटता नहीं है। ईमानदारी की बात तो यह है कि जो डिमाण्ड्स की प्रक्रिया थी, हमने एक मीटिंग बुलाकर डिमाण्ड्स की प्रक्रिय तय की...

श्री अध्यक्ष: आज कितना लेट शुरू हुआ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, पहले सुन लीजिए आप। पहले जो माननीय सदस्य कटमोशन देते थे, हर माननीय सदस्य अपना कटमोशन पर विचार व्यक्त करता था और रात को डेढ़-डेढ़, दो-दो बजे तक टाइम हो जाता था, अगर इस प्रकार की व्यवस्था की गई तो फिर तो नियमों के हिसाब से कटमोशन के ऊपर माननीय सदस्य बोलेंगे और हर कटमोशन वो प्रस्तुत करेंगे। हर कटमोशन पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। वह प्रक्रिया उलझ जाती है। इसलिए हमने, सबने मिलकर एक कई वर्षों से यह परम्परा तय कर ली कि सारे कटमोशन प्रस्तुत किए हुए माने जाएंगे और सारे कटमोशन को अस्वीकार करके सरकार उनका जवाब भेज देगी और फिर जो हम देते हैं वह माननीय सदस्य बोलते हैं और आमतौर पर आठ-नौ बजे तक डिमाण्ड्स पर चर्चा होती रहती है। इसलिए जब आप समय रोकना चाहे, रोके, यह आपका अधिकार है

लेकिन हमारी बात कम से कम सदन में उस डिमाण्ड पर आये। इसके लिए इतना कंजूस होने की अध्यक्ष महोदय आवश्यकता नहीं है कि आप जो है चार मिनट, पाँच मिनट, छह मिनट, दो मिनट यह कोई नहीं है एक और दूसरा आसन के यह विवेक पर भी निर्भर है अगर माननीय सदस्य कोई यह कागज कोट कर रहा हो, जो कागज हमको यह बात बताता है कि राज्य का इससे भला हो सकता है तो उनको करने का अप मौका दे सकते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पर इतने कठोर आप नहीं बने। यह मैं उम्मीद करता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैंने दो मिनट किसी को नहीं कहा। पाँच मिनट से कम समय मैंने किसी को नहीं दिया। कोई दो मिनट में स्वयं बैठ जाए तो उसको मैंने यह नहीं कहा, नहीं आप पाँच मिनट बोलिए ही, लेकिन जब आप यह तय करते हैं तो सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि कितनी बड़ी लिस्ट दे? मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि लिस्ट सीमित देंगे तो ज्यादा समय मिलेगा, लिस्ट अगर छोटी नहीं देकर के बड़ी दे देंगे तो समय नेचूरल है उसी में से कटेगा और पाँच मिनट से मैंने इधर भी कम नहीं दिया, इधर भी कम नहीं दिया। ज्यादा समय टोटल के हिसाब से आप देखे तो मैंने आपसे अर्ज कर दिया इधर मिला है 69 मिनट, इधर मिला है 39 मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):000

श्री अध्यक्ष: मैंने अगर इसमें कोई गलती की हो या कंजूसी की हो तो आप कह सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप मुझे यह कहे तो फिर कैसे संभव हो सकेगा? चलिए आपको अब खासतौर से माननीय विरोधी दल की नेता कभी इस प्रकार का निवेदन करती नहीं हैं, इनके आग्रह पर आपको दो मिनट और देता हूं। इतने में पढ़ देंगे न यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आप जैसा उदार मन व्यक्ति आसन पर हो और सहकारिता...

श्री अध्यक्ष: आप पूरा करिए इसको पढ़कर के, इसको पढ़कर के पूरा करिए। समय हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिए आप, समय हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कॉपरेटिव जैसे महत्वपूर्ण विषय पर डिमाण्ड चल रही हो, आज आम व्यक्ति जिससे जुड़ा हुआ है। आज एक करोड़ व्यक्ति राजस्थान का इस कॉपरेटिव मूवमेंट से जुड़ा हुआ है और उसमें दो मिनट, तीन मिनट, आपके रहते हुए....

श्री अध्यक्ष: आप समाप्त करे।

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तो अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रहा था, मंत्री जी मैं कोट कर रहा हूं। आपके प्रबंध निदेशक, दी राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक का लेटर 14.5.2009 का जिसमें लिखा है 'स्वीस बैंक द्वारा वर्ष 2009-10 में केन्द्रीय बैंक से कृषि मित्र योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर दस प्रतिशत वार्षिक दर से वसूल किया जाएगा। केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने स्तर पर कृषि मित्र योजना में इकॉनोमिक लैंडिंग रेट पर अग्रिम कर सकती हैं परंतु ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सहकारी बैंक भारत सरकार से प्राप्त होने वाले तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान की राशि क्लेम प्रस्तुत नहीं कर पाएगी और इसी के आधार पर यह संचालक मण्डल ने प्रस्ताव पारित किया है। मुझे अध्यक्ष जी रोक देंगे, आप चाहो तो मैं टेबिल कर सकता हूं। यह दो चेहरे हैं आपके।

श्री अध्यक्षः समाप्त करे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप कह रहे हैं ग्यारह प्रतिशत की और आप दे रहे हैं सात प्रतिशत। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि बीमा योजना....

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिसके बारे में आपने कहा हम ग्राम पंचायत को इकाई बनाएंगे। बड़ी-बड़ी घोषणा आपने की और आज आप उस ग्राम पंचायत की इकाई बनाने की बात को आप कह रहे हैं हमारे संकल्प में हैं। हो क्या रहा है यह? किसान लूट रहे हैं, जो ऋणी किसान हैं उसके प्रीमियम का पैसा उसके खाते से निकल जाता है।

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, और यह किसान के साथ अन्याय हो रहा है। यह जो चुनाव का ढकोसला आप पीट रहे हो, चुनाव कराने का काम अगर किसी ने किया है तो पूर्ववर्ती सरकार ने किया। 14-14 साल तक आपने आर.सी.डी.एफ. का चुनाव नहीं कराया और अब आपने चुनाव कराया भीलवाड़ा का.....

भीम/अरुण/16.7.09/18.40/3p

एक चुनाव का मेरे हाथ में है।

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त कर दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिस दिन भीलवाड़ा के अन्दर भूमि विकास बैंक का चुनाव हो रहा था ...।

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त कीजिये। श्री प्रतापसिंह जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ... एक रात पहले पूरी सूची बदल जाए और चुनाव पर सवालिया निशान खड़ा हो जाए। मैं समझता हूं मंत्री महोदय, इस तरह कॉपरेटिव

मूवमेंट राजस्थान में चलेगा नहीं। यह कॉपरेटिव मूवमेंट नहीं चलेगा। इसके पीछे मंशा साफ होनी चाहिए। आप किसान को क्या देना चाहते हैं?

श्री अध्यक्षः कृपया विराज जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ....और किसान के साथ अन्याय कर रहे हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, ...।

श्री अध्यक्षः समाप्त करें अब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं समाप्त कर रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, यह भी...।

श्री अध्यक्षः मैं आगे नाम पुकार चुका हूं। श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, शुरू करें कृपया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...ये भी आप नया इतिहास बना रहे हो कि कॉपरेटिव की डिमाण्ड ...।

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्षः शुरू करें। शुरू करें आप।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष जी, आपने पहले भी मेरा नाम पुकारा था और पुकारने के बीच में मैंने देखा हमारे बड़े भाई श्री घनश्याम जी तिवाड़ी जब खड़े हुए ...।

श्री अध्यक्षः छोड़िये आप तो शुरू करिये। अपनी बात शुरू करें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं खतम कर दूंगा सही समय में। ... जब खड़े हुए और कहा कि सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए। मैं तीन दिन से रोज हाथ जोड़-जोड़ कर जाकर कह रहा था कि सदन की कार्यवाही चलने दें। इन्होंने सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी लेकिन आज जब यह सदन की कार्यवाही चला रहे हैं तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज मुझे खुशी है कि आपको बड़ी चिन्ता है कि सदन का समय बढ़ना चाहिए। मैं अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब बात चल रही है सहकारिता आंदोलन की और सहकारिता आंदोलन की जब बात चल रही है, अब सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया, हमारे मुख्यमंत्री ने लिया और हमारे मंत्री ने लिया, सरकार इनकी भी थी इन्होंने सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये और सहकारी आंदोलन के नाम पर इनके पिछले कार्यकाल का रिजल्ट पूरा राजस्थान जानता है, जीरो रहा है और इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और आज चुनौती देकर कह रहे हैं कि आपकी सरकार को यह करना चाहिए, आपकी सरकार को यह करना चाहिए। हमारी सरकार ने फैसला लिया पाँच सौ नयी सहकारी समितियां और पाँच करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान। आपने क्या किया, वो आप कुछ बताना नहीं चाहते और 2001 में अशोकजी गहलोत की सरकार जो कॉपरेटिव एक्ट लेकर आयी उस एक्ट को आपने लागू नहीं होने दिया। यदि वो एक्ट लागू हो जाता तो राजस्थान की कायापलट हो जाती और सारे लोग राजस्थान के याद रखते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने खुद कुछ नहीं किया और आज मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कॉपरेटिव सेक्टर में निश्चित रूप से आपका मन साफ है आप काम करना चाहते हैं। आपने शुद्ध के लिये युद्ध शुरू किया और युद्ध का पूरे राजस्थान में रिजल्ट नजर आ रहा है लोग यह देख रहे हैं कि आम आदमी की सरकार है, आम आदमी का मुख्यमंत्री है जिसके मन में एक सपना है आम आदमी का जीवनस्तर ऊँचा उठाने का, गांव का जीवनस्तर ऊँचा उठाने का, ढाणी का जीवनस्तर ऊँचा उठाने का। आज हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी तैयारी कीजिये जैसे शुद्ध के लिये युद्ध हो रहा है उसी तरह तय कीजिये जो व्यवस्थापक गड़बड़ करते हैं उनको आप सुधार सकते हैं। अब नये सदस्यों को सहकारी समितियों में लेने की तैयारी कीजिये क्योंकि सब जगह पिछली सरकार जिस तरह की व्यवस्था छोड़ कर गयी है अब नये सदस्य अन्दर आने चाहिए। व्यवस्थापक की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। आप एक काम और कर सकते हैं मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन्होंने जो काम नहीं किये आप कीजिये, जो प्राइवेट स्कूलें एनजीओ के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर कर रही हैं, ये एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कहां से होता है, यह एनजीओ का रजिस्ट्रेशन सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से होता है। उनके रूल्स रेगुलेशन है, उन रूल्स रेगुलेशन को फालो करने का काम यदि कोई कर सकता है तो कांग्रेस की सरकार कर सकती है। एनजीओ के नाम पर गरीब का भला नहीं हो रहा है, गांव का भला नहीं हो रहा है, ढाणी का भला नहीं हो रहा है, शहर के स्लम एरिया का भला नहीं हो रहा है, उस एनजीओ के नाम पर कई कोकस बन गये वो कोकस आज सरकार के नियंत्रण से निकल रहे हैं लेकिन हमारी सरकार तैयारी कर सकती है, विचार कर सकती है। जैसे हमने शुद्ध के लिए युद्ध चलाया वैसे ही आप एनजीओ के नियंत्रण के लिए जो हमारा एक्ट है सिर्फ उस एक्ट को फालो करवा दीजिये और ये जो प्राइवेट स्कूलें मनमानी करती हैं, जुल्म करती हैं जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाती हैं तो प्राइवेट स्कूलें बड़ी-बड़ी बातें करती हैं लेकिन वो रजिस्ट्रेशन की शर्तों को फालो नहीं करतीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा इन शर्तों को आप फालो करवा दीजिये। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा अध्यक्ष जी, अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे

मंत्री जी एक काम जरूर कर सकते हैं, कई जगह मैंने यह देखा है कि पूरे राजस्थान में यह हालात हैं कि छोटे-छोटे मिनी ट्रकों के ऊपर, छोटे-छोटे और कामों के लिए जो ऋण लिये गये उनमें बहुत से लोगों की मौत हो गयी और आज वो विधवाएं परेशान हैं खून के आंसू रोती हैं। बहुत लोगों के कर्ज हमारी केन्द्र सरकार ने माफ किये। 75 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ हुए। लोगों को बड़ा फायदा मिला। लोग आज दुआ दे रहे हैं और दुआओं का परिणाम है कि 206 सीटें कांगेस पार्टी केन्द्र सरकार में जीतकर आयी है और अकेले राजस्थान में हम बीस सीटों पर जीतकर आये। सूपड़ा साफ कर दिया राजस्थान की जनता देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है और लेने का समय आता है तो झाड़ू बुहार कर सामने वालों का पाटिया साफ कर देती है वो काम राजस्थान की जनता ने कर दिया। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि राजस्थान की जनता ने हमको पूरा आशीर्वाद दिया है। हमारे पास भी मौका है हम उस गरीब का भला कर सकते हैं जो गरीब खून के आंसू रो रहा है। आज वो मर गया लेकिन उसकी विधवा को परेशान किया जा रहा है जो मूल चुका चुकी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उनके ऋण माफ कर सकते हैं और मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं कि हमारी सरकार की नीयत साफ है, हमारी सरकार का मन साफ है, हमारे सरकार के मुख्यमंत्री का मन साफ है। हमने जो भी पॉलिसी बनायी है वो पॉलिसी जनता तक पहुंची। आज हमारी तरफ से जो सुझाव आ रहे हैं बार-बार जो खड़े होकर सब लोग बात कर रहे थे सबने यह कहा कि सहकारी आंदोलन कौन लेकर आया, आदरणीय ओम बिरला जी बोले कि सहकारी आंदोलन के जनक श्री जवाहर लाल नेहरू थे उनका सपना था कि गांव का विकास हो, गरीब का विकास हो। कौन हैं जवाहर लाल नेहरू? जवाहर लाल नेहरू इसी कांग्रेस पार्टी के जनक थे, इसी कांग्रेस पार्टी के जरिये भारत को आजाद कराने की लड़ाई लड़ने वाले हिन्दुस्तान के पहले प्रधानमंत्री। इसका मतलब हमारा सपना सच्चा है। हमारा मन सच्चा है। जवाहर लाल जी नेहरू जो नीति लेकर आये उस नीति को आज भी हमारी सरकार लागू करना चाहती है। गांव और गरीब का भला करना चाहती है। हम राजस्थान के विपक्ष से अनुरोध करेंगे हम आज अध्यक्षजी, सुबह आपसे बासठ लोग आकर मिले, आपसे अनुरोध किया। हमने कहा हम सदन चलाना चाहते हैं मैं मेरी बात इसलिए अनुरोध कर रहा हूं कि कल हमने हमारे कुछ बीजेपी के विधायक हमारे मित्र हैं हमने उनसे सिग्नेचर करा लिये, हस्ताक्षर करा लिये उसमें कुछ भी नहीं था उसमें सिर्फ सदन चलाने की बात थी लेकिन इन लोगों ने उन विधायकों के नाम काट दिये ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): काहे पर बोलने की अनुमति दे रहे हो ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): विधायकों के नाम काट दिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...(व्यवधान)... ये क्या हो रहा है यहां पर माननीय अध्यक्ष जी, कापरेटिव ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, ये सहकारिता की डिमाण्ड पर बोल रहे हैं कि राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। झूठ बोल कर हस्ताक्षर कराने वाली बात भी यहां सदन में कह रहे हैं सदन की मिनिट्स में यह बात आएगी। कितनी गलत बात है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): काहे पर बोल रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): जब ये बोल रहे थे तब मैं नहीं बोला ...(व्यवधान)... एक बार खड़ा नहीं हुआ। जब मैं बोल रहा था ...(व्यवधान)... जब विपक्ष की नेता खड़ी हुई, मैं बैठा था। ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कॉपरेटिव का ज्ञान नहीं है इनको ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ...(व्यवधान)... सहकारिता की डिमाण्ड पर बोल रहे थे और आप उन्हें रोक रहे थे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...(व्यवधान)... कॉपरेटिव की नॉलेज नहीं है ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ...(व्यवधान)... जो माननीय सदस्य सहकारिता पर बोल रहे थे और आप बार-बार उनको घंटी बजा रोक रहे थे। ये सहकारिता पर नहीं बोल रहे हैं और आप इन्हें नहीं रोक रहे हैं ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: ...(व्यवधान)... आपसे बढ़िया कोई वक्ता नहीं है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ...(व्यवधान)... सहकारिता पर बोल रहे हैं आप जरा बताइये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): जब ये बैठ जाएंगे ...(व्यवधान)... आप इनको बैठा दीजिये, मैं मेरी बात कह रहा हूं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ...(व्यवधान)... उस समय नहीं बोले आप ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ये बोलने के लिए बोल रहे हैं सहकारिता पर नहीं बोल रहे हैं, बोलने के लिए बोल रहे हैं । आप माननीय अध्यक्ष जी, देखिये।

श्री अध्यक्ष: अभी इनका समय है। ...(व्यवधान)...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ...(व्यवधान)... किस चीज पर बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, यह भी समझ नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्षः अपने दल के समय में से बोल रहे हैं वो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): समय में से तो बोल रहे हैं अध्यक्षजी, लेकिन कॉपरेटिव के ऊपर बोलें। पॉलिटिकल भाषण देने के लिए यहां थोड़ी बोला है इनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... ये निष्पक्षता नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप विक्रमादित्य के आसन पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह राजनीतिक भाषण यहां पर दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... आप विक्रमादित्य के आसन पर बैठे हैं कोई न्याय की बात देखें। क्या कर रहे हैं आप ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मेरे समय में से समय ये ले रहे हैं अध्यक्ष जी, मेरी बात नहीं पहुंच रही है आप तक जब पहुंचेगी मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्षः आप सब्जैक्ट पर आइये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सब्जैक्ट पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्षः सब्जैक्ट पर आइये। विषय पर आइये विषय पर।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं अध्यक्ष जी, सहकारिता की बात कर रहा हूं मैंने इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री अध्यक्षः आप विषय पर आइये

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान)... मैंने कुछ भी नहीं कहा ।

श्री अध्यक्षः कृपया विषय पर आइये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ...(व्यवधान)... पूरे पाँच मिनट में आपने एक सहकारिता की बात नहीं की।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप तो बैठ जाएं आपको बात का ही पता नहीं है आप क्यों बीच में। बैठ जाओ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...(व्यवधान)... सहकारिता की नॉलेज ही नहीं है क्या बोलेंगे सहकारिता के ऊपर। कुछ जानते नहीं सहकारिता क्या है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ...(व्यवधान)... सहकारिता से जुड़े हुए हैं हम आज...।

श्री अध्यक्षः कृपया शांति रखें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ...(व्यवधान)... आपने क्या राय दी ? आपने ...(व्यवधान)...

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सहकारिता की कोई नॉलेज नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ये राजेन्द्र सिंह जी राठौड़, आपको शोभा नहीं देता ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... अध्यक्ष जी, विक्रमादित्य के आसन पर बैठे हैं कुछ तो न्याय करो। ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सहकारिता के सन्दर्भ में ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप ...(व्यवधान)... विराजे हैं ...(व्यवधान)... क्या बात कर रहे हो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): जो बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं उनको ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: एक व्यक्ति भी अध्यक्ष महोदय, खड़ा हो सकता है सारे के सारे खड़े होते हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। आप विराजें। कृपया आप समाप्त करें। विषय पर समाप्त करें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष जी, मैंने मेरी बात पूरी नहीं की उससे पहले सारे खड़े हो गये। इतना डर लगता है तो आप रोक कर रखते न उधर से ही आया हूं । इतना मत डरा करो। डरते थे इसलिए इधर आ गया।

श्री अध्यक्ष: आप विषय पर आये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): इतना डरने की जरूरत नहीं है और मैं अंत में अध्यक्ष जी, एक निवेदन करना चाहूंगा ..।

श्री अध्यक्ष: विषय पर कहें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष जी, आज तक जब भी मैं खड़ा हुआ हूं ये सारे खड़े हो जाते हैं और ये बोलते हैं मैं कभी खड़ा नहीं होता हूं और खड़ा होने में कहीं नंबर लगाना है नारे लगाने में नंबर लगाना है तो भारतीय जनता पार्टी को दे दो। हमारे यहां अव्यवस्था सबसे ज्यादा ये फैलाते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विषय पर आयें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पिछले तीन दिनों से ...।

श्री अध्यक्ष: विषय पर आयें आप।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पिछले तीन दिनों से अव्यवस्था ये फैला रहे हैं। अंत में मैं सहकारिता के बजट के लिए ...(व्यवधान)... तीन दिन से सदन की कार्यवाही इन्होंने रोक रखी है।

श्री अध्यक्ष: विषय पर आयें। विषय पर आयें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल इर्रिलेवेंट बात बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। माननीय सदस्य कृपया विराजें। आप समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ये सदन के अन्दर अभी मांग के ऊपर हमारी चर्चा हो रही है। सहकारिता के ऊपर बोलें जो बोलना हो वो। ये कुछ भी बोल दें ...

कैलाश/अरुण 16.07.2009 18.50 (1) 3q

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह उत्तेजित करते हैं सभी को और फिर कहते हैं कि मैं बोलता हूं तो सब खडे हो जाते हैं ...(व्यवधान)... खाली भाषण देने के लिये थोडे ही इनको समय दिया है । ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखे, कृपया व्यवधान नहीं, आप विषय पर आये ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष जी, मैं अंत में मेरी बात समाप्त करने की तरफ जा रहा हूं और मैं इन सब लोगों से अनुरोध करुंगा कि मेरी किसी बात से आपको बुरा लगता है, तकलीफ होती है तो मुझे माफ कर देना क्योंकि माफी मांगने में मुझे तकलीफ नहीं है आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है । ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया विषय पर आये, विषय पर आये ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): इसलिए मैं आपसे अनुरोध करुंगा, मैं माफी मांग रहा हूं लेकिन तीन दिन से इस सदन में एक भी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य विषय पर, कृपया आप विषय पर आये समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... क्या मजाक करा रहे हो ।

श्री अध्यक्ष: कृपया विषय पर आये । ...(व्यवधान)... कृपया विषय पर आये, समाप्त करें ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान)... माफी मांगने में तकलीफ है ।

श्री अध्यक्ष: कृपया विषय पर आये, समाप्त करें ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं विषय पर आ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष: हां तो विषय पर बोलिए । ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माफी मांगने का शौक है तो अशोक बैरवा जी को कहो माफी मांगे । कहो रघु शर्मा जी को कि माफी मांगे । ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य समाप्त करें, कृपया व्यवस्था बनाये रखे । ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माफी ही मांगने का शौक है ना तो रघु शर्मा जी और अशोक बैरवा जी को कहिए माफी मांगे ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान)... इसके लिये मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्षः श्री रामहेत यादव ।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अध्यक्ष महोदय, हमारे यह माननीय सदस्य सोचते हैं कि ऐसे भाषण दे कर मैं वापस सदन में आ जाऊंगा । ऐसी कई परम्पराएं रही हैं और ...(व्यवधान)... ऐसे भाषण देकर ...(व्यवधान)... सदन में आने की जरूरत नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप ज्यादा +++मत आओ मैं जानता हूं, बैठ जाओ, बैठ जाओ जानता हूं मैं । ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः कृपया विराजिए, कृपया विराजिए । श्री रामहेत यादव ।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ...(व्यवधान)... यह जनता है । ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः श्री रामहेत यादव, शुरू करें । ...(व्यवधान)... श्री रामहेत यादव ...(व्यवधान)... कृपया विराजिए ।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): हमने आपकी पीडा सुनाई है । ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान)... सबकी जानता हूं अंदर से, बाहर से, ज्यादा होशियारी नहीं, समझ गये ना सबको जानता हूं अंदर से बाहर से आप कैसे हो, क्या हो । मुझे मत समझाना । ...(व्यवधान).....

श्री अध्यक्षः कृपया विराजिए ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान)... जानता हूं +++। ...(व्यवधान)... मैं जानता हूं ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...(व्यवधान)... जिन शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने ...(व्यवधान)... गाली दी है यहां पर ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान)... हां नहीं दी तो चलाओ, यह क्या तरीका है धमकी दे देकर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः सुनने दीजिए । ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या सुनने दीजिए । ...(व्यवधान)...

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई असंसदीय शब्द होगा तो मैं उसे देख कर एक्सपंज कर दूंगा। यदि कोई असंसदीय शब्द यूज किया है तो मैं उसको एक्सपंज कर दूंगा विश्वास रखो । ...(व्यवधान)...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ...(व्यवधान)... आपके रहते हुए, आप बैठे हो यहां पर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यदि असंसदीय शब्द होगा मैं देख कर एक्सपंज कर दूंगा आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं । कृपया बोलने दें । ...(व्यवधान)... मैं देख कर एक्सपंज कर दूंगा । यदि असंसदीय शब्द है तो मैं एक्सपंज कर दूंगा ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, यह चैलेंज कर रहे हैं । ...(व्यवधान)...

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन कूप में आकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष: अब मैं क्या करूं इनका बताइए आप । आपके दल के सदस्यों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं । आप बोलना चाहते हैं तो शुरू कीजिए । ...(व्यवधान)...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, असंसदीय शब्द का इस्तेमाल कर दें और आप एक्सपंज कर दें इससे बात खत्म नहीं होती ।

श्री अध्यक्ष: तो मेरे पास और कोई दूसरा हथियार भी नहीं । ...(व्यवधान)... मेरे पास तो यही हो सकता है कि मैं देख कर एक्सपंज कर दूंगा । ...(व्यवधान)... श्री रामहेत यादव ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान)... मैंने असंसदीय बोला क्या है, मैंने यही कहा है कि करा लो चर्चा, क्या बोला है असंसदीय ।

श्री अध्यक्ष: कृपया बैठिए, श्री रामहेत यादव ।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, अगर धमकी दी जाती है और उसे एक्सपंज कर दिया जाये तो वापस वही चार दिन पहले का दृष्य हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष: वह धमकी कारगर नहीं रहेगी एक्सपंज कर देंगे उसको । श्री रामहेत यादव ।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): नहीं, एक्सपंज का सवाल थोडे ही है । ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...(व्यवधान)... +++ मैं देख लूंगा ...(व्यवधान)...

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्षः अगर +++[±] मैं देख लूंगा शब्द कहा है तो ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह मैंने नहीं कहा, नहीं कहा मैंने यह। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः कृपया विराजे ।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, यह हाउस बाद में चलेगा पहले व्यवस्था दें । ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः मैं व्यवस्था दे रहा हूं, माननीय सदस्य मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आसन पाँव पर है । मैं व्यवस्था दे रहा हूं आसन पाँव पर है । ...(व्यवधान)... आप नहीं सुनना चाहते, मैं आसन से व्यवस्था दे रहा हूं । व्यवस्था नहीं सुनना चाहते आप, ...(व्यवधान)... यह नहीं होगा तो फिर ठीक है । अंकित नहीं होगा । ...(व्यवधान)... मैं व्यवस्था देने के लिये खड़ा हुआ हूं, आसन पाँव पर है । मैं व्यवस्था देने के लिये खड़ा हुआ हूं । ...(व्यवधान)... आसन पाँव पर है । आप व्यवस्था नहीं देना चाहते, मैं इस शब्द पर व्यवस्था दे रहा हूं । मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप व्यवस्था नहीं देना चाहते आपकी मर्जी की बात है । आप अपने अपने स्थान पर जाये मैं व्यवस्था दे रहा हूं । अपने स्थान पर जाये मैं व्यवस्था दे रहा हूं, अगर आप व्यवस्था नहीं चाहते आपकी मर्जी की बात । ...(व्यवधान)... कृपया अपने स्थान पर जाये । मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आसन पाँव पर है कृपया अपने स्थान पर पधारे । कृपया अपने स्थान पर पधारे मैं व्यवस्था दे रहा हूं । अगर आप आसन से व्यवस्था नहीं चाहते हैं इस बात पर तो आपकी मर्जी की बात है । मैं व्यवस्था दे रहा हूं कृपया अपने स्थान पर चले जांये । अगर आप चाहते हैं व्यवस्था नहीं दूं तो आप अव्यवस्था बनाये आपकी मर्जी की बात है। ...(व्यवधान)... मैं व्यवस्था दे रहा हूं ...(व्यवधान)... जब मैं कह रहा हूं कि मैं व्यवस्था देना चाहता हूं आप व्यवस्था नहीं चाहते हैं इस विषय पर आपकी मर्जी की बात है । मैं व्यवस्था दे रहा हूं आप व्यवस्था नहीं चाहते हैं आपकी मर्जी की बात है । ...(व्यवधान)... मैं व्यवस्था दे रहा हूं आप अगर नहीं चाहते हैं व्यवस्था आपकी मर्जी की बात है । ...(व्यवधान)... कृपया अपने स्थान पर पधार जाये मैं व्यवस्था दे रहा हूं । अगर आप व्यवस्था नहीं चाहते तो आपकी मर्जी की बात है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहूं ।

श्री अध्यक्षः पहले सब अपने स्थान पर चले जांये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह सब सीट पर आ गये । मैं शांति में ही बात कह रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, बिलकुल शांति से सैशन चल रहा है, आसन की हर

[±] ++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

बात को हम मान रहे हैं। माननीय सदस्य जो बोल रहे थे उनको भी मान रहे हैं । इस पीरियड में इन शब्दों का प्रयोग करना जो धमकी जैसे लगे ...(व्यवधान)... और जिन में गाली हो, संसदीय परम्पराओं में यह नहीं है कि मैं देख कर उसके बाद कर दूंगा । आप देख कर करते हैं यह बात ठीक है लेकिन एक परमानेंट आदेश भी है जो असंसदीय आलरेडी लिपिबद्ध है उनके लिये देखने की आवश्यकता नहीं है उनको तुरंत एक्सपंज किया हुआ माना जाता है । अगर एक्सपंज किया हुआ नहीं माना गया और वह सुबह एक्सपंज हुए जब फाइल आपके पास आये तो वह रात को अखबारों में छप जाते हैं । उसके बाद उसके एक्सपंज करने की कोई बात नहीं है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो कुछ सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है उनमें जो असंसदीय शब्द है उनके लिये स्पष्ट निर्देश करें कि वह एक्सपंज करें । दूसरा, आप यह भी माननीय सदस्यों को हिदायत करें कि सदन में कोई कमजोर नहीं है, कोई मजबूत नहीं है । यहां कोई पहलवान या विद्वान की जरूरत नहीं है यहां हम जनप्रतिनिधि हैं । इसलिए कोई शारीरिक दृष्टि से मजबूत और कमजोर नहीं है । ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः कृपया शांति रखें । ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान)... आप भी आ जाइए ...(व्यवधान)... यह क्या तरीका है ।

श्री अध्यक्षः श्री खाचरियावास, श्री प्रतापसिंह खाचरियावास मुझे नाम लेकर, श्री प्रतापसिंह खाचरियावास कृपया बैठ जाये । कृपया विराज जाये ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान)... बोलने का तरीका देखिए, बात करने का ...(व्यवधान)... आप भी आजाइयेगा । ...(व्यवधान)... बैठ जाओ आप ।

श्री अध्यक्षः श्री घनश्याम जी तिवाडी आप अपनी बात कहिए । ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... यह हाउस है । ...(व्यवधान)... यह हाउस चला रहे हो आप । ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य कृपया बैठ जाये । ...(व्यवधान)... श्री प्रतापसिंह खाचरियावास कृपया विराज जाये, कृपया विराज जाये। श्री घनश्याम जी तिवाडी अपनी बात पूरी करें । ...(व्यवधान)...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है ...(व्यवधान)... यह बोल रहे थे, शालीनता से बोल रहे थे उस समय फिर वही गुस्सा और वही तेवर, यह कौनसा तरीका है । कंट्रोल करना आसन का दायित्व है । इस प्रकार नहीं चल सकता । सबको आवेश आता है, सबको जूता निकालना भी आता है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः श्री घनश्याम जी तिवाडी अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी कर दें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कर दी, कोई मतलब नहीं है बात पूरी करने का ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या पूरी करें अध्यक्ष महोदय, क्या पूरी करायेंगे बात। कौनसा दृष्य पैदा कराना चाहते हैं आप, कौनसा दृष्य पैदा कराना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्षः कृपया विराजे, कृपया विराजे, माननीय मंत्री महोदय कृपया विराज जाये। भारतीय जनता पार्टी के उप नेता ने जो बात कही मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं व्यवस्था देना चाहता हूं । व्यवस्था तो देने दीजिए उसके बाद अगर व्यवस्था पर एतराज है तो आप बताये । पर व्यवस्था ही नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे व्यवस्था दे पाऊंगा । जहां तक सवाल है असंसदीय शब्दों का, जो असंसदीय शब्द पहले से तय है कि यह असंसदीय शब्द है यदि वह कहे गये हैं ....

ans/akt 19.00 4a 16.072009

तो एक्सपंज किये जाते हैं, किये जाते हैं, कह रहा हूं आदेश दे रहा हूं लेकिन मैंने यह कहा कि मैंने भी कुछ सुना नहीं हल्ले में, यदि कोई शब्द आपको ऐसा लगा है कि जिसको मैं नहीं सुन पाया हूं और असंसदीय है और उस श्रेणी में नहीं भी आ रहा है तो अगर अभी एक्सपंज कराते हैं, बाद में तो मैं देखकर कर दूंगा यदि आप अभी एक्सपंज कराते हैं तो माननीय उपनेता महोदय आप बता दीजिए कौनसे शब्द थे, मैं एक्सपंज कर देता हूं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):व्यवहार भी देखिये आप (व्यवधान) शब्द नहीं, जो व्यवहार है जो अभी कहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखकर के तो मैं एक्सपंज करने को तैयार हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपको अच्छा लग रहा है क्या, अध्यक्ष महोदय केवल...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः असंसदीय हैं उनको एक्सपंज कर दिया जाए यह मैं निर्देश दे रहा हूं। उसके बावजूद भी कोई आपत्तिजनक शब्द आप देख ले जो मैंने नहीं सुने हो, आप बता दीजिए उनको एक्सपंज कर देता हूं और तो मैं क्या कर सकता हूं। (व्यवधान) श्री तिवाड़ी जी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कैसा एटीट्यूड है (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः एक बार मैं फिर निवेदन कर दूं कि यदि कोई असंसदीय शब्द, शब्द, नियमों में सूचीबद्ध पहले से हैं तो वह शब्द एक्सपंज कर दिया जाएगा, यदि कोई शब्द जो मैंने नहीं सुना, सुनने में हल्ले में नहीं आया है और आपको असंसदीय या आपत्तिजनक महसूस होता है उन शब्दों को आप बता दीजिए,या तो यहां से हटने के बाद बता दीजिए सदन के बाद, तो कर दूं या अभी बता दें तो कर दूं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): भाव भंगिमा का क्या होगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः भाव तो अपने अपने हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): कोई भी आप....(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उनकी भाव भंगिमा, हर बार लड़ने की मुद्रा रहती हैं राजेन्द्र जी की (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृपया आप बिराजे। कृपया बिराजे, माननीय सदस्य, कृपया बिराजे। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं लड़ नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया आप बिराजे।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप उनके भाव भी देंखे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृपया चर्चा यहीं समाप्त करें, माननीय सदस्य बिराजे। (व्यवधान) कृपया आप बिराजे। बहुत हो गया, कृपया आप बिराजे, कृपया आप बिराजे। (व्यवधान) बहुत हो गया कृपया आप बिराजे, माननीय सदस्य मैं निवेदन कर रहा हूं कृपया बिराज जाए। श्री घनश्याम जी तिवाड़ी। जो असंसदीय, जो सूची में हैं उनको करने को मैं कह रहा हूं जो सूची के अलावा कोई आपको लगता है तो देखकर कर दूंगा और फिर भी कोई शब्द आपको लगता है तो आप बता दीजिए मैं अभी कर देता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कम्पलीट कर रहा था। मैं न तो सदन के किसी सदस्य की मानहानी की बता कर रहा था, मैं सदन की परम्पराओं से अवगत करा रहा था,असंसदीय शब्द एक, दूसरा मानहानि कारक शब्द किसी को +++ कहना यह उचित नहीं है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह नहीं कहा है मैंने, यह नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अगर +++ कहा गया है तो एक्सपंज किया जाता है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैंने नहीं कहा। घनश्याम जी अननेसेसरी बात मत करो, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। (व्यवधान)

[+++] शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्षः अगर ± ++ कहा है तो एक्सपंज किया जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बात तो करने दो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): गलत बात है, मैंने नहीं कहा।(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज, यदि कहा है, मैंने नहीं सुना था, यदि कहा है तो एक्सपंज हो गया, यदि कहा है तो एक्सपंज हो गया। मैंने नहीं सुना था (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यदि राजेन्द्र जी बीच में खड़े नहीं होते (व्यवधान) बार बार खड़े होकर माहौल बिगाड़ते हैं।

श्री अध्यक्षः कृपया आप बिराजे। श्री रामहेत।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कम्पलीट कर रहा था। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः आप बैठ गये थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इसलिए बैठ गया कि माननीय सदस्य खड़े हो गये तो बैठ गया। नियमों में बैठ जाना चाहिये।

श्री अध्यक्षः मैंने आपको समय दिया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं सदन चल रहा है, किसी भी प्रकार से धमकाने में चाहे सत्तारूढ़ दल हो और उनके पास राज हो, धमकाने में आने वाला कोई नहीं है, यह तो कोलमदारा का ऊँट है खुड़के से कोई नहीं ड़रता। (व्यवधान) यह तो कोलमदारा का ऊँट है खुड़के से ड़रने वाला कोई नहीं है इसलिए...(व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): धमका रहे हैं राजेन्द्र जी। (व्यवधान) राजेन्द्र जी के मुकाबले और राजेन्द्र जी के मुकाबले बॉडी (व्यवधान) एक्शन किसी का नहीं है धमकाने की स्टाइल तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अब ऊँट घोड़े हैं तो मेरे पास उनको कन्ट्रोल करने का इलाज नहीं है,माननीय सदस्यों से निवेदन ही कर सकता हूं।(व्यवधान) कृपया बिराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इधर से भी अगर बांहे चढ़ाई गई है तो गलत है। (व्यवधान) गलत बता रहा हूं ना उसको। बोलने तो दीजिए कम से कम।

श्री अध्यक्षः कृपया बिराजे (व्यवधान) चर्चा को समाप्त करें। आगे समय बहुत हो गया है, चर्चा समाप्त करें, कृपया आप चर्चा समाप्त करें।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): उधर से उठकर आते हैं...(व्यवधान)

± ++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्षः कृपया चर्चा समाप्त करें श्री रामहेत सिंह। (व्यवधान) कृपया चर्चा समाप्त करें श्री रामहेत सिंह यादव। (व्यवधान) कृपया समाप्त करें, श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): बाली से आने वाले माननीय सदस्य बार बार...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप मंत्री महोदय बिराज जाए। (व्यवधान) मंत्री महोदय,आप बिराज जाए, प्लीज बिराज जाए मंत्री महोदय। (व्यवधान) मंत्री महोदय आप बैठ जाइये, आसन पांवों पर है, आप बैठ जाए। श्री रामहेत जी।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, आज मांग संख्या 36 (व्यवधान) मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक की दो शाखाएं हैं एक खेरथल है और एक कोटकासिम है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं सहकारिता की कोटकासिम बैंक का जो मैनेजर है वह तो एलडीसी लगा रखा है और जो मैंनेजर है उसको डेपूटेशन पर अलवर लगा रखा है, सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक अलवर में। ऐसी हालत में जहां सहकारिता का जो कन्सेप्ट है, एक तरफ तो सहकारिता की जीएसएस की और निर्वाचन की हम बात करते हैं दूसरी तरफ जो सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक है इसकी जो दुर्दशा है इसके पक्ष को अगर नहीं सुधारा तो सहकारिता की जो भावना है, किसानों को हम जो फायदा देना चाहते हैं वह अधूरी रहेगी। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कोटकासिम के अंदर जो फील्ड आफिसर है उसको तो कैशियर के पद पर लगा रखा है। उस बैंक का एक सामान्य एलडीसी है उसे ब्रांच मैनेजर बना रखा है। फील्ड आफिसर है उसकी जगह एक सैक्रेटरी को चार्ज दिया हुआ है। जहां पर जो लोन आफिसर है जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है दोनों बैंको में चाहे कोटकासिम हो चाहे खेरथल हो दोनों में पद रिक्त है और हालात यह है प्रमोशन की अगर हम चर्चा करें उसके कर्मचारियों की लाभ हित की बात करें तो जो लोन आफिसर है 69 से जब से पोस्टिंग हुई है एक बार भी उसकाक क्रमोन्नति नहीं मिली और उसके साथ उसके नीचे की ग्रेड के जो एलडीसी हैं उनको ब्रांच मैनेजर बना दिया गया उसका कारण है कि जो भी ब्रांच मैनेजर बनता है एक तो सीधी भर्ती से बनता है दूसरा जो एल.डी.सी. होते हैं 50 प्रतिशत उनका कोटा होता है। जो सीनियर स्केल का लोन आफिसर है, फील्ड आफिसर है, आज तक भी एक बार प्रमोशन नहीं हुआ, उससे जूनियर स्केल का हमारे तो ,मैं उदाहरण देना चाहता हूं हमारे जो फील्ड सुपरवाइजर हैं दोनों बैंकों की हालत यह है कि दोनों जगह सचिव महोदय को चार्ज दे रखा है और एक तो सचिव महोदय ऐसा है जो क्वालिफिकेशन 12वीं पास होनी चाहिये वह भी नहीं है केवल 8वीं पास है ऐसी हालत में हम सहकारिता की बातें करें और सोचें कि किसानों का हित होगा। सहकारिता मंत्री

महोदय को एक बात और कहना चाहता हूं दो हजार सदस्य हमारे यहां पर उस बैंक में नये बने थे 2006-7 में, उनकी हालत यह है कि उनको ऋण स्वीकृत हो गये, एक भी व्यक्ति को ऋण नहीं दिया गया। आये दिन समस्या आती है, यह बैंक ऋण नहीं देते और जो लीड बैंक है वह यहां पर चाहे सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक हो चाहे भूमि विकास बैंक हो यहां से नोड्यूज की आवश्यकता होती है यह नोडयूज नहीं दे पाते। वारिस है, अगर कोई ऋणदाता मर जाता है और उसका वारिस चाहे कि लोन भरकर वापस ऋण ले लें तो यह भी बड़ा मुश्किल होता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि जो सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक है इसके सिस्टम को नहीं सुधारा तो यह हमारी कार्यकारी एजेंसी है यह लोन देती है, सुविधा देती है और जो कर्मचारी है, और विभागों में तो यह है, अगर मान लीजिए प्रमोशन नहीं दे सकते तो 9-18-27 का इनको लाभ देना चाहिये, यह भी नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं जहां पर भण्डारण की व्यवस्था है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 43 जीएसएस इकाईयां हैं सभी जगह वहां गोदाम हैं लेकिन किसान की हम बात करते हैं वहां न तो खाद मिलती है, न बीज मिलता है न कीटनाशक दवाईयां मिलती है ऐसे हालात में हम यह सोंचे कि इस एजेंसी के माध्यम से हम किसान का भला कर पाएंगे तो यह अधूरी कल्पना है। मेरा आग्रह है जो भी पद रिक्त है उनको भरा जाए। सचिव सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है प्राय: देखने में आया है कि सचिव चाहे जिसको मैम्बर बना दें, चाहे जिसको अपनी सुविधा से अध्यक्ष बना देता है ऐसी हालत में इसके चुनाव की जो प्रक्रिया है वह निष्पक्ष होनी चाहिये। निष्पक्ष जब होगी जब हमारे नीचे का तंत्र है इसको ठीक करेंगे। ठीक कैसे करेंगे, एक -एक जगह पर 30-30,25-25 साल से वह सैक्रेटरी बैठा है, वह सारी व्यवस्था को जानता है, भण्डारण का काम उसके पास है, खाद बीज वह देता है, लोन सैंक्शन की फाइल वह बनाता है, लोन वह सैंक्शन करता है किसान बेचारा एक तरह से उसके पीछे रहता है जो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि विशेष रूप से सैन्ट्रल बैंक मेरे क्षेत्र में है खेरथल और कोटकासिम इसकी दुर्दशा है उसी कारण से लोनिंग व्यवस्था में भ्रष्टाचार होता है उसका भी सुदृढ़ करें,उसको हटाये ताकि लोन के सिस्टम से और जो नोडयूज की बात है, जो लीड बैंक है मान लीजिए आप सी.सी. बैंक से लोन नहीं दे सकते तो यह सिस्टम होना चाहिये कि वह एप्लाई करें तो सात दिन के अंदर उसको नोडयूज मिलना चाहिये, प्राय: ऐसा नहीं होता। एक तरफ हम किसान हित की बात करते हैं दूसरी तरफ सात प्रतिशत जो लोन की व्यवस्था है मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि इसको चार प्रतिशत करना चाहिये और जल्दी से जल्दी इसके चुनाव हो जाए उसके

बाद जो व्यवस्था हो हर सरपंच स्तर पर यह जीएसएस की इकाई होनी चाहिये, भण्डारण की व्यवस्था होनी चाहिये।

दुर्गा/चौहान 160709 1910 **4b**

यह जी.एस.एस. की इकाई होनी चाहिए। भण्डारण की व्यवस्था होनी चाहिए और किसान के हित की जो, यह देखा जाता है कि जी.एस.एस. इकाई है उनको अगर हम अनाज के भण्डारण के लिये कहते हैं, मना कर देते हैं, खाद-बीज की डिमाण्ड नहीं देते। जब डिमाण्ड ही नहीं देंगे तो खाद नहीं आयेगा और जब फसल पर आवश्यकता होती है तो उस किसान को खाद नहीं मिलने से उसको परेशानी होती है, जबरदस्ती उसको बाहर से जाकर खरीदना पड़ता है। ऐसे ही दवाइयों का है और ऐसे ही कृषि उपकरणों का है। सम्भवतः कृषि उपकरणों की तो यह स्थिति है कि वहां जी.एस.एस. पर, कोई भी जी.एस.एस. कृषि उपकरण नहीं खरीदती है, जो कि बहुत आवश्यक है। इसलिये मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस बैंकिंग व्यवस्था को सुधारा जाए, वेकेंसियों को भरा जाए। उनको 9-18-27 का लाभ दें और जिस तरह एल.डी.सी. को मैनेजर बना दिया जाता है और उससे सीनियर स्केल के लोग बैठे हैं, इस प्रक्रिया को ठीक किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, मैं आभारी हूं कि आपने अवसर दिया। सदन में अभी हमारे माननीय सदस्य जो मुझसे पूर्व यहां पर कांग्रेस के बोल रहे थे...।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ये डिमाण्ड पर नहीं बोल रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृपया विषय पर आ जाएं। प्लीज, प्लीज। (व्यवधान) प्लीज, विराजिए। (व्यवधान) व्यवधान नहीं, कृपया विराज जाएं। (व्यवधान) कृपया विराजें। कृपया विराजें। (व्यवधान) आप शुरू करें, शुरू करें, विषय पर।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): विषय पर ही बोलूंगी, सर। पूरी तैयारी की है, विषय पर बोलने की। लेकिन इससे पूर्व जो मन को ठेस पहुंची है उसके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्षजी, आपके सामने हम सभी सदस्य बोलेंगे। और इसलिये कहना चाहते हैं कि आज...।

श्री अध्यक्षः कृपया व्यवधान नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आज सदन तीन दिन के बाद चला। और अगर यह चला है तो इसका श्रेय किसी को जाता है तो वह हमारी प्रतिपक्ष की नेता को जाता है, जिन प्रतिपक्ष की नेता का...(व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजनीतिक भाषा इस्तेमाल नहीं करें और डिमाण्ड पर बोलें। और अगर सदन चला है तो वह सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से चला है, किसी एक के सहयोग से नहीं चला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं, कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमारी माननीय सदस्य बोल रही हैं, अपनी बात कह रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी बोल रही हैं। कृपया विराजें, माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): यह नम्बर बढ़ाने का काम कर रही हैं यहां।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, माननीय सदस्य, कृपया विराजें। चर्चा समाप्त करें। कृपया विराजें। आप विषय पर आएं। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नम्बर बढ़ाने का काम तो आप सबको करना है क्योंकि मंत्री तो आप लोगों को बनना है। इसलिये शांति से बैठिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं, कृपया विराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से यह बात कहनी है कि सदन की गरिमा को बारबार ठेस पहुंचाई जा रही है। कभी महिलाओं का अपमान इस सदन के अन्दर किया जाता है, कभी महिलाओं के बारे में अंट-शंट बोला जाता है यहां पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवधान नहीं। (व्यवधान) कृपया व्यवधान नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): राजस्थान की विधान सभा, यह पवित्र स्थान... (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): डिमाण्ड पर बोलें, डिमाण्ड पर बोलें। (व्यवधान) विषय पर बोलें ना। विषय से हटें नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विषय पर आ जाएं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): विषय पर ही आ रही हूं। (व्यवधान) लेकिन एक महिला होने के नाते..। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सब्जेक्ट पर बोलें आप। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सहकारिता पर बोलें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सहकारिता की बात करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सब जानते हैं। कृपया विराजें, कृपया शांति रखें। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान की यह धरती वीरांगनाओं की धरती है। हमने राजस्थान में महिलाओं को हमेशा पूजा है। महिलाओं को आदर और सम्मान दिया है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इसलिये टिप्पणी की थी, इसलिये मेरी घरेलू सदस्य पर (व्यवधान) वह भी महिला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया विराजें, माननीय सदस्य, विराज जाएं। (व्यवधान) आसन पांवों पर है, कृपया विराज जाएं। अंकित नहीं होगा। किरण माहेश्वरी के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा। श्रीमती किरण माहेश्वरी के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, नहीं, कृपया विराज जाएं। श्रीमती किरण माहेश्वरी के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा। आप शुरू करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराज जाएं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, मैं कह रही थी कि तीन दिन से इस सदन के अन्दर गतिरोध हुआ और वह इसी बात को लेकर हुआ जो हठधर्मिता उधर बैठे हुए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, कृपया विराजें। माननीय सदस्य, महिला सदस्या बोल रही हैं। अपने विषय पर आ रही हैं, कृपया आप विराजें। कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): तीन दिन से यहां पर गतिरोध था। लेकिन आज पूरी सारी बातों को भुलाकर, माननीय प्रतिपक्ष की नेता ने इतना बड़ा दिल रखा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विषय पर आ जाए, विषय पर आ जाएं। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): और उन्होंने राजस्थान के हित में अपने अपमान का घूँट पीकर इस सदन को चलाने में...। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): 000

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): 000

श्रीमती जाहिदा (कामां): 000

श्री अध्यक्ष: कृपया विषय पर आ जाएं, विषय पर। (व्यवधान) और किसी का

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

अंकित नहीं होगा, श्रीमती किरण माहेश्वरी बोलें, वह अंकित होगा, और किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) मैंने किसी को इजाजत नहीं दी है। आसन पांवों पर।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरजी, मैं निवेदन करुंगा, जरा विषय पर आ जाएं, व्यवधान नहीं। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): [000]

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा, केवल श्रीमती किरण माहेश्वरी का होगा। उनको मैंने बोलने की इजाजत दी है, किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000

श्री अध्यक्ष: विषय पर आइये। विषय पर आइये। मैंने श्रीमती किरण माहेश्वरी को समय दिया है। उनका समय खराब मत करिये, मेहरबानी करके। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, सदन में यहां पर माननीय सदस्य ने कहा, मुझे माफी मांगने में कहीं शर्म नहीं आती, बहुत अच्छा लगा सुनकर। लेकिन माफी मांगना और माफी देना यह दोनों ही बहुत...। (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जिस तरह की टिप्पणी हम सब पर की.. (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): 000

श्री विजय बंसल (भरतपुर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, और किसी का अंकित नहीं होगा। किसी अन्य दूसरे माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बड़प्पन दिखाई। माफी मांगनी थी तो माफी मांगते। जब माननीय सदस्य आपको बारबार... (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: कृपया विषय पर आएं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लेकिन असंसदीय शब्दों का प्रयोग करना, यह सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, माननीय अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: कृपया कट-मोशन के विषय पर आएं। किसी का अंकित नहीं होगा,

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

किसी का अंकित नहीं होगा। अन्य किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): [000]

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी, आज विषय पर कृपया आएं। विषय पर आएं। आपका सारा समय ऐसे ही निकल जाएगा। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, मांग संख्या 26 के ऊपर, सहकारिता के ऊपर...।

श्री अध्यक्ष: आप विषय पर आएं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल, विषय पर ही आ रही हूं। जो मन को ठेस पहुंची थी, इसलिये बोलना जरुरी था, मैं विषय पर आ रही हूं।

सहकारिता के सन्दर्भ में हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे थे। राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं की बहुत ही कमजोर भूमिका रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवधान नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसलिये कि जब हम लोग देखते हैं कि सरकार की ओर से जो महिलाओं को सहकारिता के क्षेत्र में जो सपोर्ट मिलना चाहिए, उस सपोर्ट की कहीं न कहीं कमी रही। लेकिन पिछली सरकार को, अगर देखें तो उसमें माननीय पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी ने एक अभियान चलाकर महिला सहकारी समितियां बनवाईं और गांव-गांव के अन्दर महिला सहकारिता समितियां बनीं। लेकिन आज उन महिला सहकारिता समिति को जो केन्द्रीय बैंक है, उन बैंक के द्वारा जो लोन मिलना चाहिए, उन सहकारी समिति को वह लोन नहीं मिल पा रहा है। उसके अभाव में बहुत सारी ऐसी महिला सहकारिता समितियां हैं जो बन्द होने के कगार पर आ गईं। मैं इसलिये इस बात का निवेदन करना चाहती हूं कि यह महिला सहकारी समितियां जो हैं इनको मजबूत करने के लिये यह जरुरी है कि इन्हें जो ऋण मिलना चाहिए, जिस ऋण की ये एप्लीकेशंस देती हैं उनके ऊपर गौर फरमाएं और देखें पूरे राजस्थान भर में महिला सहकारी समितियों के द्वारा जो ऋण मांगा गया, उसमें ऊँट के मुंह में जीरे के समान इन्हें ऋण दिया जाता है। लीड बैंक आफिसर हर जिले में होता है और लीड बैंक आफिसर यह काम करता है कि जहां लोन हो वह लोन तरीके से, बराबर से डिस्बर्समेंट हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि जो महिला सहकारी समितियां हैं उनको बराबर से जो लोन मिलना चाहिए, वह लोन उनको मिले। साथ-साथ उन्हें और सशक्त करने के लिये जो मिड-डे मील्स जो हमारे चल

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

रहे हैं, स्कूलों के अन्दर, जो मिड-डे मील्स चलते हैं वह मिड-डे मील आज की तारीख में जो शिक्षक हैं, वह शिक्षक बनाते हैं, बहुत परेशानी हैं, 2-4 दिन से रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं कि शिक्षकों के लिये अभी तो वापस से चुनाव का समय आ गया, वह पढ़ाई और स्कूल को छोड़कर और वहां ड्यूटी निभा रहे हैं। और शिक्षकों के ऊपर बहुत सारा भार डाल दिया है। लेकिन इन मिड-डे मील्स का काम हम महिला सहकारी समितियों के माध्यम से करवा सकते हैं।

Vps-usc- 16.07.2009-19.20-4c-1

इसको मेंडेटरी कर दीजिए कि जहां-जहां भी मिड डे मील्स की सुविधा हमें देनी है जिन स्कूल्स में, उन स्कूल्स के लिए उन्हें महिला सहकारी समिति के साथ जोड़ दिया जाए, यह मेरा पहला सुझाव है।

इसके अलावा जी.एस.एस. की बात अभी बहुत सारे हमारे माननीय सदस्यों ने यहां पर सदन के अन्दर की और जी.एस.एस. बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। फिर मैं कहूंगी कि पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने हर ग्राम पंचायत के अन्दर एक ग्राम सेवक की नियुक्ति की थी क्योंकि ग्राम पंचायत हमारी मजबूत होनी चाहिए। इसी तरीके से जी.एस.एस. भी मजबूत हो, उसके लिए हर जी.एस.एस. में व्यवस्थापक, जो सारे अभी माननीय सदस्यों ने भी, बहुत सारों ने कहा कि जी.एस.एस. के अन्दर व्यवस्थापक की बहुत कमी है। लगभग 50 परसेंट ऐसे जी.एस.एस. है जहां पर व्यवस्थापक नहीं है तो यह भी अनिवार्य करें, यह भी इनको भी किसी तरीके से कि हर जी.एस.एस. के अन्दर एक व्यवस्थापक हो, इसको सुनिश्चित करे सरकार तभी जाकर हम इस जी.एस.एस. को मजबूत कर पाएंगे और जब हम बात करते हैं कि हम लोग जी.एस.एस. के अन्दर, जी.एस.एस. से ही आगे बढ़ना है, वही करना है तो उसको मजबूत करने के लिए जरूरी है कि व्यवस्थापक हर जी.एस.एस. के हो।

दूसरा, मेरा कहना है कि बजट में सरकार ने अभी महिला समितियों को प्रबंधकीय सहायता देने की घोषणा की है, अब यह प्रबंधकीय सहायता जो देंगे, उसका क्या स्वरूप होगा, इसके बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया। इसकी सहायता के नाम पर क्या यह समितियों की स्वायत्तता तो खतम नहीं हो जाएगी? इसके बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि स्वायत्तता खतम होती है जब कभी भी हम लोग किसी को प्रबंधकीय, हम लोग कुछ अनुदान देते हैं तो उसके ऊपर, कहीं न कहीं सरकार कोई न कोई उसके ऊपर बैठा देती है, सरकार के नुमाइन्दों को, जो लोग उनके ऊपर कण्ट्रोल करते हैं लेकिन एक तरफ जब हम सहकारिता आन्दोलन की बात करते हैं तो वह अपने आप में फ्री होनी चाहिए। उन

सहकारी समितियों को अगर प्रबंधकीय सहायता देने की घोषणा की है तो यह भी स्पष्ट करे सरकार कि क्या इन समितियों को स्वायत्तता का हनन तो नहीं होगा इनका? राजकीय कर्मचारियों का हस्तक्षेप तो नहीं इनमें होगा? इसके बारे में सरकार ने कहीं पर भी कुछ भी बात अंकित नहीं की है। अपने बजट में सरकार ने ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः डिस्टर्ब नहीं, कृपया शांति बनाये रखें। ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अपने बजट में यह भी बात कही सरकार ने कि बाड़मेर, डूंगरपुर, कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर में समग्र सहकारी विकास योजना के लिए 78 करोड़ रुपये की घोषणा उन्होंने की। अब इस योजना का भी क्या स्वरूप होगा, इसके बारे में भी कहीं स्पष्ट नहीं है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि मैं इसको जानूं कि यह जो 78 करोड़ रुपये हैं, वह कहां कैसे क्या दिये जाएंगे लेकिन इसके बारे में उन्होंने कोई इसमें दिया नहीं। यह राशि का उपयोग किस प्रकार से होगा, कौन कर सकेगा, इसके बारे में कहीं कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

सहकारी बैंकों के अन्दर कम्प्यूटरीकरण के लिए यह केवल एक घोषणा इन्होंने कर दी कि हम लोग इसको कम्प्यूटर्राइज्ड कर देंगे, सब सहकारी बैंकों को लेकिन कम्प्यूटर्राइज्ड करने के लिए कोई ठोस नीति की घोषणा करें। सॉफ्टवेयर क्या यह फ्री देंगे? इन्होंने ऐसी कोई बात की है? इन्होंने कोई समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करी है? ऐसी कहीं कोई बात नहीं, केवल यह कहा कि सब कम्प्यूटर्राइज्ड हो जाए। अब यह जो केवल, वेग में ऐसा लगता है घोषणाएं मात्र हैं। हवा में कही गयी बात है। धरातल के ऊपर उसे किस तरीके से लागू किया जाएगा, इसके बारे में सरकार ने कोई स्पष्ट नहीं कहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि उदयपुर का जो हमारा उपभोक्ता भण्डार है वह बहुत ही अच्छे लाभ में चल रहा है। आप उन उपभोक्ता भण्डारों का भी केटेगरीज करिये। 'ए' केटेगरी, 'बी' केटेगरी, 'सी' केटेगरी तो पता चले कि कौन-कौन से उपभोक्ता भण्डार अच्छे चल रहे हैं तो उन्हें कुछ और एक्स्ट्रा फायदा कैसे दिया जा सकता है, अब उदयपुर के उपभोक्ता भण्डार ने सबसे पहला सुपट मार्केट कंज्यूमर्स का अगर किसी ने शुरू किया राजस्थान में तो वह उदयपुर था जहां से यह सुपर मार्केट शुरू हुआ। अब ऐसे सुपर मार्केट्स जो शुरू करते हैं, ऐसे उपभोक्ता भण्डारों को पाँचवें और छठे वेतन आयोग का लाभ उनके कर्मचारियों को नहीं मिलता, यह बड़े दु:ख की बात है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम बहुत संवेदनशील हैं लेकिन आज उन कर्मचारियों को चौथे वेतन आयोग का ही उनको पैसा मिल रहा है सैलेरीज, उनको पाँचवाँ और छठा वेतन आयोग उन पर लागू ही नहीं हुआ है। इसलिए मैं, और उनकी नियुक्तियों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं। अब मैं इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि सरकार

उन कर्मचारियों को जो अच्छा काम करते हैं, उनको शाबासी दे और उनके लिए अच्छी योजनाएं बनाये, उनके वेतन का उनको लाभ, हक उनको मिले, यह सारी बात भी होनी चाहिए।

इसी तरीके से जो कॉ-आपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं, क्योंकि मैं भी एक कॉ-आपरेटिव बैंक की संस्थापक अध्यक्ष रही हूं। राजस्थान का पहला महिला कॉ-आपरेटिव बैंक हमने उदयपुर में शुरू किया और आज अगर महिला कॉ-आपरेटिव बैंक्स को जितना ज्यादा प्रमोट सरकार करेगी, उतना ही महिला सशक्तीकरण की ओर हम बढ़ सकेंगे लेकिन महिला कॉ-आपरेटिव बैंक तो दूर की बात है, कॉ-आपरेटिव बैंक्स की भी अगर बात करें तो सन् 2000 के बाद में राजस्थान के अन्दर एक भी कॉ-आपरेटिव बैंक नया नहीं खुला। सरकार को इसके बारे में निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। हम क्रेडिट सोसाइटीज की बात करें, महिला क्रेडिट सोसाइटीज जितनी ज्यादा से ज्यादा खुल सके, उसकी बात करें। सरकार इस पर ध्यान दे कि क्या उनकी तरफ प्रोत्साहन के लिए क्या किया जाएगा कि जहां ज्यादा से ज्यादा कॉ-आपरेटिव बैंक्स हम लोग खोल सके। महिला कॉ-आपरेटिव बैंक्स खुल सके। महिला कॉ-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज खुल सके इसके बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, यह भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं।

अब जो नई सहकारी समिति अगर कोई बनाता है तो उस पर भी किस तरीके का है कि जब हम नई सहकारी समिति बनायें तो उसके लिए मॉडल रूल्स के नाम पर यह जो सरकार के जो कर्मचारी हैं, वहां पर वे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। कोई भी सहकारी समिति आप बनाने जाओ तो कहेंगे कि मॉडल रूल्स के आधार पर हमें देखना पड़ेगा। अब मॉडल रूल्स हर चीज के अलग-अलग बना रखे हैं। अगर उपभोक्ता भण्डार बनाना है तो उसका मॉडल रूल अलग, क्रेडिट सोसाइटी बनानी है तो उसका मॉडल रूल अलग, बैंक बनाना है तो उसका मॉडल रूल, सहकारी समिति, जी.एस.एस. बनाना है तो उसका अलग तो यह मॉडल रूल्स के नाम पर सरकारी कर्मचारी वह जो सहकारी समिति बनाने के लिए जो लोग आते हैं, उनको परेशान करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगी कि मॉडल रूल एक होना चाहिए। उस मॉडल रूल के आधार पर वह एक रूल हो, उसके अन्दर जो भी सारी है, वह सब फॉर्मलिटीज पूरी की जाए। रेगुलेशन एक होना चाहिए और उसके आधार पर वह रजिस्ट्रेशन उसका हो जाए। केन्द्र सरकार के अन्दर भी कम्पनीज एक्ट के अन्दर एक ही रेगुलेशन है। एक रेगुलेशन होगा, उसके आधार पर वह जाएगा, अन्यथा नहीं तो वह बारबार चक्कर काटते रहेंगे और सहकारी समिति बनाने के लिए बहुत सारी बार वहां पर अधिकारियों के पास में जा-जाकर बैठना पड़ता है और फिर भ्रष्टाचार की सीमा उलांघ लेते हैं और इतना भ्रष्टाचार है कि उसकी कोई सीमा नहीं और इसीलिए आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और

ऐसा विषय मेरे सामने आया जो भी मैं इस सरकार के ध्यान में लाकर ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी उसी विषय पर भी कि जो एम.डी., आर.सी.एफ.डी. है, वह रजिस्ट्रार का कहना नहीं मानते। वे बिलकुल ...(व्यवधान)... मैं धीरे से, एकदम एक मिनट में खतम कर रही हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप अच्छे सुझाव दे रहे हैं और पहली बार बोल रही हैं। इस सदन में आयी भी पहली बार हैं और महिला सदस्य है इसलिए मैंने आपको काफी समय दिया है। कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): धन्यवाद साहब। धन्यवाद बहुत-बहुत। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण विषय जो मैं कह रही हूं ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: विराज जाएं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवधान नहीं। यह 'विराज जाएं' का आदेश आपको नहीं देना है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको सरकार अगर गम्भीरता से लेगी तो शायद जो सहकारी समितियां या जो सहकारी क्षेत्र के अन्दर काम करने के लिए अपनी जो रुचि रखते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा इसलिए यह ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जो एम.डी., आर.सी.डी.एफ. है वह एम.डी., आर.सी.डी.एफ. द्वारा रजिस्ट्रार महोदय के 17 तारीख के आदेशों की पालना, यानी एक ऐसा आदेश जो मेरे माननीय, अभी यहां पर बैठे हुए दो-तीन माननीय सदस्यों ने उठाया था लेकिन शायद उतनी गम्भीरता से सुना नहीं गया इसलिए बता रही हूं कि जहां रिटायरमैंट की आयु 58 साल से 60 साल करने की बात आयी तो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स जो हैं, डेयरी फैडरेशन के, उनको पूछना चाहिए, उनकी सहमति लेनी चाहिए लेकिन उनकी सहमति नहीं ली जाती है। रजिस्ट्रार कहते हैं कि सरकार की यह मंशा है कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स से आज्ञा लेकर उनके यहां प्रस्ताव पारित कराकर उसके बाद यह आयु बढ़ायी जा सकती है लेकिन वे नहीं मानते और एम.डी. यह कहते हैं कि जो मैंने कह दिया वही सब कुछ है, न रजिस्ट्रार की बात मानते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): न सैक्रेटरी की बात मानते हैं। हाई कोर्ट के अन्दर मैटर गया। हाई कोर्ट ने भी इसके अन्दर आदेश दे दिया कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स जो है उनकी सहमति से ही आप आयु बढ़ा सकते हैं, उनकी भी बात नहीं मानते लेकिन एम.डी., आर.सी.डी.एफ. जो बात कह देते हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। धन्यवाद।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): वह पत्थर की लकीर है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि कृपा करके ऐसे जो एम.डी., आर.सी.डी.एफ. हैं, उनके ऊपर कहीं न कहीं अंकुश करिये नहीं तो सहकारिता आन्दोलन की बात तो हम बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन उस सहकारिता आन्दोलन का कोई फायदा नहीं होगा अगर हम हमारे जो अधिकार है उनको सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): धन्यवाद सर।

श्री अध्यक्ष: थैंक्यू। श्री परसादीलाल मीणा, सहकारिता मंत्री वाद-विवाद पर उत्तर देंगे। श्री परसादीलाल मीणा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब बाद में दे देंगे। हमारे भी प्रश्न का जवाब आ जाएगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। कृपया आप विराजें। कृपया आप विराजें।

शिव/usc/16.7.2009/19.30/4d

कृपया बिराजें। जब आपका नाम पुकारा तब तो आप बाहर चले गये तो अब कृपया व्यवधान नहीं। (व्यवधान)... श्री परसादीलाल जी मीणा। (व्यवधान) नहीं, परसादीलाल जी मीणा।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): अध्यक्षजी, कृपया दो मिनट बोलने का अवसर दें। (व्यवधान)..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपने सदस्यों के साथ ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजें माननीय सदस्य, आप बिराजें। मैं माननीय मंत्रीजी का नाम पुकार चुका हूं। आपका नाम नहीं था सूची में, कृपया बिराजें। कृपया बिराजें। (व्यवधान).. आपका नाम आपके सचेतक महोदय ने नहीं दिया था। कृपया आप बिराज जायें। कृपया बिराज जायें। ..(व्यवधान)..

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्षजी, दो मिनट के लिये, ओनली दो मिनट के लिये। .(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी सदस्य का अंकित नहीं होगा। केवल परसादीलाल जी मीणा का करें। ..(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):000

श्री विजय बंसल (भरतपुर): 000

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों ने सहकारिता की चर्चा में भाग लेते हुए अपने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में अपने बहुमूल्य सुझाव दिये। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहस की शुरूआत बहुत अच्छी करके इस सहकारिता को कैसे और मजबूत बनायें, किस तरह किसानों के लिये, गरीबों के लिये, जरूरतमंद लोगों के लिये, खाद के लिये, बीज के लिये व चुनाव की बात की। किस तरह इसको भ्रष्टाचार से मुक्त बनायें, यह सारे सुझाव आपके बहुमूल्य सुझाव दिये। कटौती प्रस्ताव भी 120-125 के करीब आये। इससे लगता है कि सहकारिता के विषय पर सभी माननीय सदस्य बहुत चिन्तित हैं और इसमें सुधार की गुजाइंश होनी चाहिये, सुधार आना चाहिये और जो भी आपके सुझाव आये, मैंने आपके सारे सुझाव नोट किये हैं। सारे सुझावों के लिये मैं अपने विभाग को निर्देश दिया कि वह आपके सुझाव पर प्रभावी कार्यवाही करें और आपके जो कटौती के प्रस्ताव हैं, मैं उनका सभी का लिखित में माननीय सदस्यों को जवाब दे दूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता आन्दोलन को अगर किसी ने मजबूत बनाया है, राजस्थान में इसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश की है, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की कोशिश से आज यह सहकारिता क्षेत्र मजबूत बनने जा रहा है। जब पिछली बार आप मुख्य मंत्री थे, खेतसिंह जी राठौड़ हमारे सहकारिता मंत्री थे, उनके साथ मैं राज्य मंत्री था। सारी जगह चुनाव की मांग आई। प्रदेश के सहकारिता से जुडे हुए हमारे सहकारिता के जो नेता हैं, जो सहकारिता को एक तरह से आन्दोलन के रूप में देखते हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि हमारा पुराना अधिनियम बहुत ही ऐसा हो गया जिससे सहकारिता आन्दोलन नहीं बढ़ सकता। पूरे सदन की यहां पर एक कमेटी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्रीजी को दी। फिर इस पर पूरे हाउस की सलेक्ट कमेटी बनायी। माननीय कटारिया जी उसमें थे और सबकी राय से, सर्वसम्मति से यह अधिनियम यहां विधान सभा में पारित कराकर ऐसी व्यवस्था की। मैं आज कह सकता हूं हमारे देश के किसी भी राज्य में हमारा जैसा सहकारिता अधिनियम नहीं है और इसको बनाने का श्रेय मिला है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को मिला है। ऐसी ही चुनाव की व्यवस्था को देख लें, निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, लोगों को किस तरह यहां पर ऋण मिले। पहले यह प्रावधान था दो बार कोई सहकारिता का अध्यक्ष बन जायेगा तो वह तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेगा।

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं गुजरात और महाराष्ट्र में जैसे है चाहे 10 बार या जीवन भर भी एम एल ए, एम पी और मिनिस्टर रहकर भी वह लोग इस सहकारिता से जुड़े रहते हैं। हम भी चाहते हैं हमारे प्रदेश में सहकारिता में अनुभवी लोगों को इस सहकारिता आन्दोलन से जोड़कर रखें। हमने इस नये एक्ट में प्रावधान किया है चाहे अध्यक्ष दो बार, पाँच बार, दस बार लगातार इसमें अपना काम करें। चुनाव का अधिकार है, इसलिये इसको हमने इस तरह का अधिनियम बनाया है। मैं आज गर्व से कह रहा हूं कि ऐसा अधिनियम पूरे देश में नहीं है।

आज अधिनियम के बारे में इसकी जो व्यवस्थाएं हैं, अभी आपने कहा कि व्यवस्थापकों की भर्ती नहीं हुई, ऋण माफी में अच्छा काम किया है और हमारे को-आपरेटिव बैंक मैं आपको बताऊंगा कि गत वर्ष जो हमारा 2400 करोड़ का क्रोप लोनिंग हुआ था, इस साल हमने 3200-3300 करोड़ रुपये का क्रोप लोन का प्रावधान किया है। मैं राजेन्द्र जी राठौड़ को, जो इनको गलतफहमी हो रही है, हमारी सरकार जो कहती है वह करती है। आपकी सरकार ने कहा ..(व्यवधान) आप सुनिये आपकी सरकार ने पिछली बार कहा हम 7 प्रतिशत पर क्रोप लोन देंगे। आपके आदेशों को आपके विभाग के सरकारी अधिकारियों ने नहीं माना। केवल 14 बैंकों में लागू किया, न कृषक मित्र ने माना, न किसान क्रेडिट कार्ड ने माना, न अन्य बैंकों ने माना। मैं आज आश्वस्त करना चाहता हूं पूरे हाउस को कि अब क्रोप लोन 7 प्रतिशत पर ही पूरे राज्य में मिलेगा, चाहे वह चूरू हो, बाड़मेर हो, चाहे बीकानेर हो। कहीं पर भी कोई भी क्रोप लोन पर 7 प्रतिशत से ज्यादा वसूली बैंक नहीं करेंगे। कृषक मित्र का जो आपके समय ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः कृपया बिराजें, व्यवधान नहीं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आपको शंका हो तो आप मेरे से सवाल पूछ लेना। कृषक मित्र योजना में आपकी सरकार के समय 12 प्रतिशत पर किसानों को कार्ड देते थे। हमने फैसला किया है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने फैसला किया है कि अब किसानों को चाहे कृषक मित्र हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, उस पर 7 प्रतिशत ही पूरे राज्य में देंगे। अब 12 प्रतिशत ब्याज नहीं लगेगा। आज कृषि की लागत बढ़ गयी, खेती की लागत बढ़ गयी। ढाई लाख का जो कृषक मित्र कार्ड था, हमने उसको साढ़े तीन लाख कर दिया और नहरी क्षेत्र जो था ढाई लाख, उसकी सीमा हमने चार लाख तक कर दी। इसलिये आज किसानों के लिये हमारी सरकार ने जो निर्णय किये हैं, वह पूरे सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करने के लिये है। आपको खुशी होगी, आपकी सरकार ने तो एक प्रतिशत छूट का प्रावधान दिया था कि जो अच्छी रिकवरी है, जिनका अच्छा काम है, जो समय पर रिकवरी देते हैं, उनको एक प्रतिशत छूट देंगे। पर आपने एक पैसा भी बैंकों को नहीं दिया। अभी भारत सरकार के माननीय प्रधान मंत्री जी ने और वित्त

मंत्रीजी ने घोषणा की है, जो अच्छा काम बैंकों में करेंगे, रिकवरी टाइम पर देंगे, उन किसानों को एक प्रतिशत की छूट भारत सरकार देगी। जो अच्छी रिकवरी वाले किसान हैं उनको 6 प्रतिशत पर अब क्रोप लोन मिलेगा।

व्यवस्थापकों की भर्ती का मामला था। राठौड़ साहब कह रहे थे कि व्यवस्थापकों की भर्ती नहीं की है। यह क्यों कैंसिल हो गयी? यह कैंसिल होने का कारण नियमों के विरूद्ध आपने जगह निकाली। नियमों के विरूद्ध आपने उनकी एप्लीकेशंस लीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं, कृपया बिराजें। (व्यवधान).. कृपया बिराजें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): यह बहुत पेचीदा मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल्स आपकी सरकार ने बनाये, हमने नहीं बनाये। एक्ट हमने बनाया। रूल्स आपकी सरकार ने बनाये, आपके मंत्रीजी एल एल एम थे, उन्होंने रूल्स को नहीं देखा। सहायक व्यवस्थापक, जो 1400 के करीब प्रदेश में लगे हुए थे सहायक व्यवस्थापक 10-15 साल से, 22 साल से, उनकी भी आप परीक्षा करा रहे हैं। वह कह रहे हैं हम तो 20 साल पहले लगे थे, 25 साल पहले लगे थे। वह हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिले, हमारे कैबिनेट के साथियों से मिले, हमारे विधायकों से मिले और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फैसला किया है, उन सभी सहायक व्यवस्थापकों को जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, इसके रूल्स आपकी सरकार ने बनाये हैं, उन रूल्स के अन्तर्गत हम सबको परमानेंट कर देंगे। वह बैंक का काम है इसलिये हम कोई परीक्षा नहीं करायेंगे। 1400 यह कम हो गये। शेष रहे 322, यह कहीं भी प्रावधान नहीं है कि हम व्यवस्थापकों की भर्ती कोई परीक्षा करके करायें। आप रूल्स पढ़िये, रूल्स में लिखा है कि यह बैंक करेंगे। बैंकों का काम है, सोसायटी का अध्यक्ष रहेगा। एक पाँच सदस्यीय कमेटी बनी हुई है, रूल्स हैं। उसमें सोसायटी का अध्यक्ष भी रहेगा, बैंक का एम.डी.भी रहेगा, अपेक्स बैंक का प्रतिनिधि भी रहेगा, वहां का डी आर, ए.आर. भी रहेगा। सब भर्ती वह करेंगे। सरकार को कहां से अधिकार है। आपने एक करोड़ इकट्ठा किया। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, एक करोड़ आपने इकट्ठा किया। 36 लाख शायद उसमें से खर्च कर दिया। जिस कम्पनी से आपने एम ओ यू किया था भर्ती करने का, जिनसे एप्लीकेशन ली, उनके साथ सरासर आपने धोखाधड़ी की है। इसके लिये हम कोई दोषी नहीं हैं। ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवधान नहीं। कृपया मंत्रीजी का उत्तर आने दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्षः व्यवधान नहीं। कृपया मंत्रीजी का उत्तर आने दीजिये। मंत्रीजी उत्तर चालू रखो। कृपया बिराजें। ...(व्यवधान)... कृपया आप बिराजें। कृपया सुन लें। ..(व्यवधान) .. कृपया आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

एक माननीय सदस्य: 000

श्री अध्यक्षः आपका अवसर था, आप बोल लिये। अब इनका अवसर है, इनको बोलने दीजिये। बिराजिये, बिराजिये। ..(व्यवधान)... बिराजिये।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप सही कह रहे हैं, 51 हजार लोगों की आपने एप्लीकेशंस लीं। ..(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्षः मंत्रीजी का उत्तर आ जाने दीजिये। मंत्रीजी का उत्तर आ जाने दीजिये। ..(व्यवधान).. मेहरबानी करके उत्तर आ जाने दीजिये। कोई अंकित नहीं हो रहा है अन्य का। कोई अंकित नहीं होगा। मंत्रीजी, आप चालू रखें। ....(व्यवधान)...कृपया आज बिराजें। कृपया आज बिराजें। अंकित नहीं हो रहा है। ..(व्यवधान)..माननीय सदस्य, आपको यह ही ध्यान नहीं कि मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं।

Solanki/usc 16.07.2009 19.40 4e

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो रहा है। बिराज जाएं माननीय सदस्य। आपको यही ध्यान नहीं है कि मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला राजस्थान के बेरोजगार लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इन्होंने रूल्स में संशोधन नहीं किया। रूल्स इन्होंने बनाये। 322 की जो भर्ती है जिसका पैसा एक करोड़ रुपये इन्होंने इकट्ठा किया, पाँच हजार लोगों ने एप्लरकेशंस दीं और एक मुम्बई की कम्पनी से इन्होंने कान्ट्रेक्ट किया जिसको 36 लाख रुपये एडवांस दे दिए इन्होंने। यह सरासर धोखाधड़ी है। हमारी सरकार, हमारे पास जो पैसा जमा है, इन्होंने जो पैसा खर्च कर दिया वह तो ये देंगे, हमारे पास जिन अभ्यर्थियों का पैसा जमा है, हम उसको लौटाने के लिए तैयार है। उसमें कोई दुविधा नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): [000]

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

(आसन द्वारा नोट नहीं करने का संकेत किया गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्षः आप बिराजें।

एक माननीय सदस्यः 000

श्री अध्यक्षः आप बिराजिए। मंत्रीजी का उत्तर आने दें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सहकारी संस्थाओं के चुनावों की बात आयी। हम एक्ट बनाकर गये, रूल्स आपने बनाये। आपने कोई चुनाव नहीं कराये। बैंकोंके जो भी चुनाव हुई, मार्केटिंग के हुए, जी एस एस के चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से हुए, आपने राज़ी से नहीं करवाये और जब बैंकों के चुनाव हुए अध्यक्ष महोदय, जो बैंक हाई कोर्ट में गया उसके चुनाव हो गए। बाकी का कोई धनी धोरी नहीं है आज तक। ढाई पौने तीन साल हो गए। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, हमारी सरकार ने फैसला किया है, सभी संस्थाओं के चुनाव जो भी रिक्वेस्ट करेंगे, इलेक्शन आथोरिटीको करेंगे, सरकार उसमें कहीं कोई रोक नहीं लगा रही है। जो भी चुनाव करवाना चाहे वह इलेक्शन आथोरिटी में जाए। सरकार की तरफ से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए इलेक्शन आथोरिटी स्वतंत्र है। इसलिए 15 जुलाई से हमारे चुनाव शुरू हो रहे हैं। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको भरोसा देता हूं, पूरे हाउस को देता हूं, 15 जुलाई से लेकर 30 दिसम्बर तक सहकारी संस्थाओं के कोई भी चुनाव बकाया नहीं रहेंगे। आप भरोसा रखिए। हमारी सरकार की करनी और कथनी में अन्तर नहीं है। आपकी तरह नहीं हैं कि कोई हज हाउस बनाये और कोई हज हाउस को तोड़े। वह हमारी नीति नहीं है। हमारे नेता में हमारा पूरा विश्वास है। नेता हमारा जो फैसला कर देगा उसको हम सभी मानने को तैयार हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): [000]

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सहकारी संस्थाओं के चुनाव अध्यक्ष महोदय, बिलकुल स्वतंत्र रूप से होंगे। इलेक्शन आथोरिटी चुनाव करावायेगी। सरकार का उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। यह मैं आपको भरोसा देता हूं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आपके पहले वाले भी काबिल थे।

श्री अध्यक्षः कौन काबिल थे?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम इस साल 3200 करोड़ रुपये का लोन देंगे। गत वर्ष केवल 2400 करोड़ रुपये का लोन दिया था

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्षः आपके एल एल एम मंत्री ही काबिल नहीं थे इनके भी एल एल बी मंत्री काबिल थे, आपके समधि।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): एल एल बी ही वह थे।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): इसलिये आज हमने फैसला किया है कि खाद के लिये, बीज के लिये जो भी हमारी लिमिट है, जो लिमिट पहले बीस हजार हुआ करती थी, हमने उसको बढ़ाकर, मंहगा डीजल, मंहगी खाद, मंहगी दूसरी चीजें हो गयी, इसलिये किसानों के लिये उस लिमिट को बढ़ाकर हमने पचास हजार तक करने का फैसला किया है ताकि छोटे किसानों को भी पचास हजार तक का क्रोप लोन मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी सूचित कर देना चाहता हूं, अभी कहा गया कि मिनी बैंक कब तक बनायेंगे। आपके टाइम भी मिनि बैंक बनाना शुरू किया गया था। 2700 के करीब हमने मिनिबैंक बना दिये हैं, बाकी 30 सितम्बर तक सारी संस्थाएं, जो राजस्थान में हैं, 5200 के करीब हैं, हम सभी को मिनि बैंक का दर्जा दे देंगे। मुझे बहुत खुशी है अध्यक्ष महोदय, कलेक्टस् कान्फ्रेन्स में सारे जिलों के कलेक्टर्स ने यह कहा कि नरेगा का भुगतान बिना कोई इंसेटिंव के, बिना कोई उसके जितना काम नरेगा में हमारे मिनि बैंकों ने किया है, घर बैठे भुगतान किया है। वह अच्छा काम किया, इसलिये नरेगा के 27 लाख खाते हम अब तक खोल चुके हैं। कामर्शियल बैंक्स इसको एक आफत समझते थे, कामर्शियल बैंक उनके अकाउंट्स नहीं खोलते हैं। नरेगा के मजदूर उससे परेशान रहते हैं, इसलिये हमने तय किया कि जो भी नरेगा के खाते खुलवाना चाहे, हमारे इन मिनि बैंकों में खुलायें। सभी सहकारी समितियों को हम मिनि बैंक का दर्जा दे रहे हैं।

दूसरी बात यह आई कि नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जायें। यह बहुत आवश्यक है। सभी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर यह समितियां होनी चाहिये जिससे लोगों को खाद, बीज के लिये दूर नहीं जाना पड़े। आपकी सरकार ने फैसला किया था कि उसमें 15 लाख की डिपोजिट होनी चाहिये, 15 लाख का उनका शेयर होना चाहिये। अभी हमारी कैबिनेट के समक्ष विचाराधीन है। हमने प्रस्ताव किया है कि 15 लाख को घटाकर 3 लाख रुपये उसकी शेयर पूंजी हो जिससे हर ग्राम पंचायत स्तर पर इन सहकारी समितियों का गठन हो जाये ताकि लोग इसमें भागीदारी निभायें।

अध्यक्ष महोदय, दीर्घकालीन ऋण के लिये हमने पूरी व्यवस्था की है। करीब 250 करोड़ रुपये टर्म लोन के लिये भी हमने हमारी सहकारी बैंकों में व्यवस्था की है। मैं आपको ऋण माफी के लिये, इसमें भी हमारी बैंकों ने बहुत अच्छा काम किया है और उमसें 90 प्रतिशत क्लेम भारत सरकार ने राजस्थान ने ऋण माफी के और ऋण राहत

के 90 प्रतिशत के शेष उन्होंने पास किये हैं जिससे किसान की हालत जो कमजोर हो गयी थी, बैंक का एन पी ए बढ़ गया था, वह आज भारत सरकार यदि कर्ज माफ नहीं करती तो अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सारे सीसीबी और पीएलडीबी, रिजर्व बैंक उनकी मान्यता समाप्त कर देता। इसका भी श्रेय भारत सरकार को है। इसके लिये उनको धन्यवाद देना चाहिये। इतना पैसा 900 करोड़ रुपये तो हमारे अपेक्स बैंक और सीसीबी को मिला, 400 करोड़ रुपये के करीब उनको मिला। यह बहुत बड़ी राशि थी, जो डूबत खाते चल रही थी। इससे हमारे बैंकों का काम काज वापस सुधरने में बहुत मदद मिली है।

दूसरी बात, महिला सहकारी समितियों के संबंध में है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें कि पूरे राजस्थान में बहुत बड़ी अनियमितताएं, बहुत गड़बड़ घोटाले होते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत गंभीर हैं, उन्होंने पाँच करोड़ रुपये महिला सहकारी समितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये उन्होंने धन उपलब्ध कराया है, जिससे गांवों में महिलाओं को केरोसीन, गेहूं समय पर नहीं मिलता है, वह महिला सहकारी समितियों के माध्यम से मिल सकेगा। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं विशेषकर आदिवासी इलाकों में मुख्य मंत्रीजी ने लैम्प्स पर बहुत ध्यान दिया है। लैम्प्स जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उनको उन्होंने 6 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फण्ड रखा है, जिससे उनको कामकाज में सुविधा मिल सके। उनके लिये भी उन्होंने व्यवस्था की है, इसलिये आज इस तरह की व्यवस्थाएं की गयी हैं। दो करोड़ रुपये उनको प्रबन्धकीय कार्यो के लिए, जो गोदाम वगैरह हैं उनके लिए यर उनको खर्चे के लिए है। 8 करोड़ रुपये आदिवासी क्षेत्रों के लिए लैम्प्स के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में व्यवस्था की है। मैं पहले भी मंत्री रहा हूं, विधायक भी रहा हूं परन्तु मैंने को-आपरेटिव में एक करोड़ रुपये का भी प्रावधान बजट में कभी नहीं देखा। पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट प्रावधान सहकारिता के लिए किया है। मेरे समय तो नहीं हुआ, आपने किया होगा। मुझे पता नहीं।

मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं विपणन की व्यवस्था, हमारी मार्केटिंग सोसायटीज सुपर मार्केट के लिए यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि हमारा उदयपुर का सुपर मार्केट बहुत अच्छा काम कर रहा है। सारे जिलों में हम सुपर मार्केट शुरू कर रहे हैं और पाँच सौ ऐसे और हमने स्थानों का चयन किया है। हमने हर पंचायत समिति में 22 जी एस एस जहां पर हम मिनी सुपर मार्केट खोलेंगे जिससे उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी की, उत्तमता की अच्छे दामों पर वहां पर शुद्ध, जैसे शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा है, हमारा सहकारिता विभाग भी हर ब्लाक स्तर पर दो दो ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी हमारी

मार्केटिंग सोसायटीज में इसकी व्यवस्था करेगा।

अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने स्पिन फैड का मामला उठाया। यह प्रदेश में बहुत चिन्ता का विषय है। स्पिन फैड बहुत घाटे में चल रही हैं। स्पिन फैड पर आपकी सरकार नपे टफ योजना स्वीकृत की थी। आपने उसको चालू करने का प्रयास भी किया था और आपकी केबिनेट की सब कमेटी ने जो पैकेज दिया था, उस सब कमेटी के पैकेज के प्रस्ताव को आपके प्रिंसीपल सेक्रेटरी ने रोक दिया । सितम्बर, 2008 में उसका पैसा रोक दिया जिसके कारण से वह टफ योजना आज भी अधर झूल में पड़ी हुई है। माननीय सदस्य की चिन्ता बहत बाजिव थी। एक प्रिंसीपल सेक्रेटरी(फाइनेंस) पैसा रोक दे, यह सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने दुबारा एक सब कमेटी बनायी है और वह कमेटी 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। जारी......

महेन्द्र/चौहान/1950/4f/16072009/1

उस परियोजना को वापस लागू करना कि नहीं करना, किस रूप में करना, पैसा जो उसका आया हुआ है भारत सरकार से, एन.सी.डी.सी. का पैसा आया हुआ है उस पैसे को भी रोक लगा दी पहले सब कमेटी उसकी मीटिंग कर के 30 जुलाई तक फैसला कर देगी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को रिपोर्ट देकर हमारी स्पिन फैड मिलें हैं वो चलनी चाहिए। घाटे का कारण यह सब चीजें तो पहले से ही हैं, घाटे का कोई आज नयी बात नहीं है। तिलम संघ भी हमारा घाटे में है फिर भी हम को चलाना पड़ रहा है, स्पिन फैड भी घाटे में है, आपने भी चलाया हमने भी चलाया, उसको आगे भी चलायेंगे।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिस तरह की व्यवस्था है, पूरे प्रदेश में हमारा सहकारिता आन्दोलन मजबूत बने और इस आन्दोलन में, जैसा अभी हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि ऋण वितरण में अव्यवस्था हो रही है, कहीं घोटाले, ऐसा नहीं है, सब चैक से पेमेंट होता है, आजकल एक भी पैसा बिना चैक के, बिना उसके कहीं भी भुगतान नहीं होता है। ऋण वितरण में कई माननीय सदस्यों ने शिकायत की कि यह बैंकों की व्यवस्था ठीक नहीं है, हम पूरी तरह से इन बैंकिंग व्यवस्था को, माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक करने की कोशिश करेंगे और माननीय सदस्यों की जो शंकाएं हैं, इस आन्दोलन को मजबूती मिले, हमारा आन्दोलन सबके सहयोग से, कोई एक पार्टी के सहयोग से नहीं सारे राजस्थान के लोगों के सहयोग से यह आन्दोलन मजबूत हो, हमारा कॉआपरेटिव आन्दोलन चले, इसमें जो भी कमियां-खामियां हैं हम उनको दूर करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के जो सुझाव आये हम उन सुझावों पर भी निश्चित रूप से प्रभावी कार्यवाही करेंगे और आप सब ने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिये इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की यह जो मांग है, आप सभी से आग्रह करता हूं कि सहकारिता की मांगों को सर्वसम्मति से पारित करें।

मांग संख्या 36 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 - सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,50,53,55,000/- (रुपये एक अरब पचास करोड़ तिरेपन लाख पचपन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2009 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.52 बजे गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2009 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)